G20 भारत 2023 INDIA

आज़ादी का अमृत महोत्सव

GLIDERS INDIA LIMITED
राष्ट्र रक्षा सम यज्ञ

भारत का गौरव
भारत के लिए

ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड

भारत सरकार का उपक्रम, रक्षा मंत्रालय

प्रथम
वार्षिक रिपोर्ट
2021-22
(14.8.2021 से 31.03.2022)

अनुक्रमणिका

व्यापार परिदृश्य 1-13

2	हमारे बारे में
4	हमारी विकास यात्रा
6	रक्षा क्षेत्र की जरूरतों के लिए विकसित
8	ग्लाइडर्स के प्रभाव में वृद्धि एवं जीआईएल का उद्घाटन समारोह
10	अध्यक्षीय संबोधन
12	कॉरपोरेट सूचना

वैधानिक रिपोर्ट 14-52

14	निदेशकों की रिपोर्ट
36	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग आदि के प्रतिनिधित्व के संबंध में विवरण
37	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग आदि की भर्ती के संबंध में विवरण
38	कॉरपोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट
44	प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट
51	सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट

वित्तीय रिपोर्ट 53-90

54	स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट
65	भारत के नियंत्रक एवं महा निर्देशक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट/टिप्पणी
66	भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणी पर प्रबंधन की प्रतिक्रिया
68	तुलन – पत्र
69	लाभ एवं हानि का विवरण
70	नकदी प्रवाह का विवरण
71	साम्यिक में परिवर्तन का विवरण
72	महत्वपूर्ण लेखा कार्य नीतियां
77	वित्तीय विवरणो पर नोट्स
88	वित्तीय विवरणों पर अन्य टिप्पणियाँ

वित्तीय विशेषताएं वित्तीय वर्ष 2021-22

₹ 8,594.21 लाख
वित्तीय वर्ष 2021-22 में छः माह का राजस्व (01.10.2021 से 31.03.2022) तक निगमन के रूप में 14.08.2021 था

₹ 359.31 लाख
वित्तीय वर्ष 2021-22 में एबिटा

₹ 70.92 लाख
वित्तीय वर्ष 2021-22 में पीएटी

₹ 52,995.84 लाख
वित्तीय वर्ष 2021-22 में नेटवर्थ

वित्तीय वर्ष 2021-22 में
शून्य ऋण

https://www.glidersindia.in

भविष्योन्मुखी/दूरदर्शी कथन

इस पत्रिका में भविष्य की अपेक्षित वृतांतों/कार्यान्वयन और ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड की वित्तीय स्थिति के बारे में भविष्योन्मुखी विवरण है। अपनी प्रकृति से, भविष्योन्मुखी बयानों के लिए कंपनी को यह अनुमान लगाने की आवश्यकता होती है कि वे इंटरनेट जोखिमों और अनिश्चितताओं के अधीन हैं। यह एक महत्वपूर्ण जोखिम है कि धारणाएं, भविष्यवाणियां और अन्य भविष्योन्मुखी बयान सटीक होने का दावा नहीं कर सकते। पाठकों को आगाह किया जाता है कि भविष्योन्मुखी बयानों पर अनुचित भरोसा न करें क्योंकि कई अनुमानों, वास्तविक भविष्य के परिणामों और घटनाओं के कारक एवं भविष्योन्मुखी बयानों में व्यक्त की गई बातों से प्रत्यक्ष रूप से भिन्न हो सकते हैं। तदनुसार, यह पत्रिका वार्षिक रिपोर्ट के प्रबंधन की चर्चा और विश्लेषण में उल्लिखित मान्यताओं, योग्यताओं और जोखिम कारकों के खंडन/अस्वीकरण के अधीन है।

"खोज की वास्तविक यात्रा नए परिदृश्यों की तलाश में नहीं बल्कि नये दृष्टिकोण में है"

एक नई शुरुआत। एक नया रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम (डीपीएसयू) की स्थापना। देशसेवा का एक नया नजरिया। नए उत्पाद ग्रेड। बाजार में नया भौगोलिक क्षेत्र। मानव संसाधन की एक नई प्रतिभा।

यह आज तक की हमारी रणनीति है। एक नए भविष्य को आकार देने की ओर।

यह ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड है

भारत का गौरव
भारत के लिए

हमारे बारे में.....

आयुध निर्माणी बोर्ड के संरक्षण में आयुध पैराशूट निर्माणी की स्थापना की गई थी वर्ष 1941 में कानपुर (यूपी) में मैन कैरिंग पैराशूट की मरम्मत की इकाई के रूप में शुरू हुई और उसके बाद भारतीय सशस्त्र सेनाओं की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने वाले सभी प्रकार के पैराशूटों एवं अन्य उत्पादों का उत्पादन शुरू हुआ।

ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड को 100% भारत सरकार के स्वामित्व वाला रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम के रूप में 14 अगस्त 2021 को शामिल किया गया। आज कंपनी भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना आत्मनिर्भर भारत के तहत विभिन्न प्रकार के पैराशूट, फ्लोट्स, इन्फ्लेटेबल बोट्स और एक्सेसरीज का उत्पादन करने में उत्कृष्टता प्राप्त कर रही है। कंपनी अब विभिन्न प्रकार के पैरा-ग्लाइडर्स, पैरा सेल्स, सहायक उपकरण और मैन और ड्रोन के लिए नागरिक बचाव समाधान प्रदान करके नागरिक साहसिक गतिविधियों, मनोरंजक गतिविधियों और खेल बाजार में भी प्रवेश कर रही है।

दृष्टि

- सशस्त्र बलों को आधुनिक "रक्षा और युद्धक्षेत्र उपकरण" से लैस करना।
- उत्पादन सुविधाओं का निरंतर आधुनिकीकरण करना।
- कार्मिकों को प्रशिक्षित और प्रेरित करना। उपार्जन, तालमेल और इन-हाउस अनुसंधान एवं विकास के माध्यम से खुद को प्रौद्योगिकी से लैस करना।
- गुणवत्ता में निरन्तर सुधार करना। ग्राहकों की संतुष्टि के उच्चतम स्तर को प्राप्त करना
- रक्षा, गैर-रक्षा और निर्यात बाजारों में ग्राहक आधार को बढ़ाना और वैश्विक उपस्थिति स्थापित करना।

उद्देश्य

विश्व स्तर पर पैराशूट और अन्य ग्लाइडिंग उपकरण का अग्रणी निर्माता होना।

प्रमाणन

कंपनी गुणवत्ता-प्रथम रणनीति का पालन करती है; और हमारे गुणवत्ता पर्यावरण-प्रणाली को विभिन्न प्रमाणनों के माध्यम से मान्य किया गया है जिसमें आईएसओ 9001:2015 शामिल है गुणवत्ता के लिए, आईएसओ 14001:2015 पर्यावरण के लिए, आईएसओ 45001:2018 व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए। कंपनी के पास पूरी तरह से प्रमाणित एनएबीएल मान्यता प्राप्त परीक्षण प्रयोगशाला भी है जो आईएसओ 17025:2017 प्रमाणीकरण के साथ प्रमाणित है।

निर्मित उत्पाद

मैन कैरेइंग पैराशूट, लड़ाकू विमानों के लिए ब्रेक पैराशूट, सप्लाई ड्रॉप पैराशूट, पायलट पैराशूट, इल्युमिनेटिंग पैराशूट, केएम फ्लोट्स, इन्फ्लेटेबल बोट्स।

हमारी विकास यात्रा.....

एक हजार मील की यात्रा एक कदम से शुरू होती है। हमारी यात्रा पैराशूट मरम्मत इकाई के रूप में वर्ष 1941 से शुरू हुई। हमने और मेहनत कर अपनी एक जगह बनाई और मूल्यवान पैराशूट के साथ ही रक्षाकर्मियों के लिए अन्य उत्पाद बनाकर रक्षा आपूर्ति निर्माता बन गए। और हम अपने हितधारकों के अपेक्षानुसार भारतीय सेना, भारतीय वायु सेना, भारतीय नौसेना और केंद्रीय सशस्त्र अर्धसैनिक बलों के लिए मूल्यवान और उपयुक्त पैराशूट के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध हैं, तथा रक्षा उत्पादों की आपूर्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए भी तैयार हैं।

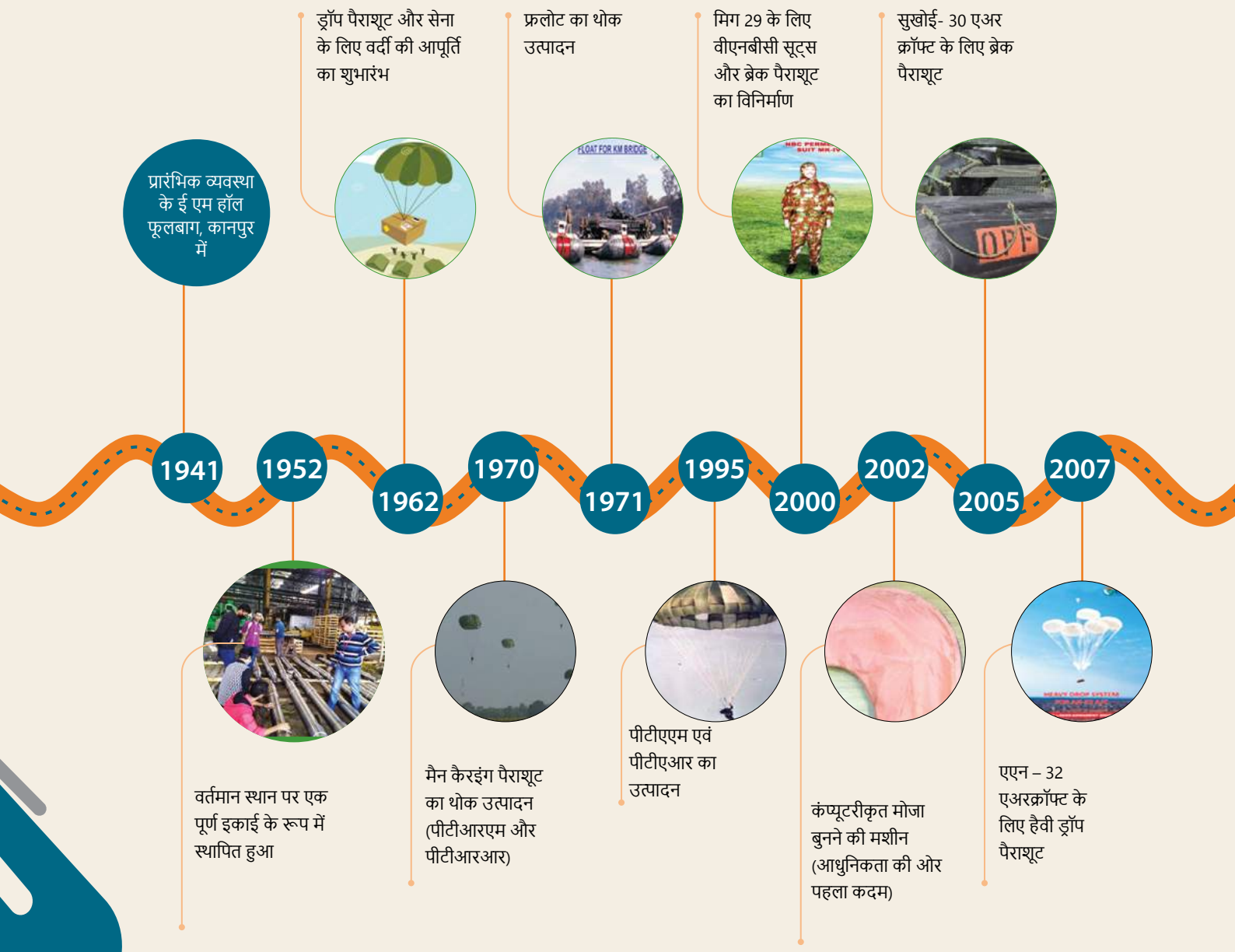

2009

लाइफ सपोर्ट एक्सेसरीज के साथ कॉम्बैट फ्री फॉल (सीएफएफ) पैराशूट सिस्टम का निर्माण।

2010

कम्प्यूटरीकृत क्लॉथ कटिंग मशीन (कैड/कैम) स्थापित की गई

2011

एसपीएम सीरीज पैराशूट का उत्पादन

2013

पैराड्रम का उत्पादन

2015

पीटीएएम और पीटीएआर के 10,000 नग की आपूर्ति का मील का पत्थर साबित हुआ

2016

सेना के लिए पी-7 हेवी ड्रॉप पैराशूट सिस्टम के 2 सेट का उत्पादन किया

2021

एसयू 30 के लिए पायलट पैराशूट और हॉक के लिए ब्रेक पैराशूट का निर्माण शुरू किया

2022

एयर ड्रॉपेबल कंटेनर (एडीसी-130) और उन्नत लाइट वेट टॉरपीडो (एएलडबल्यूटी) के लिए पैराशूट का निर्माण शुरू किया। गगनयान के लिए रिकवरी पैराशूट प्रणाली और गति प्रतिरोध पैराशूट का निर्माण भी शुरू किया।

रक्षा क्षेत्र की जरूरतों के लिए विकसित

ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड में, नवाचार हमारी दीर्घकालिक मूल्य निर्माण यात्रा के प्रमुख स्तंभों में से एक है। यह हर दिन नए विचारों की खोज करने की एक सतत प्रक्रिया है क्योंकि हम 'न्यू नॉर्मल' द्वारा प्रस्तुत चुनौतियों के लिए तैयार हैं। भविष्य के नवाचार, रक्षा बलों की जरूरतों को पूरा करने के हमारे प्रयास को आगे बढ़ाते हैं। यह दृष्टिकोण हमें आत्मनिर्भर भारत पहल के माध्यम से भारत की केंद्र सरकार के दृष्टिकोण के करीब जाने में मदद करता है।

कम्बैट फ्री फॉल पैराशूट आरएएम एआईआर 9सेल

पीटीएएम

एचएपी

पैरासेल असेम्बली

पीटीए लक्ष्य के लिए पैराशुट रिकवरी सिस्टम एमके॥

एएन 32 के लिए हैवी ड्रॉप सिस्टम

आई एल- 76 ए सी के लिए पी-7 हैवी ड्रॉप

किरन के बीएमके - 41

जगुआर के लिए ब्रेक पैराशूट

एसयू – 30 के लिए ब्रेक पैराशूट

मिराज 2000 के लिए ब्रेक पैराशूट

मिग – 21 के लिए ब्रेक पैराशूट

मिग – 23 के लिए ब्रेक पैराशूट

एलसीए (तेजस) के लिए ब्रेक पैराशूट

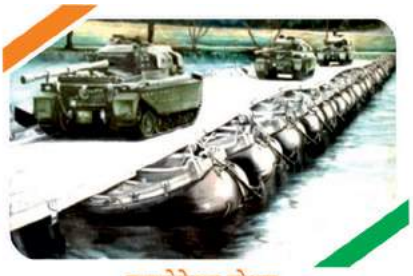

इन्फ्लेटेबल बोट्स

एनबीसी सूट एमकेIV

जैकेट एवं ट्राउजर
विंड चीटर

पोंचो ग्लेशियर

ट्राउजर एवं शर्ट
पीडब्ल्यू पीवी डीडी ओजी

उन्नत मोजे हैवी
खाकी वेस्ड

स्पिलिन्ट इन्फ्लेटेबल

एल्यूमिनेटिंग एम्युनिशन
के लिए पैराशूट

बोट असॉल्ट
न्यूमेटिक लाइट वेट

इन्फ्लेटेबल बोट्स

केएम ब्रिज के लिए बोट

बोट रेकी 3 मेन

ग्लाइडर्स के प्रभाव में वृद्धि.....

OPF to take part in Def-Expo 2022

निर्माणियों में लगी प्रदर्शनी, वेबसाइट लांच

पैराशूट फैक्ट्री में हुआ वर्चुअली उद्घाटन

डिफेंस एक्सपो में शहर के बने पैराशूट, जीआईएल के उत्पादों की रहेगी धूम

आधुनिक हथियारों के साथ ओपीएफ निर्मित उत्पाद भी

रक्षा उत्पादन में अहम भूमिका निभाएंगी 7 डीपीएसयू

1 अक्टूबर 2021, ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड का उद्घाटन दिवस

इन हाउस उद्घाटन समारोह: श्री वी.के. तिवारी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, श्री सुनील दाते, निदेशक/सं. एवं मा.सं., श्री सुरेंद्र धापोडकर, निदेशक/वित्त, श्री अपुर्ब मजूमदार, महाप्रबंधक (ओपीएफ), श्री सुशील सिन्हा, अपर महाप्रबंधक,(ओपीएफ), श्री आशीष कुमार, अपर महाप्रबंधक (ओपीएफ).

डिफेंस एक्सपो 2022 के दौरान माननीय रक्षा मंत्री एवं राज्य रक्षा मंत्री का जीआईएल पवेलियन में आगमन

डिफेंस एक्सपो के दौरान अंतर्राष्ट्रीय गणमान्य व्यक्तियों का दौरा

यूएस प्रतिनिधिमंडल

बहरीन प्रतिनिधिमंडल

केन्या प्रतिनिधिमंडल

नेपाल प्रतिनिधिमंडल

नाइजर प्रतिनिधिमंडल

नाइजर प्रतिनिधिमंडल

अध्यक्षीय संबोधन

प्रिय शेयरधारकों,

ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड (जीआईएल), कानपुर के निदेशक मंडल की ओर से, मुझे अक्टूबर 2021 से मार्च 2022 की रिपोर्ट और कंपनी के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण प्रस्तुत करते हुए खुशी हो रही है।

मैंने 1 अक्टूबर 2021 से अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक की भूमिका बड़ी जिम्मेदारी और विनम्रता के साथ संभाली है, और कार्यभार संभालने के बाद पहली बार इस रिपोर्ट को साझा करना मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। पदभार ग्रहण करने के बाद तत्काल कार्य बुनियादी ढांचे के निर्माण और एक सक्षम टीम के निर्माण सहित व्यापार की आवश्यक चीजों को व्यवस्थित करना था। इसके बाद नई कॉर्पोरेट संस्कृति का निर्माण करना और कर्मचारियों को अच्छी तरह से सूचित करना, शामिल करना और प्रेरित करना था। नए डीपीएसयू की स्थापना से लेकर आज के परिपक्व स्तर तक लाने के लिए सक्षम टीम द्वारा सभी आवश्यक कार्य किए गए।

सतत वृद्धि:

संगठन में संरचनात्मक परिवर्तनों के साथ, मुख्य प्राथमिकताओं में से एक कंपनी के सतत विकास को सुनिश्चित करना था। यद्यपि आज की तारीख में, सैन्य उपयोग हमारे उत्पादों के लिए सबसे बड़ा बाजार क्षेत्र है, पैराशूट के लिए, नागरिक बाजार और निर्यात अवसरों में विस्तार के लिए भी अच्छी संभावनाएं हैं। आजकल पैराग्लाइडिंग, पैरा सेलिंग आदि जैसे मनोरंजक खेलों में भाग लेने वाले व्यक्तियों की बढ़ती संख्या के कारण पैराशूट का नागरिक बाजार तेजी से बढ़ रहा है। जीआईएल इस बाजार को लक्षित करने के लिए इन पैराशूटों के निर्माण में अपनी क्षमता का भरपूर उपयोग करने के साथ ही जीआईएल अपने मौजूदा और नए विकसित उत्पादों लिए निर्यात बाजार में विविधता लाने का भी प्रयास कर रहा है।

अनुसंधान एवं विकास:

घरेलू प्रौद्योगिकी विकास, क्षमता और चुनौतियों का विश्लेषण करने के बाद, नए उत्पादों के विकास के लिए उद्योग के नेतृत्व करने वाले अनुसंधान एवं विकास संगठन तथा शिक्षा एवं शोध क्षेत्र में अग्रणी आईआईटी कानपुर को शामिल कर समाधान की परिकल्पना की गई है। जीआईएल ने आरएण्डडी गतिविधियों पर जोर देने के लिए पैराशूट डिजाइन और विकास के क्षेत्र में उभरते अवसरों पर संयुक्त रूप से काम करने के लिए आईआईटी कानपुर के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। जीआईएल नए पैराशूटों के डिजाइन और विकास के लिए परामर्शदाताओं के रूप में पैराशूट डिजाइन विशेषज्ञों को भी नियुक्त कर रहा है। स्टार्ट-अप और अन्य व्यावसायिक भागीदारों को जोड़ने और नवाचार के अवसर प्रदान करने के लिए आइडेक्स (आइडेक्स) आदि जैसे विभिन्न प्लेटफार्मों का उपयोग किया जा रहा है, जो भारत के माननीय प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप है, जो एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए है तथा नवाचार को बढ़ावा देता है और स्टार्ट-अप में संबद्ध प्रौद्योगिकीय विकास को भी प्रोत्साहित करता है।

गुणवत्ता:

जीआईएल विभिन्न प्रकार के पैराशूट, केएम फ्लोट्स, इन्फ्लेटेबल

बोट्स, एनबीसी सूट, पोंचो और अन्य सामान के उत्पादन में उत्कृष्ट है। घरेलू बाजार में हम इस क्षेत्र में मार्केट लीडर हैं। हमारा एक मजबूत सामरिक महत्व है क्योंकि हमारे पास अपने सशस्त्र बलों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विशेषज्ञता और क्षमताएं हैं। हमने अपनी उत्पादन प्रक्रियाओं में सख्त गुणवत्ता नियंत्रण उपायों को अपनाया है क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे उत्पाद सीधे हमारे सैनिकों के जीवन को प्रभावित करते हैं।

यह गर्व की बात है कि हाल ही में जीआईएल को अपने बुनियादी ढांचे, संसाधनों और एक प्रभावी गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली से संबंधित मानकों को बनाए रखने के लिए डीजीक्यूए से एएफक्यूएमएस (फर्म और इसकी गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली का अनुमोदन) प्रमाणन प्राप्त हुआ है। इसके अलावा एएस 9100डी प्रमाणन, जो एक वैश्विक गुणवत्ता मानक है, यह विमानन, अंतरिक्ष और रक्षा उद्योगों में सुरक्षा, उत्पादों और प्रदर्शन से संबंधित प्रक्रियाओं की आवश्यकताओं को निर्धारित करता है, का कार्य प्रगति पर है।

उपलब्धियां:

विगत वर्ष ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड के लिए तीव्र गति से कार्य व सुधार करने का काल रहा है। इस अवधि के दौरान, ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड ने विभिन्न आयामों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, जिसमें विभिन्न पैराशूटों और इन्फ्लेटेबल उत्पादों का उच्च गुणवत्ता और आर्थिक उत्पादन, विभिन्न प्रकार के अनुप्रयोगों के लिए नए प्रकार के पैराशूटों का विकास, निर्यात आदेश लक्ष्यों को सफलतापूर्वक और समय पर पूरा करना आदि शामिल हैं। पिछले एक वर्ष को निम्नानुसार हाइलाइट किया गया है:

1. **<u>लाभ कमाने वाला डीपीएसयू</u>**: उचित उपायों को अपनाकर, जीआईएल ने अपनी स्थापना के 6 महीने के भीतर (अक्टूबर 2021 से मार्च 2022 तक) रु 95.85 लाख (पीबीटी) का लाभ प्राप्त किया। इसके अलावा जीआईएल चालू वित्त वर्ष 2022-23 में अपने लाभ के आंकड़े को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है।
2. **<u>निर्यात आदेश का कार्यान्वयन/निष्पादन</u>**: भारत के माननीय प्रधान मंत्री के 2025 तक 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के महत्वाकांक्षी रक्षा निर्यात लक्ष्य को प्राप्त करने के दृष्टिकोण के अनुरूप, अपनी स्थापना के चार महीनों के भीतर जीआईएल ने मलेशिया से एक निर्यात आदेश प्राप्त कर लिया है और जिसे निर्धारित समय के भीतर सफलतापूर्वक निष्पादित कर दिया गया है। इसके अलावा, जीआईएल अपने ग्राहक पोर्टफोलियो के विस्तार के लिए यूएसए, कजाकिस्तान, मलेशिया, केन्या, बांग्लादेश, युगांडा, अंगोला, नेपाल, इंडोनेशिया आदि जैसे कई अन्य देशों के संपर्क में है।
3. **<u>गगनयान के लिए रिकवरी पैराशूट प्रणाली का विकास:</u>** प्रतिष्ठित गगनयान परियोजना में, भारत का मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम (एचएसपी), एडीआरडीइ के सहयोग से, जमीन पर सुरक्षित छिड़काव के लिए जीआईएल उच्च गुणवत्ता वाले पैराशूट का सफलतापूर्वक निर्माण कर उपलब्ध करा रहा है। पैराशूट स्पलैशडाउन पर क्रू मॉड्यूल की गति को 216 मीटर/सेकेंड (710 फीट/सेकेंड) से घटाकर 11 मीटर/सेकेंड (36 फीट/सेकेंड) कर देगा। प्रत्येक पैराशूट चार टन वजन ले जाने में सक्षम है।

ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड ने विभिन्न आयामों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, जिसमें विभिन्न पैराशूटों और इन्फ्लेटेबल उत्पादों का उच्च गुणवत्ता और आर्थिक उत्पादन, विभिन्न प्रकार के अनुप्रयोगों के लिए नए प्रकार के पैराशूटों का विकास, निर्यात आदेश लक्ष्यों को सफलतापूर्वक और समय पर पूरा करना आदि शामिल हैं।

4. **ड्रोन रेस्क्यू पैराशूट का विकास**: अनुसंधान और विकास प्रयासों के तहत जीआईएल ने ड्रोन रेस्क्यू पैराशूट विकसित किया है जो ड्रोन संचालन को अधिक सुरक्षित बना देगा। इस ड्रोन पैराशूट को बाजार में उपलब्ध कराने से पहले कठोर परीक्षण किया जा रहा है।
5. **गति प्रतिरोध पैराशूट का विकास**: एक अन्य शोध और विकास प्रयास के रूप में जीआईएल ने नायलॉन कपड़े से बने उच्च गुणवत्ता वाले गति प्रतिरोध पैराशूट को सफलतापूर्वक विकसित किया है। यह एक एथलीट की कार्डियो-वैस्कुलर तैयारी के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण होने जा रहा है।
6. **मिशन रक्षा ज्ञान शक्ति** (एमआरजीएस): सरकार के मुख्य विषय आत्मनिर्भर भारत पहल, लक्षित पहचान, सृजन और बौद्धिक अधिकारों की सुरक्षा के अनुपालन में , पिछले 01 वर्ष में जीआईएल ने भारत में 04 पेटेंट, 06 कॉपीराइट (02 सॉफ्टवेयर कॉपीराइट सहित) और 01 ट्रेडमार्क दायर किए हैं।

पैराशूट के उत्पादन और गुणवत्ता नियंत्रण के लिए आवश्यक सभी बुनियादी ढांचे की उपलब्धता के साथ-साथ 70 से अधिक वर्षों के अनुभव वाली एक मजबूत सक्षम टीम के साथ, मुझे यकीन है कि हमारे सशस्त्र बलों की रणनीतिक आवश्यकताओं को पूरा करते हुए और नागरिक तथा निर्यात बाजार में प्रवेश करके, जीआईएल एक अग्रणी पैराशूट निर्माण कंपनी के रूप में अपनी स्थिति को और मजबूत करेगा।

आभारोक्ति:

निदेशक मंडल की ओर से, मैं अपने ग्राहकों, आपूर्तिकर्ताओं, सरकारी प्राधिकरणों और नियामकों और सभी हितधारकों को जीआईएल में उनके सहयोग और विश्वास के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। मैं बोर्ड में अपने सम्मानित सहयोगियों की उनकी गहन अंतर्दृष्टि और बुद्धिमत्ता पूर्ण सलाह के लिए सराहना करता हूं, जिन्होंने वास्तव में जीआईएल के विकास और सफलता का मार्ग प्रशस्त करते हुए चुनौतियों से निपटने में मदद की है। अंत में, अपने फैक्ट्री के परिश्रमी टीम और कर्मचारियों को उनकी कार्यकुशलता एवं अथक प्रतिबद्धता के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

(विजय कुमार तिवारी)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

कॉरपोरेट सूचना

निदेशक मंडल

श्री विजय कुमार तिवारी
(अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक)

श्री सुनील दाते
(निदेशक/संचालन एवं मानव संसाधन)

श्री सुरेन्द्र धापोडकर
(निदेशक/वित्त एवं सीएफओ)

श्री राजीव प्रकाश
(सरकार द्वारा मनोनीत निदेशक)

कंपनी सचिव
श्रीमती अर्चना गुप्ता

महाप्रबंधकः ओपीएफ (जीआईएल की एक इकाई)
श्री सुशील सिन्हा

संयुक्त महाप्रबंधक (जीआईएल मुख्यालय)
श्रीमती प्रतीक्षा सैनी

कार्य प्रबंधक (जीआईएल मुख्यालय)
श्री आशुतोष त्रिपाठी

मुख्य सतर्कता अधिकारी
श्री विवेक गुप्ता (संयुक्त महाप्रबंधकः सतर्कता)
श्री कोनन कुमार टोप्पो (उप महाप्रबंधकः सतर्कता)

वैधानिक लेखा परीक्षक
एम/एस टंडन सेठ एण्ड कंपनी
(एफआरएन 002340सी)
(सनदी लेखाकार, कानपुर)

सचिवीय लेखा परीक्षक
प्रो. अंकित मिश्रा एण्ड कंपनी
(पेशेवर कंपनी सचिव)

बैंकर्स
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
एक्सिस बैंक
आईसीआईसीआई बैंक
एचडीएफसी बैंक

पंजीकृत कार्यालय/कारपोरेट कार्यालय
जीटी रोड, कानपुर – 208013 (यूपी)
दूरभाष सं. 0512-2989174
ई-मेंलः corporate@glidersindia.in
वेबसाइटः glidersindia.in

निर्माणी
आयुध पैराशूट निर्माणी
नेपियर रोड, कैंट
कानपुर – 208004 (यूपी)
ई-मेंलः opf.ofb@nic.in

सीआईएनः U17299UP2021GOI150733

निदेशकों की रिपोर्ट

प्रिय शेयरधारकों,

"31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के साथ कंपनी के व्यवसाय और संचालन पर पहली वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए खुशी हो रही है।"

व्यापार अवलोकन:

16 जून, 2021 को आयोजित कैबिनेट की बैठक के निर्णय के अनुपालन में, 41 उत्पादन इकाइयों को 07 डीपीएसयू में शामिल करने के निर्णय को मंजूरी दी गई थी। जिसमें । ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड (GIL) हाल ही में गठित 07 रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में से एक है, जिसका कारखाना/पंजीकृत कार्यालय कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। जीआईएल - सीट इजेक्शन पैराशूट, मैन कैरिंग पैराशूट, सप्लाई ड्रॉप पैराशूट, हैवी ड्रॉप पैराशूट, ब्रेक पैराशूट, पैराशूट घटक और सहायक उपकरण, केएम ब्रिज और रबर इन्फ्लेटेबल बोट के लिए फ्लोट सहित पैराशूट और इन्फ्लेटेबल उत्पादों के उत्पादन में उत्कृष्ट है। हम भारतीय सेना, नौसेना, वायु सेना, भारतीय तट रक्षक, आईटीबीपी, राज्य पुलिस बलों की मांगों को पूरा करते हैं जिनमें कई अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक भी शामिल हैं।

गठन:

ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड (जीआईएल), कंपनी अधिनियम 2013 के तहत 14 अगस्त 2021 को निगमित कंपनी जो 100% भारत सरकार के अधीन है। पूर्ववर्ती आयुध निर्माणी बोर्ड (ओएफबी) के निगमीकरण के परिणामस्वरूप, इसका प्रबंधन ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड (इसके बाद "जीआईएल" के रूप में संदर्भित) के अंतर्गत है। हालाँकि, इसके कारोबार की शुरुआत 1 अक्टूबर 2021 को डीडीपी द्वारा अधिसूचित की गई थी।

जीआईएल रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है।

आयुध पैराशूट फैक्ट्री ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड के तहत एक इकाई है जिसकी स्थापना वर्ष 1941 में कानपुर (यूपी), भारत में हुई थी। जीआईएल की उत्पादन इकाई अर्थात आयुध पैराशूट फैक्ट्री भारत में पैराशूट की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी उत्पादन इकाई है। आजादी के बाद इसे नेपियर रोड छावनी, कानपुर में अपने वर्तमान स्थान पर स्थानांतरित कर दिया गया और एक पूर्ण विकसित पैराशूट निर्माण इकाई के रूप में शुरू किया गया।

यह मैन कैरिंग पैराशूट की मरम्मत इकाई के रूप में शुरू हुआ और उसके बाद 1962 में सप्लाई ड्रॉप पैराशूट और सैन्य वर्दी का उत्पादन के रूप में स्थापित किया। 1970 में कार्मिक पैराशूट यानी पीटीआर-एम और पीटीआर-आर के उत्पादन के रूप में स्थापित किया गया था तथा 1971 में केएम ब्रिज और इन्फ्लेटेबल बोट्स के लिए फ्लोट्स का उत्पादन शुरू कर स्थापित किया गया।

कारखाने के मुख्य उत्पाद:

पैराशूट आइटम

1. मैन कैरिंग पैराशूट
2. सीट इजेक्शन/पायलट पैराशूट
3. सप्लाई ड्रॉप पैराशूट
4. हैवी ड्रॉप सिस्टम
5. एम्यूनिशन पैराशूट
6. वायुयानों के लिए ब्रेक पैराशूट
7. पैरासेल पैराशूट
8. रिकवरी सिस्टम पैराशूट

रबराइज्ड आइटम

1. के.एम. फ्लोट ब्रिज
2. इन्फ्लेटेबल बोट्स
3. स्प्लिंट इन्फ्लेटेबल

उपलब्धियां

- ✓ पिछला एक साल ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड के लिए गहन कार्रवाई और सुधारों का काल रहा है। इस अवधि के दौरान, ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड ने विभिन्न आयामों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, जिसमें विभिन्न पैराशूट और इन्फ्लेटेबल उत्पादों का उच्च गुणवत्ता पूर्ण, आर्थिक उत्पादन, विभिन्न प्रकार के अनुप्रयोगों के लिए नए प्रकार के पैराशूट का विकास आदि शामिल हैं।
- ✓ **अनुसंधान और विकास कार्य के लिए आईआईटी कानपुर के साथ जुड़ाव:** ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड ने आईआईटी कानपुर के साथ संयुक्त रूप से काम करने के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किया है। पैराशूट डिजाइन और विकास के क्षेत्र में उभरते अवसर प्रदान करने के लिए जीआईएल के अनुसंधान और विकास की गतिविधियों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
- ✓ **स्टार्टअप और एमएसएमई को समर्थन:** भारत के माननीय प्रधान मंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए अनुसंधान एवं विकास संस्थानों, शिक्षाविदों, उद्योगों और स्टार्ट-अप को शामिल करके रक्षा क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देता है और प्रौद्योगिकी विकास को प्रोत्साहित करता है, साथ ही आई-डेक्स (रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार) चुनौतियों के माध्यम से स्टार्ट-अप, एमएसएमई के लिए नवाचार के अवसर प्रदान करता है।
- ✓ **डिफेन्स-एक्सपो 2022 में भागीदारी:** डिफेन्स-एक्सपो 2022 गांधी नगर, गुजरात में माननीय रक्षा मंत्री की मेजबानी में जीआईएल ने भाग लिया और सबसे प्रतिष्ठित डेफेन्स-एक्सपो में भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय इच्छुक पार्टियों, विभिन्न देशों के प्रतिष्ठित अधिकारी अर्थात् बहरीन, नाइजर, केन्या, नेपाल और वियतनाम के साथ अपने उत्पाद को प्रदर्शित कर गर्व का अनुभव किया।
- ✓ ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड क्रू मॉड्यूल की रिकवरी सिस्टम के महत्वपूर्ण पैराशूट की आपूर्ति करके भारत के अंतरिक्ष मिशन के लिए एडीआरडीइ के साथ साझेदारी कर रहा है। जीआईएल द्वारा आपूर्ति किए गए पैराशूटों का परीक्षण का पहला चरण पहले ही पूरा हो चुका है।
- ✓ ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड द्वारा एचएएल, एमआइएल, यूपीडा, आईआईटी कानपुर, टीसीएल, एवीएनएल और वायआईएल जैसे महत्वपूर्ण व्यापारिक संगठनों के साथ विभिन्न समझौता ज्ञापनों का आदान-प्रदान किया गया।
- ✓ भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय खरीददारों से कई तरह की व्यावसायिक पूछताछ भी प्राप्त हुई, जिसके लिए व्यवसाय विकास इकाई उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए काम कर रहा है।

वित्तीय प्रदर्शन

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान उत्पादों के परिचालन से प्राप्त राजस्व नीचे दिया गया है: (रु. लाख में)

विवरण	विवरण 31 मार्च 2022 (01.10.2021 से 31.03.2022)
भारत में उत्पादों की बिक्री	8594.21
भारत के बाहर उत्पादों की बिक्री	-
अन्य परिचालन राजस्व	-
कुल परिचालन राजस्व	8594.21
अन्य आय	126.33
कुल राजस्व	8720.54
ब्याज, मूल्यह्रास और कर से पहले आय	359.31
कम: वित्त लागत	-
कम: ह्रास	263.47
कम: असाधारण (विशेष) वस्तु	-
कर पूर्व लाभ/(हानि)	95.84
कम: कर व्यय	-
(1) वर्तमान कर	14.95
(2) आस्थगित कर	9.97
जारी संचालन से कर के बाद लाभ/हानि	70.92
बंद परिचालनों से लाभ/हानि	-
पूर्व काल मद	-
अवधि के लिए लाभ/हानि	70.92
बैलेंस शीट	70.92

*(व्यवसाय संचालन की शुरुआत 1 अक्टूबर, 2021 से प्रभावी है)

कंपनी ने बिक्री कारोबार और अधिशेष (01.10.2021 से 31.03.2022 तक) 8594.21 लाख रुपये प्राप्त किया है जिसमें 70.92 लाख रुपये का लाभ हुआ है।

कोविड-19 महामारी का प्रभाव:

कोविड महामारी के विभिन्न प्रकार, के प्रभाव ने विभिन्न चुनौतियों को जारी रखा, हालांकि कंपनी ने अपने कर्मचारियों और श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़े सुरक्षा उपायों को अपनाया है। वैश्विक आर्थिक मंदी के बावजूद कंपनी ने अपने निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त किया है। महामारी की दूसरी लहर में भी कंपनी ने व्यवसाय से जुड़े जोखिम को कम करने के लिए त्वरित कार्रवाई की है, जिसके परिणामस्वरूप बेहतर प्रदर्शन प्राप्त हुआ है।

प्रचालनात्मक निष्पादन:

पिछला एक वर्ष जीआईएल के लिए तीव्र कार्रवाई और सुधारों का काल रहा है। इस अवधि के दौरान, जीआईएल ने विभिन्न आयामों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, जिसमें विभिन्न पैराशूट और इन्फ्लेटेबल उत्पादों का उच्च गुणवत्तापूर्ण और आर्थिक उत्पादन, विभिन्न प्रकार के अनुप्रयोगों के लिए नए प्रकार के पैराशूट का विकास आदि शामिल है।

उत्पादन निष्पादन (2021-22) (01 अक्टूबर 2021 से 31 मार्च 2022 तक)			
क्र.सं.	**माह**	**मासिक मूल्य (करों को छोड़कर)** **(रुपये करोड़ में)**	**संचयी मूल्य (करों को छोड़कर)** **(रुपये करोड़ में)**
1	अक्टूबर 2021	12.97	12.97
2	नवंबर 2021	9.67	22.64
3	दिसंबर 2021	13.50	36.14
4	जनवरी 2022	14.25	50.39
5	फरवरी 2022	14.56	64.95
6	मार्च 2022	20.79	85.74

वर्षवार ऑर्डर बुक की स्थिति:

वर्ष	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25**
ऑर्डर बुक की स्थिति **(रू.करोड़ में)** अनुमानित	121.57	284.94	420.47	512.73

वर्षवार ऑर्डर बुक की स्थिति (रुपये करोड़ में):

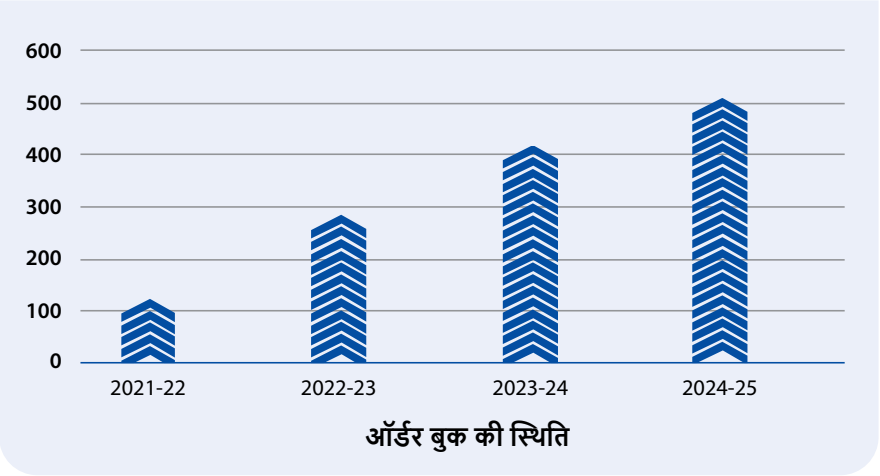

विकास योजना:

जीआईएल ने हाल ही में डीआरडीओ से टीओटी के माध्यम से हॉक (एजेटी) विमान के लिए ब्रेक पैराशूट और एसयू-30 विमान के लिए पायलट पैराशूट विकसित किया है। जीआईएल विभिन्न तरीकों के माध्यम जैसे से डीआरडीओ टीओटी, आइडेक्स, आईआईटी आदि के साथ इन हाउस आर एण्ड डी एसोसिएशन से नई वस्तुओं को विकसित करने की प्रक्रिया में है।

इसके अलावा, जीआईएल विभिन्न अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनियों में अपने उत्पादों को प्रदर्शित करके निर्यात में वृद्धि के विभिन्न अवसरों की तलाश भी कर रहा है।

वित्त वर्ष 2025-26 तक जीआईएल की विकास योजना इस प्रकार है:

वित्त वर्ष	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26
टर्न ओवर (रुपए करोड़ में)	85.94	170	200	245	295

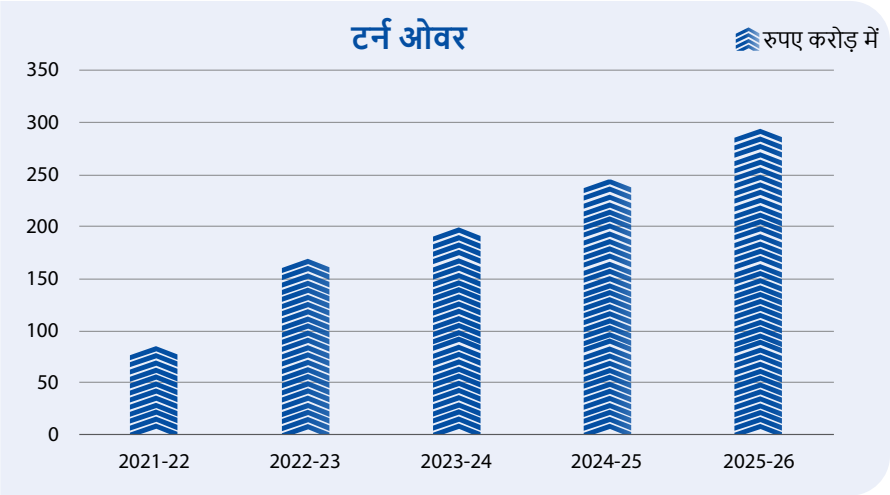

प्रमुख विकास:

जीआईएल ने अपनी स्थापना के बाद पिछले एक वर्ष के दौरान कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। 2025 तक 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के महत्वाकांक्षी रक्षा निर्यात लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत के माननीय प्रधान मंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप, ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड अपने निर्धारित निर्यात लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है।

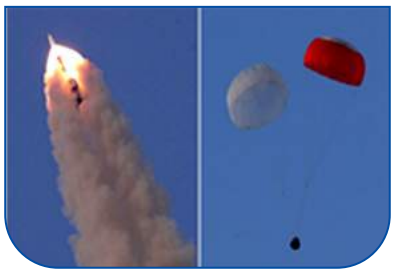

गगनयान के लिए रिकवरी पैराशूट सिस्टम का विकास: गगनयान में, भारत का प्रतिष्ठित मानवयुक्त मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम (HSP), अत्यंत महत्वपूर्ण मिशन के अंतिम चरण में है, यानी पृथ्वी पर लौटने वाले अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षित लैंडिंग। गगनयान का क्रू मॉड्यूल सुसज्जित है, अतिरिक्त दो पैराशूट के साथ, जबकि एक पैराशूट सुरक्षित छींटे मारने के लिए पर्याप्त है। पैराशूट स्पलैशडाउन पर क्रू मॉड्यूल की गति को 216 मीटर/सेकेंड (710 फीट/सेकेंड) से घटाकर 11 मीटर/सेकेंड (36 फीट/सेकेंड) कर देगा। प्रत्येक पैराशूट चार टन वजन ले जाने में सक्षम है। इन उच्च-गुणवत्ता वाले पैराशूट का निर्माण जीआईएल द्वारा एडीआरडीइ के मार्गदर्शन में सफलतापूर्वक किया गया है।

ड्रोन रेस्क्यू पैराशूट का विकास: अनुसंधान और विकास प्रयासों के तहत, जीआईएल ने एक ड्रोन रेस्क्यू पैराशूट विकसित किया है जो ड्रोन संचालन को अधिक सुरक्षित बना देगा। इस ड्रोन पैराशूट को 12 किलो पेलोड क्षमता के लिए विकसित और निर्मित किया गया है। वर्तमान में यह गुणवत्ता की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कठोर परीक्षणों के अधीन है। यह ड्रोन रेस्क्यू पैराशूट जमीन पर संलग्न ड्रोन की प्रभाव

ऊर्जा को कम करेगा और इसे किसी भी नुकसान या विकृति के साथ-साथ जमीन पर मानव और अन्य

संसाधनों से बचाएगा। जब अन्य सभी सुरक्षा उपाय विफल हो जाएंगे तब यह पैराशूट एक दोषपूर्ण/खराब ड्रोन को नीचे लाने के लिए रक्षा की अंतिम पंक्ति के रूप में कार्य करेगा।

गति अवरोधक पैराशूट का विकास: एक अन्य अनुसंधान और विकास प्रयास के रूप में ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड ने नायलॉन कपड़े से बने उच्च गुणवत्ता वाले गति प्रतिरोध पैराशूट को सफलतापूर्वक विकसित किया है। इस पैराशूट की कैनोपी का व्यास 48 इंच है (फुलाए जाने की स्थिति में)। यह 28 से 44 इंच तक की मानव कमर के आकार के लिए समायोज्य है। यह कैरी बैग में फिट होने के लिए आसानी से फोल्ड हो जाता है। यह पैराशूट दौड़ को कठिन बनाता है और एथलीट को वायु प्रतिरोध के खिलाफ जमीन पर अतिरिक्त बल लगाकर पिंडली, टखनों और मांसपेशियों में अधिक ताकत विकसित करने में सहायता करता है। पिंडली और टखनों में यह ताकत एथलीट को ट्रैक पर

लंबे समय तक रहने, सहनशक्ति बढ़ाने और कदम बढ़ाने में मदद करेगी।

घरेलू उत्पाद

1	इन्फ्लेटेबल बोट जेमिनी क्राफ्ट
2	रेस्क्यू (बचाव) ड्रोन पैराशूट
3	गति प्रतिरोध पैराशूट

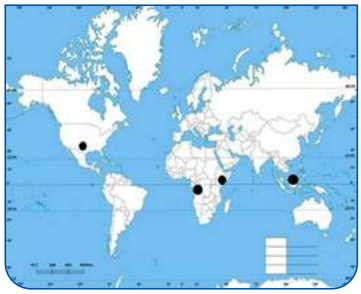

निर्यात

कंपनी ने 01.10.2021 से 31.03.2022 की अवधि के दौरान अन्य देशों को कोई निर्यात नहीं किया है।

निर्यात के मोर्चे पर, स्थापना के 6 महीने के भीतर (अक्टूबर 2021) जीआईएल ने रॉयल मलेशियाई वायु सेना, मलेशिया से 1.18 करोड़ रुपये के ब्रेक पैराशूट एसयू 30 के लिए निर्यात ऑर्डर प्राप्त किया है। इसी कड़ी में अगले आगामी महीनों में मलेशिया से इसी मद के लिए एक और निर्यात ऑर्डर जल्द मिलने की संभावना है।

2025 तक 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के महत्वाकांक्षी रक्षा निर्यात लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत के माननीय प्रधान मंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप, जीआईएल अपने निर्धारित निर्यात लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है।

इसके अलावा जीआईएल ने एक्सपोर्ट प्रमोशन सेल का गठन किया है जो दक्षिण पूर्व एशियाई देशों, अफ्रीकी देशों और लैटिन अमेरिका में निर्यात विकल्प तलाश रहा है। वर्तमान में जीआईएल सक्रिय रूप से दक्षिण पूर्व एशिया और यूएस/यूरोप में निर्यात का नेतृत्व/प्रयास कर रहा है। इसके अलावा, जीआईएल वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए अपने निर्यात ऑर्डर मूल्य को बढ़ाने के लिए आगे के निर्यात आदेशों के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका, मलेशिया, केन्या, बांग्लादेश, युगांडा, अंगोला, नेपाल, इंडोनेशिया, वियतनाम आदि जैसे कई अन्य देशों के संपर्क में है। रक्षा निर्यात लक्ष्य के लिए भारत के माननीय प्रधान मंत्री के दृष्टिकोण को पूरा करना है।

समझौता ज्ञापन (एमओयू):

क्र.सं.	संगठन	समझौता ज्ञापन का विवरण
1	हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल)	व्यापार विकास, विपणन गतिविधियों के साथ एक दूसरे का समर्थन करने एवं एक दूसरे की प्रौद्योगिकियों के एकीकरण से उचित समाधान में प्रभावी उपयोग हेतु।
2	उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, (यूपीडा)	पैराशूट और नावों के महत्वपूर्ण धातु घटकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आपूर्तिकर्ताओं की पहचान।
3	स्टार्टअप इनोवेशन एंड इन्क्यूबेशन सेंटर (एसआईआईसी), आईआईटी कानपुर	अनुसंधान एवं परीक्षण सहयोग का उत्कृष्ट केन्द्र
4	यंत्र इंडिया लिमिटेड (वायआईएल)	चल रही परियोजनाओं और नई परियोजनाओं के लिए भारतीय रक्षा बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस संगठन, नागरिक और निर्यात बाजार के लिए गोला-बारूद की आवश्यकताओं के संयुक्त समाधान के लिए आवश्यक और सामरिक स्टोर

क्र.सं.	संगठन	समझौता ज्ञापन का विवरण
5	ट्रूप कंफर्ट्स लिमिटेड (टीसीएल)	आपसी हितों से लाभ को अधिकतम करने के लिए महत्वपूर्ण और सामरिक सामग्री/ उत्पादों की आवश्यकताओं को संयुक्त रूप से पता करने में सहयोग।
6	आर्मर्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड (एवीएनएल)	रक्षा/गैर-रक्षा उत्पादों, प्रणाली और उप-प्रणाली के लिए घरेलू और निर्यात अवसरों का पता लगाने लिए।

अनुसंधान और विकास

कंपनी के पास इन-हाउस आरएंडडी सुविधाएं हैं, जिसके परिणामस्वरूप लागत में बचत होती है। निरंतर अनुसंधान एवं विकास प्रयासों ने कंपनी को उत्पाद में नवीनता लाने में सक्षम बनाया है। प्रमुख चालू अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं और उनकी स्थिति निम्नानुसार है;

क्र.सं.	अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं	स्थिति
1.	हार्ड शेल कंटेनर ऑफ पायलट पैरा जगुआर	एडीआरडीई में सफल परीक्षण किया गया
2.	वाटर प्रूफ बहुउद्देश्यीय रेन पोंचो परिवर्तनीय बाइवैक	सामग्री की खरीद की जा रही है
3.	ड्रोन बचाव के लिए पैराशूट	12 किलो के ड्रोन रेस्क्यू पैराशूट के विकास के लिए प्रोजेक्ट लिया गया है।
4.	आईडेक्स 6 चुनौती क) चुनौती I - पैरा ग्लाइडिंग का विकास ख) चुनौती II - पैरासेल का विकास	स्टार्ट-अप पार्टनर के चयन के तहत

पूंजी संरचना:

31 मार्च 2022 को कंपनी की अधिकृत पूंजी और प्रदत्त पूंजी क्रमशः 200.00 करोड़ और 5.79 करोड़ रुपये है। निगम की संपूर्ण प्रदत्त शेयर पूंजी भारत सरकार के पास भारत के राष्ट्रपति के नाम पर है।

कंपनी की अधिकृत पूंजी में परिवर्तन :

19 मई 2022 को आयोजित कंपनी की विशेष बैठक में कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी को 200.00 करोड़ रुपये से बढ़ाकर रु. 600 करोड़ रुपये के इक्विटी शेयरों की 60,00,00,000 संख्या से विभाजित कर प्रत्येक शेयर इक्विटी रुपये 10/- की संख्या में की गयी है।

31 मार्च 2022 को कंपनी की प्रदत्त पूंजी में परिवर्तन:

वर्ष 2021-22 के दौरान, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार ने कंपनी की प्रतिबद्ध देनदारियों को पूरा करने के लिए 5.79 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, जो कि इक्विटी शेयर पूंजी के रूप में विभाजित करने के लिए आवश्यक है। तदनुसार कंपनी ने रुपये के इक्विटी शेयरों के 57,80,000 नंबर जारी किए हैं। 10/- प्रति शेयर कुल मिलाकर रु. 5,78,00,000/- राइट्स इश्यू के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारत सरकार को।

इक्विटी शेयरों में राशि के बंटवारे के कारण कंपनी की प्रदत्त पूंजी रुपये 1,00,000/- से रु. 5,79,00,000- रुपये बढ़ा दी गई है। 1,00,000/- से रु. 5,79,00,000- रुपये के इक्विटी शेयरों की 57,90,000 संख्या के रूप में 10/- रु. प्रत्येक इक्विटी शेयरों अनुसार है । इसलिए भारत सरकार के पास कंपनी के कुल शेयरों का 100% हिस्सा है।

वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद कंपनी की प्रदत्त पूंजी में परिवर्तन:

वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद, कंपनी की प्रदत्त पूंजी रुपये 5,79,00,000 से रु. 544,80,92,850 रुपये के इक्विटी शेयरों के 54,48,09,285 नंबरों के रूप में बढ़ा दी गई है प्रत्येक इक्विटी शेयरों की संख्या 10/- के आधार पर। इक्विटी शेयरों के कारण संबंधित अधिकारियों से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने के बाद भारत के राष्ट्रपति को प्राइवेट प्लेसमेंट और राइट इश्यू आधार पर जारी किए गए हैं।

सामान्य रिजर्व :

कंपनी ने निगमन के पहले वर्ष के मद्देनजर वर्ष 2021-22 के दौरान कोई भी राशि सामान्य रिजर्व में स्थानांतरित नहीं की गई है।

लाभांश

चूंकि जीआईएल नवगठित कंपनी है और इसने अपना परिचालन अक्टूबर 2021 से शुरू किया है। इसलिए अधिशेष की केवल न्यूनतम राशि

ही उपयोग की गई है; कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा कंपनी की भविष्य की निधियों की आवश्यकता को देखते हुए किसी लाभांश की सिफारिश नहीं की गई थी। हालांकि, इस संबंध में शेयरधारकों (डीडीपी) से प्राप्त किसी विशेष निर्देश के मामले में उसका वैसा ही पालन किया जाएगा।

निदेशक:

कंपनी के निदेशक मंडल में प्रकार्यात्मक निदेशक और सरकार द्वारा नामित निदेशक शामिल हैं जिन्हें समय-समय पर भारत सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। इसके अलावा, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक सहित प्रकार्यात्मक निदेशकों का कार्यकाल और पारिश्रमिक भारत सरकार द्वारा तय किया जाता है। सरकारी संचार कंपनी के प्रासंगिक नियमों की प्रयोज्यता के प्रावधान सहित उनकी नियुक्ति के विस्तृत नियमों और शर्तों को भी इंगित करता है।

सरकार द्वारा नामित निदेशक किसी पारिश्रमिक/बैठक शुल्क के हकदार नहीं हैं।

शुरूआत में कंपनी की निदेशक संरचना निम्नवत की गयी -

1. श्री विजय कुमार तिवारी

2. श्री सुरेन्द्र धापोडकर

3. श्री सुनील दाते

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, श्री चंद्राकर भारती पारित संकल्प के संचलन द्वारा सरकारी नामित निदेशक के रूप में दिनांक 28.12.2021 को नियुक्त किया गया था। कंपनी अधिनियम की धारा 175 के प्रावधानों के अनुसार पठित नियमों के तहत कार्यालय ज्ञापन सं। 8(32)/2019-डी (समन्वय/डीडीपी) दिनांक 30.11.2021 रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी।

वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों में परिवर्तन:

कंपनी के बोर्ड/केएमपी में निम्नलिखित नियुक्ति/समाप्ति भारत के राष्ट्रपति के निर्देशों के अनुसार प्रभावी हुई:

श्री. राजीव प्रकाश, जेएस (एनएस), डीडीपी, एमओडी (पहचान सं.,: 08590061) को कार्यालय ज्ञापन संख्या 8(32)/ रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 14 सितंबर 2022 को जारी 2019-डी (समन्वय/डीडीपी) द्वारा नियुक्त किया है।

कंपनी के बोर्ड में श्री राजीव प्रकाश की नियुक्ति का स्वागत किया गया। वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा बनने वाली कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में नए नियुक्त निदेशकों की एक संक्षिप्त प्रोफ़ाइल दी गई है। बोर्ड ने अपनी नियुक्ति के कार्यकाल के दौरान श्री चंद्राकर भारती द्वारा प्रदान किए गए महत्पूर्ण समर्थन, योगदान और मार्गदर्शन की बहुत सराहना की।

इसके अलावा, सीएस अर्चना गुप्ता को पूर्णकालिक कंपनी सचिव (मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक) 2 नवंबर 2022 को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 203 के प्रावधानों एवं कार्यकाल के आधार पर नियुक्त किया गया है।

निदेशक मंडल की बैठकों की संख्या:

बोर्ड की बैठकों की संख्या और निदेशक की उपस्थिति का विवरण अब तक संलग्न कॉर्पोरेट प्रशासन रिपोर्ट में उल्लिखित है।

आम बैठकें

- कंपनी के निगमन का पहला वर्ष होने के नाते, वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान कोई आम बैठक आयोजित नहीं किया गया है।
- वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान, कोई विशेष बैठक आयोजित नहीं की गई है।

निदेशक रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त हो रहे हैं

चूंकि संपूर्ण शेयर पूंजी रक्षा मंत्रालय के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति के पास है, इसलिए रोटेशन द्वारा निदेशक की सेवानिवृत्ति के संबंध में कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 152 (6) कंपनी पर लागू नहीं होती है।

निदेशक मंडल की समितियाँ

लेखा परीक्षा समिति

31 मार्च 2022 तक, जीआईएल कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 177 की प्रयोज्यता पर नहीं आती है। हालांकि, आगामी वित्तीय वर्ष में रक्षा मंत्रालय द्वारा स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के बाद समिति का गठन किया जाएगा।

नामांकन और पारिश्रमिक समिति

31 मार्च 2022 तक, कंपनी अधिनियम 2013 के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार जीआईएल प्रयोज्यता पर नहीं आती है। हालांकि, आगामी वित्तीय वर्ष में रक्षा मंत्रालय द्वारा स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के बाद समिति का गठन किया जाएगा।

स्वतंत्र निदेशक द्वारा घोषणा

जीआईएल के बोर्ड में कोई स्वतंत्र निदेशक नियुक्त नहीं किया गया है। हालांकि, स्वतंत्र निदेशक की घोषणा तब ली जाएगी जब उनकी नियुक्ति होगी।

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर):

जीआईएल हमेशा सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल रहा है। एक जिम्मेदार कॉर्पोरेट नागरिक के रूप में, कंपनी समुदाय/समाज के विकास के लिए विभिन्न विकासात्मक पहल और परियोजनाएं चला रही है। कंपनी (कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम 9 के तहत 31.03.2022 तक किए जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अधिनियम की धारा 134 और कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व) नियम, 2014 के नियम 9 कंपनी पर लागू नहीं हैं । हालांकि, कंपनी आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय रूप से उचित प्रभाव डालने की दिशा में वैधानिक आवश्यकताओं से परे जाने का प्रयास करती है।

डीओओ/आईडीईएक्स में योगदान

रक्षा और एयरोस्पेस में नवाचार और प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देने के लिए, रक्षा मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुरूप भारत सरकार द्वारा "रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार" (आईडीईएक्स) शुरू किया गया है। ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड ने आईडीईएक्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से स्टार्ट अप्स को दो समस्या कथन विवरण प्रस्तुत किए हैं: -

1. पैराग्लाइडिंग पैराशूट का डिजाइन और विकास

2. पैरासेलिंग पैराशूट का डिजाइन और विकास

पैराग्लाइडिंग और पैरासेलिंग पैराशूट के विकास ने ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड के उत्थान में एक और पंख लगा दिया है।

बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर)

कंपनी ने आविष्कार, नवाचार और बौद्धिक संपदा अधिकार जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए पहले से ही एक बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) सेल का गठन किया है। रक्षा मंत्रालय की एक पहल, मिशन रक्षा ज्ञान शक्ति द्वारा समर्थित, इन-हाउस के बौद्धिक संपदा अधिकार सृजन की दिशा में विशेष जोर दिया गया। ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड ने एमआरजीएस से संबंधित सभी गतिविधियों को निष्पादित करने के लिए एक नोडल अधिकारी नामित किया है। नोडल अधिकारी आईपीएफ सेल के प्रमुख हैं, जिसमें जीआईएल के अंदर निर्मित उत्पादन, अनुसंधान एवं विकास, गुणवत्ता, खरीद आदि जैसे विविध क्षेत्रों के सभी सदस्य हैं।

जीआईएल ने एमआरजीएस के तहत 02 नग कॉपीराइट और 01 नग ट्रेडमार्क भरे हैं

बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) पर जागरूकता कार्यक्रम:

कंपनी में नवीन संस्कृति और बौद्धिक संपदा अधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाने पर विशेष ध्यान दिया गया है। मानव संसाधन विकास अनुभाग पेटेंट/कॉपीराइट/ट्रेडमार्क के बारे में कर्मचारियों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए समर्पित होकर काम कर रहा है। ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड अपने कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए आईपीआर डोमेन के विशेषज्ञ बाहरी फैकल्टी को भी आमंत्रित करता है। बीईएल द्वारा निर्मित अनुकूलित ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम (सीओएलटी) लिंक कर्मचारियों के मध्य वितरित किया गया है, 'कर्मचारी सीओएलटी में खुद को पंजीकृत करवाएं और ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्राप्त करें।' यह प्रणाली कर्मचारियों को ट्यूटोरियल क्लियर करने के बाद ग्रेडिंग प्राप्त करने में भी मदद करती है। हाल ही में, जीआईएल ने दिनांक 26/08/2022 को निर्माणी से जुड़े विक्रेताओं के लिए बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) पर प्रशिक्षण आयोजित किया। इस कार्यक्रम में कुल 09 विक्रेताओं की उपस्थिति दर्ज की गई।

कृत्रिम बौद्धिकता पहल

कृत्रिम बौद्धिकता तकनीक को अपनाने और लगाने की दिशा में रक्षा मंक्षालय के विशेष ध्यान दिए जाने के अनुरूप, कंपनी वस्तुओं और प्रक्रियाओं की श्रेणी में एक जीवंत एआई पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए एआई आधारित प्रणालियों को सक्षम करने की खोज कर रही है। एआई सक्षम प्रणाली के लिए रोडमैप विकसित करने के लिए एक समर्पित टीम का गठन किया गया है।

ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड, कानपुर अपने कार्यात्मक क्षेत्रों में एआई का लाभ उठाने के लिए प्रतिबद्ध है। रक्षा मंत्रालय के मार्गदर्शन में , जीआईएल 9 एआई परियोजनाओं को 3 साल के एआई रोडमैप के हिस्से के रूप में लेने के लिए प्रतिबद्ध है। परियोजनाएं सभी परिचालन समस्या क्षेत्रों/ अक्षमताओं से संबंधित रहेंगी, चाहे वह भविष्य के रखरखाव की हो या प्रणाली का प्रदर्शन सुधार हो, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, और गुणवत्ता नियंत्रण। जीआईएल ने एआई परियोजनाओं को तेजी से ट्रैक करने के लिए कुशल युवा तकनीक अधिकारियों की एक टीम गठित की है और समस्याओं की पहचान की है जहां समस्या को हल करने के लिए एआई का लाभ उठाया जा सकता है। लागू परियोजनाएं एआई-आधारित पैराशूट फैब्रिक इंस्पेक्शन मशीन, एआई-आधारित बद्धी और टेप सिस्टम और परिधि सुरक्षा के लिए एएल-आधारित कमियों की जांच प्रणाली हैं। टीम उत्साहपूर्वक लक्ष्य की ओर बढ़ रही है और समय के भीतर परियोजना/लक्ष्य प्राप्त कर रही है।

स्टार्टअप इंडिया

स्टार्टअप इंडिया भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है, जिसका उद्देश्य देश में स्टार्टअप संस्कृति को उत्प्रेरित करना और नवाचारों और उद्यमिता के विकास के लिए एक मजबूत मंच तैयार करना है जो आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा करेगा। सरकार की पहल और स्टार्टअप्स की उभरती हुई विशालता का समर्थन करने के लिए, आईडीईएक्स के तहत दो स्टार्टअप चुनौतियों की शुरुआत की गई है।

गुणवत्ता आश्वासन और गुणवत्ता प्रबंधन

स्थापना के पहले दिन से ही, जीआईएल भारतीय सशस्त्र बलों की महत्वपूर्ण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपने उत्पादों के लिए उच्च गुणवत्ता मानकों को बनाए रखने पर लगातार ध्यान केंद्रित कर रहा है। यह बताते हुए गर्व की बात है कि हाल ही में जीआईएल ने अपने बुनियादी ढांचे, संसाधनों और प्रभावी गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के अस्तित्व से संबंधित मानकों को बनाए रखते हुए डीजीक्यूए से एएफक्यूएमएस (फर्म और इसकी गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली का अनुमोदन) प्रमाणन प्राप्त किया है। इस श्रृंखला में, जीआईएल के सभी उत्पादों के एटीपी को क्यूए एजेंसियों के साथ सफलतापूर्वक वर्गीकृत किया गया है। जीआईएल के पास व्यापार और अन्य स्रोतों के माध्यम से प्राप्त कच्चे माल के मापदंडों को मापने के लिए इन-हाउस परीक्षण एनएबीएल मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अंतिम उत्पादों के निर्माण में निर्धारित गुणवत्ता वाले कच्चे माल का उपयोग किया जा रहा है।

प्रमाणन और प्रत्यायन:

कंपनी द्वारा लिए गए प्रमुख प्रमाणपत्र निम्नलिखित हैं:

- गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के लिए आईएसओ 9001:2015
- पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली के लिए आईएसओ 14001:2015
- व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के लिए आईएसओ 45001:2018
- आईएसओ 17025: 2017 वस्त्र परीक्षण प्रयोगशाला के लिए एनएबीएल (विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार के तहत) द्वारा प्रत्यायन के लिए।
- प्रदूषण प्रमाणपत्र
- आयात निर्यात लाइसेंस प्रमाणपत्र
- एएफक्यूएमएस (फर्म और इसकी गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली का अनुमोदन) डीजीक्यूए से प्रमाणन।
- विमानन, अंतरिक्ष और रक्षा उद्योगों में वैश्विक गुणवत्ता मानक के लिए एस9100डी प्रमाणन का कार्य प्रगति पर है।

मानव संसाधन

जनशक्ति/संख्याबल

31 मार्च 2022 तक कुल जनशक्ति 1167 है जिसमें 115 अधिकारी, 172 पर्यवेक्षक, 880 कामगार और शून्य ट्रेडमैन प्रशिक्षु शामिल हैं।

01 अक्टूबर 2021 और 31 मार्च 2022 तक विभिन्न श्रेणियों में अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / पीडब्ल्यूबीडी (यानी, बेंचमार्क विकलांग व्यक्ति) और महिला कर्मचारियों के प्रतिनिधित्व के संबंध में स्थिति अनुबंध 'क' में दी गई है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/पीडब्ल्यूबीडी और महिला कर्मियों की भर्ती का विवरण अनुबंध 'ख' में दिया गया है।

विकलांग व्यक्तियों की भर्ती के लिए 4% का आरक्षण समूह 'क', 'ख', 'ग' और 'घ' श्रेणियों में प्रदान किया गया है, जो विकलांग व्यक्तियों की (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्ण भागीधारी) भागीधारी अधिनियम 1995 के अनुपालन में है और विकलांगता अधिनियम, 2016 के 'विकलांग व्यक्तियों' के अधिकार के अनुपालन में है।

औद्योगिक संबंध

वर्ष के दौरान औद्योगिक संबंध सौहार्दपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण रहा। कुल मिलाकर प्रबंधन और यूनियनों/एसोसिएशनों के बीच औद्योगिक संबंध शांतिपूर्ण बने रहे और कामगार यूनियनों/एसोसिएशनों ने कंपनी के सामान्य उद्देश्य की दिशा में काम करने के लिए प्रबंधन के साथ सहयोग किया। कर्मचारियों की शिकायतों/प्रतिवेदनों को दूर करने के लिए कंपनी में शिकायत निवारण तंत्र भी मौजूद है।

कंपनी का दृढ़ विश्वास है कि स्थिरता, प्रतिस्पर्धी बढ़त और विकास की कुंजी निरंतर सीखने और मानव संसाधन के विकास में ही निहित है। कंपनी विभिन्न शिक्षण और विकास कार्यक्रमों के माध्यम से सभी स्तरों पर कार्यबल की दक्षता बढ़ाने और कौशल उन्नयन के लिए मानव संसाधन विकास पर विशेष ध्यान दे रही है।

ऑन-लाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम:

कोविड-19 महामारी के दौरान, कंपनी ने पारंपरिक क्लास-रूम आधारित प्रशिक्षण से ऑनलाइन कार्यक्रमों में तेजी से परिवर्तन किया, मानव संसाधन से संबंधित विभिन्न विषयों जैसे मानव कल्याण, सतर्कता, स्वास्थ्य, वस्त्र प्रौद्योगिकी, सुरक्षा, आदि पर वेबिनार के माध्यम से विभिन्न कार्यक्रमों के आभासी संचालन के लिए नई शिक्षण और सहयोग तकनीक को अपनाया।

तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रम

तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य उत्पादकता में सुधार करना और विभिन्न विषयों पर इन-हाउस प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करके कर्मचारियों के कौशल का उन्नयन करना और कर्मचारियों की दिन-प्रतिदिन सुरक्षा और स्वास्थ्य सुनिश्चित करना है। पदोन्नत कर्मचारियों के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम भी ऑनलाइन आयोजित किए गए।

जीआईएल द्वारा कौशल विकास और कर्मचारियों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए हाल ही में आयोजित किए गए कुछ प्रशिक्षण कार्यक्रमों की रूपरेखा नीचे दी गई है:

- कर्मचारियों के कल्याण/लाभ के लिए ग्रेच्युटी, ईएसआई/पीएफ, और पर्यावरण और स्वास्थ्य मुद्दों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए।
- अगले छह माह में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए पेंशन सेल द्वारा दिनांक 03/01/2022 से 07/01/2022 तक जीवन की दूसरी पारी पर प्रशिक्षण आयोजित किया गया। दोनों अवधि में कुल 26 कर्मचारी उपस्थित रहे।
- दिनांक 09/03/2022 से 11/03/2022 तक महिलाओं के लिए जीवन एवं कौशल प्रबंधन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें 20 महिलाएं उपस्थित रहीं।
- विशेष निर्देशानुसार सामग्री परीक्षण के महत्व के बारे में जानकारी देने के लिए दिनांक 06/09/2021 से 10/09/2021 तक उक्त विषय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया और प्रत्येक में कुल 35 कर्मचारी उपस्थित रहे।
- 04/10/2021 से 08/10/2021 एवं 08/11/2021 से 12/11/2021 तक 5एस, क्यूएमएस, सेफ्टी एवं टीपीएम प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रत्येक कार्यक्रम में कुल 26 कर्मचारी उपस्थित रहे।
- पीएमओ द्वारा दिनांक 11/10/2021 से 16/10/2021 तक "प्राथमिक चिकित्सा एवं स्वच्छता" पर प्रशिक्षण आयोजित किया गया जिसमें 29 कर्मचारी उपस्थित रहे।

ग्रेच्युटी, ईएसआई/पीएफ, पर्यावरण और स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर कार्यक्रम

जीवन और कौशल का प्रबंधन पर कार्यक्रम

प्राथमिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य पर प्रशिक्षण कार्यक्रम

5एस, क्यूएमएस, संरक्षा एवं टीपीएम पर प्रशिक्षण

अधिशासी अधिकारियों/प्रबंधकों को रक्षा उद्योगों के आधुनिक समय के कारोबार से परिचित कराने और उन्हें सभी महत्वपूर्ण और उभरते क्षेत्रों से संबंधित कौशल प्रदान करने के लिए, अधिकारियों को बाहरी/आंतरिक प्रशिक्षण के लिए नामित किया गया। दिनांक 01/04/2021 से 31/03/2022 तक प्रशिक्षण एवं विकास गतिविधियों की उपलब्धि निम्नानुसार है:-

समूह	मौजूद जनशक्ति	प्रशिक्षण लक्ष्य	मार्च 2022 तक प्रशिक्षण रिपोर्ट			अब तक प्रशिक्षित कार्मिकों की कुल संख्या	
		कार्मिकों की संख्या	इन-हाउस प्रशिक्षित कर्मचारियों की संख्या	ओएफआईएल/ एनएडीपी में प्रशिक्षित कर्मचारियों की संख्या	एक्सट. संस्था में प्रशिक्षित कर्मचारियों की संख्या	संख्या	प्रतिशत
समूह क	21	16	0	25	2	27	169%
समूह ख	87	61	12	75	0	87	143%
समूह ख	87	57	24	93	0	117	205%
अरा.अधि	87	57	24	93	0	117	205%
ओद्यौगिक	105	63	35	21	0	56	89%
कर्मचारी	924	555	447	14	0	461	83%
अनौद्यौ							
कर्मचारी समूह ग	105	63	35	21	0	56	89%

कर्मचारी कल्याण उपाय/मापदण्ड

कंपनी अपने कर्मचारियों की भलाई के लिए प्रतिबद्ध है और मानव संसाधन के मूल्यों का विस्तार करना जारी है, कर्मचारियों के कल्याणकारी उपायों को महत्व देते हुए वैधानिक कल्याण प्रावधानों जैसे कैंटीन सुविधा, कर्मचारी विश्राम कक्ष, प्राथमिक चिकित्सा उपकरण, क्रेच, एम्बुलेंस आदि प्रदान करने का गंभीरता से पालन किया जा रहा है। कंपनी हर साल कर्मचारियों की जरूरत के मुताबिक कल्याण और सुरक्षा के सामान, वर्दी सूट आदि का कपड़ा भी मुहैया करा रही है।

इसके अलावा कंपनी में कर्मचारियों के कल्याण के लिए विभिन्न समितियां कार्य कर रही हैं। जो निम्नवत हैः-

1. **संयुक्त परामर्श तंत्र-4 (जेसीएम-4):** यह कंपनी की सर्वोच्च कल्याण समिति है जो कर्मचारियों के कल्याण के लिए कार्य करती है। जेसीएम--4 के एजेंडा बिंदुओं के विषय व्यक्तिगत प्रकृति से संबंधित मानव संसाधन और नीति से हैं।
2. **कार्य समिति:** यह कर्मचारियों के कल्याण के लिए कंपनी की दूसरी सर्वोच्च समिति है। विभिन्न सुरक्षा उपाय, सिविल कार्य, इष्टतम आउटपुट के लिए कर्मचारी के लिए आवश्यक सामान, समिति के प्रमुख एजेंडे बिंदु हैं।
3. **कैंटीन प्रबंधन समिति:** औद्योगिक कैंटीन का प्रबंधन (जो नाश्ता और दोपहर का भोजन प्रदान करता है) इस समिति के प्रमुख एजेंडे के बिंदु हैं।

कर्मचारियों स्वास्थ्य लाभ के लिए शिविरों, जागरूकता सत्र, प्राथमिक चिकित्सा पर प्रशिक्षण, योग अभियान आदि के माध्यम से समय-समय पर विभिन्न स्वास्थ्य मुद्दों पर जागरूकता प्रदान की जा रही है। सभी कर्मचारी और उनके आश्रित पात्र भी जीआईएल चिकित्सा नीति के अंतर्गत आते हैं।

दिनांक 30/05/2022 को अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग, प्राकृतिक चिकित्सा एवं आयुर्वेद विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया एवं कार्यशाला में कुल 34 कर्मचारियों ने भाग लिया।

योग, प्राकृतिक चिकित्सा एवं आयुर्वेद पर कार्यशाला का आयोजन

इसके अलावा कर्मचारियों के कल्याण के लिए उपलब्ध विभिन्न वित्तीय सहायता, या तो कंपनी के स्वामित्व में हैं या कर्मचारियों के स्वामित्व में हैं, का विवरण निम्नानुसार है:

क्र.सं.	निधि	प्रयोजन	राशि
1.	मृत्यु राहत कोष	मृत कर्मचारी के परिवार के सदस्यों की मदद के लिए तत्काल राहत के रूप में 65,000.00 रुपये गैर-वापसी आधार पर	[निधि का स्रोत-कर्मचारियों के वेतन और अन्य मौजूदा कल्याण निधि से अंशदान]
2.	स्वैच्छिक चिकित्सा सहायता निधि	फंड (वी.एम.ए.एफ) कर्मचारी/आश्रित परिवार के सदस्यों को उनके अनुरोध पर चिकित्सा व्यय का भुगतान करने के लिए वापसी योग्य आधार पर रु. 50,000.00	रु. 50,000.00 [फंड कर्मचारियों की एकमुश्त सदस्यता से जुटाया जाता है]
3.	हितकारी/परोपकारी निधि	नियत मासिक किस्तों पर वापसी योग्य आधार पर कर्मचारी को चिकित्सा व्यय की तत्काल प्रतिपूर्ति के लिए हितकारी निधि	रु. 20,000.00

क्र.सं.	निधि	प्रयोजन	राशि
4.	श्रम कल्याण कोष	राष्ट्रीय पर्वों के आयोजन हेतु	आवश्यकतानुसार [फंड कर्मचारियों के अंशदान से जुटाया जाता है]
5.	क्रीड़ा निधि (स्पोर्टस फंड)	खेलकूद के प्रचार-प्रसार हेतु	आवश्यकतानुसार [फंड कर्मचारियों के अंशदान से जुटाया जाता है]

चिकित्सा जांच /स्वास्थ्य/फिटनेस कार्यक्रम

कंपनी कर्मचारियों के स्वास्थ्य को उच्च स्तर पर महत्व देती है और निरंतर चिकित्सा देखभाल प्रदान करके कर्मचारियों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए अथक प्रयास किए गए हैं। कर्मचारियों के लिए एक स्वस्थ कार्य वातावरण प्रदान करने और उनके परिवारों को स्वस्थ और सुरक्षित रखने के लिए ठोस प्रयास किए गए हैं। कर्मचारियों को बाहरी स्वास्थ्य देखभाल सेटिंग्स में निवारक स्वास्थ्य जांच से गुजरने के लिए भी प्रेरित किया जाता है। कंपनी स्वास्थ्य, बीमारियों और स्वस्थ जीवन के लिए निवारक उपायों को अपनाने के बारे में जानकारी प्रदान करती है और कंपनी में वर्चुअल मोड के माध्यम से कोविड-19 जागरूकता सत्र का भी आयोजन किया जाता है।

औद्योगिक सुरक्षा

ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड की एक इकाई ऑर्डनेंस पैराशूट फैक्ट्री प्रमुख रक्षा संगठन है जिसमें इसके उत्पाद और सेवाएं देश की रक्षा तैयारियों के स्तर और आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं। यह भारत देश का एकमात्र संगठन है, जो मुख्य रूप से सभी प्रकार के एयरक्राफ्ट और पैरा जंप, रबराइज्ड बोट्स और इन्फ्लेटेबल फ्लोट्स के लिए विभिन्न पैराशूट के निर्माण से संबंधित है।

निर्माणी में चिन्हित किए गए संवेदनशील क्षेत्र:

(I) आंतरिक सुरक्षा: रक्षा सुरक्षा कॉर्पस (DSC कार्मिक) और फैक्टरी दरवान द्वारा सुरक्षा किया जाना।

(II) परिधीय सुरक्षा: नागरिक प्राधिकरण

कमांड कंट्रोल सिक्योरिटी ऑफिसर (प्रतिनियुक्ति पर सेना अधिकारी) द्वारा जीआईएल परिसर में चौबीसों घंटे कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की जाती है। यार्ड की मजबूत सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सीसीटीवी कैमरे, नाइट विजन डिवाइस, मेटल डिटेक्टर, दंगा नियंत्रण सेट, बायोमेट्रिक एक्सेस कंट्रोल सिस्टम, फोटो एंट्री पास (आगंतुकों के लिए) जैसे विशेष सिस्टम और उपाय स्थापित/कार्यान्वित किए गए हैं, इनमें से कुछ इस प्रकार हैं:

- निर्माणी के चारों ओर परिधि बाड़ लगाना।
- डीएससी और फैक्टरी दरवान द्वारा मुख्य द्वार पर सुरक्षा के साथ डीएससी द्वारा संचालित चारों कोनों पर गार्ड पोस्ट
- डीएससी कर्मियों की क्यूआरटी टीम चौबीसों घंटे सक्रिय है।
- निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं।
- आपातकालीन से निपटने के लिए, स्थानीय पुलिस और सैन्य अधिकारियों के साथ नियमित संपर्क किया जाता है।

जीआईएल के निर्माणी, कार्यालयों, परिसर आदि की सुरक्षा के लिए आगे की विभिन्न आकस्मिक योजनाओं का विवरण नीचे दिया गया है:

आतंकी हमले/विस्फोट हेतु आपातकालीन योजना	औद्योगिक सुरक्षा नियमावली 2020, सुरक्षा स्थायी आदेश 2007 एवं कारखाने की आंतरिक सुरक्षा योजना के अनुसार आतंकी हमले/विस्फोट हेतु आपातकालीन योजना उपलब्ध।
फायर सर्विस	फायर स्टेशन और फायर टेंडर निर्माणी में उपलब्ध हैं
स्वास्थ्य सेवाएं	इन-हाउस डिस्पेंसरी उपलब्ध है, इसके अलावा, ओईएफ एण्ड पी का संयुक्त चिकित्सालय लगभग 04 किलोमीटर की दूरी पर है।
श्रद्धालुओं की निकासी	श्रद्धालुओं की निकासी निकासी के लिए गेट 03चालू हैं
आपदा प्रबंधन समूह)	आपदा प्रबंधन योजना, जिलाधिकारी, कानपुर द्वारा अनुमोदित
सैन्य प्राधिकरण के साथ संबंध	स्टेशन मुख्यालय, कानपुर कैंट के साथ नियमित रूप से
अहम मौके पर ट्रैफिक डायवर्जन	सीओडी ब्रिज पर ट्रैफिक डायवर्जन
मीडिया मैनेजमेंट	प्रशासनिक अनुभाग (ओपीएफ) द्वारा पीआर टीम नामित

प्रशिक्षु प्रशिक्षण

सरकार के स्किल इंडिया मिशन के अनुरूप, कंपनी ने वर्ष के दौरान 103 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित किया है।

महिला सशक्तिकरण

कंपनी महिला कर्मचारियों के सशक्तीकरण पर सख्ती से ध्यान केंद्रित करती है और उन्हें कंपनी में सभी स्तरों/ग्रेडों में समान अवसर प्रदान करती है।

महिला कर्मचारियों का 31 मार्च 2022 तक कंपनी के कार्यबल मे 8.22 प्रतिशत गठन रहा है।

सुरक्षित कार्य वातावरण प्राप्त करने के लिए महिला कार्यबल के लिए जारी किए गए विभिन्न दिशानिर्देशों का अनुपालन किया जाता है। कंपनी ने प्रतिष्ठित एजेंसियों द्वारा आयोजित कार्यक्रमों के लिए और समय-समय पर कंपनी के लक्ष्य को प्राप्त करने में उत्कृष्टता और योगदान के लिए विभिन्न स्तरों पर पुरस्कार और प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए महिला कर्मचारियों को सक्रिय रूप से सहयोग एवं नामांकित किया जाता किया।

कंपनी में पहले से ही महिला कर्मचारियों के लिए शिशु पालन गृह की सुविधा उपलब्ध है। सेनेटरी पैड वेंडिंग मशीन की स्थिति की समय-समय पर समीक्षा की जाती है ताकि इसका परिचालन आवश्यकता/कार्यप्रणाली सुनिश्चित की जा सके। महिला डॉक्टर (एमबीबीएस-पीएमओ) और प्रशिक्षित नर्स यूनिट के हेल्थ क्लिनिक में नियमित आती हैं। कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम पर आंतरिक शिकायत समिति कंपनी में मौजूद है। उक्त विषय पर विभिन्न रिपोर्ट और डेटा नियमित आधार पर संबंधित अधिकारियों को भेजे जाते हैं। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस हमेशा की तरह धूमधाम से मनाया गया। स्वास्थ्य और स्वच्छता के मुद्दों पर नियमित आधार पर विभिन्न जागरूकता और प्रतिस्पर्धी कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। मानव संसाधन विकास अनुभाग द्वारी इन-हाउस प्रशिक्षण, शैक्षिक और जागरूकता कार्यक्रमों में, संबंधित क्षेत्रों में विशेषज्ञों के व्याख्यान नियमित रूप से आयोजित कराए जाते हैं ताकि महिला कार्यबल एवं उनके पेशेवर कौशल को उनके संबंधित कार्य में नवीनतम तकनीक विकसित किया जा सके।

स्वदेशीकरण और मेक इन इंडिया पहल:

जीआईएल स्वदेशीकरण और मेक इन इंडिया पहल की भारत सरकार की नीति के प्रति प्रतिबद्ध है और 100% स्वदेशीकरण हासिल किया है और "आत्मनिर्भर भारत अभियान" का समर्थन करना जारी है:

- जीआईएल पहले से ही अपनी सभी वस्तुओं का निर्माण स्वदेशी रूप से कर रही है और भारत सरकार की "मेक इन इंडिया" नीति को बढ़ावा दे रही है। जीआईएल लगातार नए उत्पादों के विकास के लिए डीआरडीओ द्वारा स्वदेशी नई तकनीकों को अपना रहा है।
- एडवेंचर स्पोर्ट्स पैराशूट जैसे पैरासेल और पैरा ग्लाइडिंग को आईडीईएक्स मार्ग के माध्यम से विकास के लिए लिया गया है।
- इन स्वदेशी उत्पादों को माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मेगा इवेंट एयरो इंडिया शो - 2021 के अवसर पर लॉन्च किया गया है।

मिशन रक्षा ज्ञान शक्ति (एमआरजीएस):

आत्मानिर्भर भारत पहल, लक्षित पहचान, सृजन और बौद्धिक अधिकारों के संरक्षण पर सरकार के अनुपालन में, जीआईएल ने पिछले 01 वर्ष में 05 पेटेंट, 21 कॉपीराइट और 04 ट्रेडमार्क हासिल किए हैं। कुल 30 आईपीआर दायर किए गए हैं जिनमें से 14 आईपीआर प्रदान किए गए।

खरीद

सरकारी ई-मार्केट प्लेस (जीइएम) के माध्यम से खरीद:

गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस (जीइएम) भारत में सार्वजनिक खरीद के लिए एक ऑनलाइन मंच है। मंच का उद्देश्य समावेशन के साथ-साथ सार्वजनिक खरीद में पारदर्शिता, दक्षता और गति को बढ़ाना है। यह खरीद के सभी तरीके प्रदान करता है, अर्थात, सीधी खरीद, ई-बोली, रिवर्स ई-नीलामी और सीधी रिवर्स नीलामी के साथ बोली लगाना। डिजिटल प्लेटफॉर्म बड़े पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं, कुशल मूल्य खोज और सर्वोत्तम प्रथाओं के प्रसार को सक्षम बनाता है। सामान्य वित्तीय नियम, 2017 के नियम 149 में सन्निहित जीईएम पोर्टल पर उपलब्ध वस्तुओं या सेवाओं के लिए मंत्रालयों या सरकारी विभागों द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की खरीद अनिवार्य कर दी गई है।

जीआईएल, रक्षा मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुरूप जीइएम पोर्टल के माध्यम से सामग्री और सेवाओं की खरीद को अधिकतम करने का प्रयास करता है और जीइएम के माध्यम से खरीद में सुधार के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।

जीआईएल ने वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान 33.86 करोड़ रुपये की सामग्री और सेवाओं की खरीद की है जो वार्षिक लक्ष्य का 84.65% था।

कंपनी ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए जीइएम पोर्टल के माध्यम से लगभग 40 करोड़रुपये की खरीद का लक्ष्य रखा है। चालू वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान जीआईएल ने 30.11.2022 तक 26.77 करोड़ रुपये की खरीद के मुकाबले जेम पोर्टल के माध्यम से 24.32 करोड़ रुपये की सामग्री और सेवाओं की खरीद की है, जो की गई खरीद का 90.83% और रुपये 40 करोड़ के वार्षिक लक्ष्य का 60.80% था।

स्टार्ट-अप को समर्थन:

स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से, कंपनी तकनीकी विशिष्टताओं और गुणवत्ता मानकों से समझौता किए बिना, पूर्व अनुभव और टर्नओवर के संबंध में सरकार के दिशानिर्देशों का पालन कर रही है।

सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसईएस) से खरीद:

भारत के माननीय प्रधान मंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए जो नवाचार को बढ़ावा देता है और अनुसंधान एवं विकास संस्थानों, अग्रणी शिक्षा संस्थानों, उद्योगों, स्टार्ट-अप और यहां तक कि व्यक्तिगत नवप्रवर्तकों को शामिल करके रक्षा में प्रौद्योगिकी विकास को प्रोत्साहित करता है, जीआईएल भारतीय रक्षा क्षेत्र के लिए विभिन्न पैराशूट सिस्टम और इन्फ्लैटेबल उत्पादों से संबंधित नई प्रौद्योगिकियों और उत्पादों के विकास के लिए नए स्टार्टअप और एमएसएमई का समर्थन करने के लिए रक्षा मंत्रालय की पहल यानी आई-डीईएक्स (रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार) के साथ संपर्क में है ।

इस श्रृंखला में, वर्तमान में भारतीय रक्षा क्षेत्र के लिए विभिन्न पैराशूट प्रणालियों और इन्फ्लेटेबल उत्पादों से संबंधित नई, स्वदेशी और नवीन तकनीकों के तेजी से विकास के लिए स्टार्टअप्स के साथ नए अवसर/समस्या विवरण साझा किए जा रहे हैं।

विक्रेता विकास बैठक (वेंडर डेवलपमेंट मीट)

खरीद चक्र को मजबूत करने के लिए, विभिन्न वर्गों के विक्रेताओं, विशेष रूप से एमएसई और एससी/एसटी क्षेत्रों से भारत सरकार की नीतियों के अनुरूप, कंपनी ने वर्ष के दौरान भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई), सोसायटी, भारतीय रक्षा निर्माताओं (एसआईडीएम) आदि द्वारा आयोजित कई बैठकों, वेबिनार और कार्यक्रमों में भाग लिया है।

विक्रेता विकास कार्यक्रम के एक भाग के रूप में, कंपनी ने वर्ष के दौरान विक्रेता बैठकों का आयोजन किया। वर्चुअल वेंडर मीट और जीइएम पर वेंडरों के मार्गदर्शन, प्रशिक्षण और सुग्राही बनाने के लिए मासिक वेंडर विकास कार्यक्रम भी आयोजित किए गए।

सत्यनिष्ठा संधि

रक्षा मंत्रालय और केंद्रीय सतर्कता आयोग के निर्देशों के अनुसार, कंपनी ने 5.00 करोड़ रुपये से अधिक और 100 करोड़ रुपये तक की खरीद लेनदेन / अनुबंधों के लिए इंटीग्रिटी पैक्ट को अपनाया है। समझौता अनिवार्य रूप से संभावित विक्रेताओं/बोलीदाताओं और खरीदार (जीआईएल), के बीच एक समझौते की परिकल्पना करता है जो दोनों पक्षों के व्यक्तियों/अधिकारियों को अनुबंध के किसी भी पहलू/चरण में किसी भी भ्रष्ट प्रथाओं का सहारा नहीं लेने के लिए प्रतिबद्ध करता है। केवल वे वेंडर/बोली लगाने वाले, जो खुद को संधि के लिए प्रतिबद्ध करते हैं, बोली प्रक्रिया में भाग लेने के लिए सक्षम माना जाएगा और खरीदार (जीआईएल), दोनों पक्षों के व्यक्तियों/अधिकारियों को किसी भी पहलू में किसी भी भ्रष्ट आचरण का सहारा नहीं लेने का वचन देगा।

वर्तमान में, श्री भरत कुमार जोग, आईटीएस (सेवानिवृत्त) और डॉ. के.पी. सिंह, आईपीएस (सेवानिवृत्त) कंपनी में इंटिग्रिटी पैक्ट के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए स्वतंत्र बाहरी मॉनिटर (आईईएम) हैं। इस अवधि के दौरान, इंटेग्रिटी पैक्ट अनुबंधों में से किसी ने भी कंपनी के किसी भी विक्रेता से किसी भी प्रकार की शिकायत का मौका नहीं दिया है।

राजभाषा कार्यान्वयन

राजभाषा अधिनियम 1963 (यथासंशोधित 1967), राजभाषा नियम 1976 (संशोधित 1987, 2005 और 2011) के प्रावधानों के अनुरूप तथा राजभाषा कार्यान्वयन के निर्देशों के अनुसार, रक्षा उत्पादन विभाग, भारत सरकार कंपनी राजभाषा हिंदी को कंपनी में अक्षरशः लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। हिंदी में विभिन्न सामाजिक कार्यक्रम नियमित अंतराल पर कार्यान्वित किए जाते हैं। त्रैमासिक हिंदी प्रगति रिपोर्ट संबंधित अधिकारियों को समय पर भेजी जाती है।

विदित हो कि राजभाषा हिन्दी के क्रियान्वयन से संबंधित वार्षिक रिपोर्ट प्रतिवर्ष राजभाषा विभाग को ऑनलाइन भेजा जाता है तथा राजभाषा विभाग से समीक्षा रिपोर्ट भी ऑनलाइन अपलोड किया जाता है। तद्सार राजभाषा कार्यान्वयन/संदर्भित ई-मेल द्वारा मांगा गया वार्षिक प्रगति रिपोर्ट एवं राजभाषा विभाग से प्राप्त समीक्षा रिपोर्ट आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित किया जाता है।

कंपनी के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों और सेमिनारों के माध्यम से राजभाषा के प्रयोग के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। विभिन्न पत्र, कार्यालय-आदेश, परिपत्र, निविदाएं, विज्ञापन, रिपोर्ट आदि द्विभाषी रूप में जारी किए जाते हैं। राजभाषा नियम 1976 के नियम 5 के अनुसार हिंदी में प्राप्त सभी पत्रों का उत्तर हिंदी में ही दिया जाता है। सभी नियमावली, प्रक्रियाएं, विनियम और नीतियां द्विभाषी में हैं।

विशेष उपलब्धि:

यह हर्ष और गर्व का विषय है कि दिनांक 03.11.2022 को अमृतसर में आयोजित क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन के उत्तर में स्थित 'क' क्षेत्र में केन्द्र सरकार के कार्यालयों की श्रृंखला में राजभाषा नीति-निर्देशों एवं हिन्दी का क्रियान्वयन रीजन-2 (उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड) में जीआईएल ने राजभाषा कार्यान्वयन के उत्कृष्ट कार्य के लिए दूसरा स्थान प्राप्त किया है।

आरटीआई अधिनियम 2005 का कार्यान्वयन

पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए, कंपनी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (आरटीआई अधिनियम) के प्रावधानों को अक्षरशः लागू किया है और इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत नागरिकों को जानकारी प्रदान करने के लिए एक उपयुक्त तंत्र स्थापित किया है। आरटीआई अधिनियम की धारा 6(3) के तहत भारत के नागरिकों से प्राप्त आवेदनों के साथ-साथ रक्षा मंत्रालय से स्थानांतरित आवेदनों का निर्धारित वैधानिक समय अवधि के भीतर उत्तर दिया जाता है।

वर्ष 2021-22 के दौरान, कंपनी को 37 आरटीआई आवेदन प्राप्त हुए और सांविधिक समय अवधि के भीतर सूचना प्रदान की गई। 08 आरटीआई आवेदकों ने आरटीआई अधिनियम की धारा 19(1) के तहत अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील की और उनका समयबद्ध तरीके से निपटान किया गया। वर्ष 2021-22 के लिए दायर आरटीआई आवेदनों के लिए केंद्रीय सूचना आयुक्त के समक्ष 31 मार्च 2022 तक कोई मामला लंबित नहीं था। आरटीआई अधिनियम की धारा 4 के तहत निर्धारित विवरण कंपनी की वेबसाइट www.glidersindia.in पर अपलोड किए गए हैं।

सतर्कता गतिविधियाँ

कंपनी के मुख्य सतर्कता अधिकारी श्री विवेक गुप्ता, संयुक्त महाप्रबंधक की अध्यक्षता में उचित सतर्कता तंत्र है। और श्री कोनन कुमार टोप्पो, उपमहाप्रबंधक (सतर्कता) कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए हैं।

सतर्कता विभाग का उद्देश्य निवारक और जासूसी सतर्कता उपायों के प्रभावी संतुलन और प्रणालीगत सुधारों के माध्यम से कंपनी के नैतिक मानकों को बढ़ाना है।

केंद्रीय सतर्कता आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार, 31 अक्टूबर से 06 नवंबर, 2022 के दौरान ओपीएफ (जीआईएल) में सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2022 मनाया गया। सप्ताह की शुरुआत 31 अक्टूबर, 2022 को सत्यनिष्ठा शपथ लेने और गणमान्य व्यक्तियों के संदेशों को पढ़ने के साथ हुई। जीआईएल तथा ओपीएफ जीआईएल की एक इकाई में सप्ताह के दौरान, कार्यशालाएं/सुग्राही कार्यक्रम, ग्राहक बैठक आदि आयोजित की गईं। इसके अलावा, ओपीएफ जीआईएल की एक इकाई में कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए प्रश्नोत्तरी, निबंध, स्लोगन और ड्राइंग/पोस्टर, वाद-विवाद प्रतियोगिता जैसे कार्यक्रम आयोजित किए गए और विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए गए।

स्वच्छ भारत अभियान

भारत सरकार के स्वच्छ भारत मिशन के अनुरूप, जीआईएल ने वर्ष के दौरान कई सफाई गतिविधियां कीं। कंपनी ने प्रोडक्शन शॉप, कनेक्टिंग रोड/पाथ, पार्क आदि की नियमित सफाई गतिविधियों को भी जारी रखा।

वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान, 2 अक्टूबर यानी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के शुभ जन्म दिवस से फैक्ट्री में विशेष स्वच्छता अभियान 2.0 की शुरुआत की गई। ओपीएफ अधिकारियों और कर्मचारियों ने उत्साह से भाग लिया और कई उत्पादन शालाओं और महत्वपूर्ण स्थानों को साफ-सफाई की गयी।

सार्वजनिक स्थानों पर पोस्टर, बैनर और साइनबोर्ड प्रदर्शित करने, स्वच्छता अभियान, वृक्षारोपण अभियान, कंपनी परिसर के अंदर और बाहर फॉगिंग/कीट नियंत्रण गतिविधियों जैसी विभिन्न गतिविधियाँ भी की गईं। कर्मचारियों को किसी भी प्रकार के प्लास्टिक के उपयोग में कमी के सिद्धांत का पालन करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र का वातावरण बनाने के लिए निरंतर प्रयास किए गए हैं। कचरा, ई-कचरा और कीचड़ का निपटान पर्यावरण के अनुकूल तरीके से किया जाना सुनिश्चित किया गया।

2 अक्टूबर 2021 को, परिसर को जोड़ने वाले सड़क/पथ, पार्कों में विशेष स्वच्छता अभियान 2021

आजादी का अमृत महोत्सव

स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए, जीआईएल ने 13 दिसंबर 2021 से 19 दिसंबर 2021 तक "हर घर तिरंगा" कार्यक्रम जैसे विभिन्न कार्यक्रमों के अलावा, आजादी का अमृत महोत्सव समारोह में रक्षा उत्पादों की प्रदर्शनियों का आयोजन किया।

इस दौरान आजादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर सफाई व पौधारोपण अभियान चलाया गया। संयुक्त अस्पताल (ओई एवं पी निर्माणियां कानपुर) के परिसर में स्थित ऐतिहासिक महत्व के स्थान "नाना राव पेशवा मेमोरियल का जीर्णोद्धार" किया गया और वहां एक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। क्विज, पोस्टर प्रतियोगिता, निबंध लेखन प्रतियोगिता और भारत के स्वतंत्रता आंदोलन पर वाद-विवाद जैसी विभिन्न प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया।

आजादी का अमृत महोत्सव समारोह पर कार्यक्रम 13 दिसंबर से 19 दिसंबर तक, 2021

व्हिसिल ब्लोअर नीति:

सार्वजनिक हित और मुखबिरों के संरक्षण के संकल्प (पीआईडीपीआई/पीआईडीआर) पर सीवीसी दिशानिर्देशों के अनुसार धोखाधड़ी और कुप्रबंधन, यदि कोई हो, के मामले से निपटने के लिए कंपनी के पास व्हिसिल ब्लोअर नीति है। पीआईडीपीआई संकल्प के तहत, केंद्रीय सतर्कता आयोग व्हिसिल ब्लोअर से शिकायतें प्राप्त करने के लिए नामित एजेंसी है और व्हिसल ब्लोअर की पहचान सुरक्षित है।

पारिश्रमिक नीति और बोर्ड के प्रदर्शन का मूल्यांकन:

कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय की अधिसूचना संख्या जीएसआर 463(ई) दिनांक 05 जून 2015 के अनुसार, सरकारी कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178(3) के तहत निदेशकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक पर नीति बनाने की आवश्यकता नहीं है। बोर्ड स्तर की नियुक्तियाँ भारत सरकार द्वारा की जाती हैं, ऐसी नियुक्तियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन भी भारत सरकार द्वारा अपनी मूल्यांकन पद्धति के अनुसार किया जाता है।

धारा 186 के तहत ऋण, गारंटी या निवेश का विवरण:

आपकी कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के प्रावधानों के तहत कोई ऋण, गारंटी या कोई निवेश नहीं किया है।

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के संबंध में कंपनी का दायित्व

आपकी कंपनी विभिन्न पृष्ठभूमियों, अनुभवों और विचारों में परिलक्षित विविधता का सम्मान करती है और कर्मचारियों को ऐसा कार्यस्थल प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है जो भेदभाव या उत्पीड़न से मुक्त हो। कंपनी ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुरूप कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम, निषेध और निवारण पर एक नीति अपनाई है।

कंपनी अपने कर्मचारियों को एक सुरक्षित और अनुकूल कार्य वातावरण प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। कंपनी में यौन उत्पीड़न की शिकायतों की जाँच करने ने लिए उपरोक्त अधिनियम के अनुसार एक आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) स्थापित है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत शून्य मामला दर्ज किया गया है।

ऊर्जा का संरक्षण, प्रौद्योगिकी समावेशन और विदेशी मुद्रा आय और व्यय:

एक रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (पीएसई) के रूप में, आपकी कंपनी को अधिसूचना जीएसआर संख्या 680 (ई) दिनांक 4 सितंबर, 2015 के माध्यम से ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण, विदेशी मुद्रा आय और व्यय के संबंध में सूचना के प्रकटीकरण से छूट प्रदान की गई थी। कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8(3) के साथ धारा 134(3)(एम) के प्रावधानों के तहत , ऊर्जा संरक्षण और प्रौद्योगिकी प्रौद्योगिकी समावेशन पर सीमित जानकारी निम्नवत है-

ऊर्जा संरक्षण

(क) ऊर्जा संरक्षण हेतु किए गए उपाय:

कंपनी अपव्यय को कम करने और ऊर्जा के कुशल उपयोग के लिए संचालन और रखरखाव के बेहतर उपायों के माध्यम से ऊर्जा संरक्षण की प्रक्रिया में लगी हुई है।

ऊर्जा संरक्षण हेतु किए गए कुछ उपाय निम्नवत हैं:

- ऊर्जा संरक्षण के लिए ऊर्जा बचत प्रकाश व्यवस्था हेतु एलईडी लैंप का उपयोग
- कारखाने के परिसर/यूनिट और परिसर के भीतर सड़कों पर ऊर्जा बचत प्रकाश व्यवस्था का उपयोग;
- ऊर्जा संरक्षण के लिए सीएफएल फिटिंग लैंप के पारंपरिक मोड को एलईडी लैंप द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है।
- बिजली की बर्बादी को रोकने के लिए रोशनी और बिजली के उपकरणों, अन्य बिजली उपकरणों के कुशल उपयोग के संबंध में कर्मचारियों, श्रमिकों, ठेकेदारों आदि को जागरूक करने के लिए जागरूकता बैठकें आयोजित की गईं।
- उपयोग में नहीं होने पर बिजली, पंखे, एयर कंडीशनर को बंद करने के संबंध में तथा पानी की बर्बादी न हो के संबंध में परिसर मे बैनर/पोस्टर द्वारा तथा निर्देश प्रदर्शित कर कार्मिकों/कामगारों को जागरूक किया जाता है।
- संचालन की कम अवधि के दौरान कंप्रेशर्स का इष्टतम उपयोग।
- ऊर्जा संरक्षण के लिए पावर फैक्टर कंट्रोलर/कैपेसिटर लगाना;
- प्रारंभिक अवस्था में ही किसी भी प्रकार के वायु/बिजली रिसाव का निरीक्षण और तत्काल सुधार किया जाता है।

पानी की खपत में कमी: यूनिट में पानी की खपत को कम करने के लिए विभिन्न कदम उठाए जा रहे हैं-जैसे वर्षा जल संचयन, डी-सिल्टिंग और जल निकायों की बहाली, बोर के पानी की स्थापना और पुन: चक्रित पानी का पुन: उपयोग आदि।

(ख) अतिरिक्त निवेश और ऊर्जा की खपत में कमी के लिए लागू किए जा रहे प्रस्ताव:

ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत का उपयोग :

कंपनी सौर पैनलों की स्थापना द्वारा ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत के रूप में 300 किलोवाट सौर ऊर्जा संयंत्र को मुख्य इकाई की छत के ऊपर स्थापित करने की प्रक्रिया में है।

उपरोक्त (क) और (ख) पर उपायों का प्रभाव ऊर्जा खपत में कमी और माल के उत्पादन की लागत पर परिणामी प्रभाव के लिए

ऊर्जा संरक्षण के लिए शुरू किए गए उपरोक्त उपायों के परिणामस्वरूप कारखाने की इकाई/संयंत्र/कार्यस्थलों पर ऊर्जा दक्षता में सुधार हुआ और बिजली की खपत और उत्पादन लागत में बचत हुई।

प्रौद्योगिकी अवशोषण

प्रौद्योगिकी अवशोषण, अनुकूलन और नवाचार की दिशा में किए गए संक्षिप्त प्रयास:

कंपनी की अनुसंधान एवं विकास रणनीति विश्व स्तर के बुनियादी ढांचे द्वारा समर्थित सर्वोत्तम-इन-क्लास अनुसंधान हस्तक्षेपों के माध्यम से विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी उत्पादों, प्रक्रियाओं और प्रौद्योगिकियों के विकास पर आधारित है।

रक्षा उद्योग में तकनीकी प्रगति के साथ तालमेल रखते हुए, कंपनी जीआईएल में अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न अनुसंधान एवं विकास संस्थानों और अग्रणी शिक्षण संस्थानों के साथ मिलकर सहयोग लेने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इस श्रृंखला में जीआईएल ने पैराशूट डिजाइन और विकास के क्षेत्र में उभरते अवसरों पर संयुक्त रूप से काम करने के लिए आईआईटी कानपुर के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं ताकि जीआईएल के अनुसंधान और विकास गतिविधियों पर जोर दिया जा सके और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय रक्षा और नागरिक क्षेत्र में भारतीय अवसरों की खोज की जा सके। पहले जीआईएल विभिन्न पैराशूट प्रणालियों के डिजाइन और विकास के लिए एडीआरडीई पर निर्भर थी। वर्तमान में जीआईएल से संबंधित विभिन्न समस्या विवरणों को उनके डिजाइन और विकास के लिए आईआईटी के साथ साझा किया जा रहा है। कंपनी के पास इन-हाउस आरएंडडी सुविधाएं हैं, जिसके परिणामस्वरूप लागत में बचत होती है।

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट

डीपीई दिशानिर्देशों के तहत आवश्यक प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट पीएसई के लिए कॉरपोरेट गवर्नेंस को इस रिपोर्ट के अनुबंध 'ग' में रखा गया है।

निगम से संबंधित शासन प्रणाली

जीआईएल कंपनी के मामलों के संबंध में पारदर्शिता, जवाबदेही और सत्यनिष्ठा में विश्वास करती है और कंपनी द्वारा की जाने वाली व्यावसायिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में कॉर्पोरेट प्रशासन के उच्चतम मानकों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। डीपीई द्वारा दिनांक 14.05.2010 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 18(8)/2005-जीएम द्वारा जारी सीपीएसई के लिए कॉरपोरेट गवर्नेंस पर दिशानिर्देशों के अनुसार कॉरपोरेट गवर्नेंस पर एक विस्तृत रिपोर्ट, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी से कॉरपोरेट गवर्नेंस पर शर्तों के अनुपालन पर प्रमाणपत्र के साथ इस रिपोर्ट के अनुबंध 'घ' में रखा गया है।

वित्त वर्ष 2021-22 के लिए कॉरपोरेट गवर्नेंस पर स्व-मूल्यांकन वार्षिक ग्रेडिंग रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी मूल्यांकन ग्रेडिंग की प्रक्रिया में है।

वार्षिक रिटर्न की प्रति:

कंपनी संशोधन अधिनियम, 2017 के अनुसार बोर्ड की रिपोर्ट के साथ फॉर्म एमजीटी-9 (वार्षिक रिटर्न का सार) संलग्न करने की आवश्यकता समाप्त कर दी गई है। जैसा कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 92(3) के तहत आवश्यक है, फॉर्म नंबर एमजीटी-9 में 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक रिटर्न का सार कंपनी की वेबसाइट www.glidersindia.in पर उपलब्ध है।

संबंधित पार्टी लेनदेन:

कंपनी द्वारा प्रमोटरों, निदेशकों, प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों या अन्य नामित व्यक्तियों के साथ कोई संबंधित पार्टी लेनदेन नहीं किया गया है, जो कि बड़े पैमाने पर कंपनी के हितों के साथ संभावित टकराव हो सकता है।

ऋण, गारंटी या निवेश का विवरण

कॉर्पोरेट मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी राजपत्र अधिसूचना संख्या जीएसआर 463 (ई) दिनांक 05 जून 2015 के अनुसार, रक्षा उत्पादन में लगी एक सरकारी कंपनी होने के नाते कंपनी को कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 186 के प्रावधानों से छूट दी गई है।

वैधानिक प्रकटीकरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 (2) के प्रावधानों के तहत कोई भी निदेशक अयोग्य नहीं है। निदेशकों ने कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत आवश्यक प्रकटीकरण किए हैं।

निदेशकों के उत्तरदायित्व विवरण

जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 की उप-धारा (3) के खंड (ग) के तहत आवश्यक है, आपके निदेशक पुष्टि करते हैं कि:

1. वार्षिक खातों की तैयारी में, लागू लेखांकन मानकों का पालन किया गया था और इसमें कोई महत्वपूर्ण विचलन नहीं है;
2. इस तरह की लेखांकन नीतियों का चयन कर उनको लागू किया गया है और निर्णय और अनुमान किए गए हैं जो कि उचित और विवेकपूर्ण हैं ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में और कंपनी के मामलों की स्थिति के बारे में सही और निष्पक्ष जानकारी दी जा सके।
3. कंपनी की संपत्ति की सुरक्षा और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और पता लगाने के लिए निदेशकों ने अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए उचित और पर्याप्त ध्यान रखा गया है।

4. वार्षकि खातों को निदेशकों के सतत चिंतन के आधार पर तैयार किया गया है।
5. निदेशकों ने वित्तीय विवरणों के संबंध में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित किए हैं।
6. निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणाली तैयार की गई है और ऐसी प्रणालियाँ पर्याप्त हैं और प्रभावी ढंग से काम कर रही हैं।

सहायक कंपनी / सहयोगी / संयुक्त उद्यम:

कंपनी की कोई सहायक, सहयोगी और संयुक्त उद्यम कंपनियां नहीं हैं, इसलिए सहायक, सहयोगी और संयुक्त उद्यम कंपनियों के प्रदर्शन और वित्तीय स्थिति से संबंधित जानकारी प्रस्तुत करने की आवश्यकता लागू नहीं है।

जोखिम प्रबंधन

जोखिम प्रबंधन नीति का उद्देश्य कंपनी को निरंतर अपने जोखिमों के प्रबंधन के लिए एक निर्धारित प्रक्रिया को अपनाने और एक संरचित और व्यापक जोखिम प्रबंधन प्रणाली को लागू करने में सक्षम बनाने के इरादे से है जो प्रबंधन को इससे बचने के लिए एक जानकारी के आधार पर निर्णय लेने में मदद करता है। कंपनी का जोखिम प्रबंधन नीति प्रतिकूल उद्योग मंदी, प्रौद्योगिकी में बदलाव और भारतीय साथियों और पड़ोसी देशों से बढ़ते प्रतिस्पर्धी दबावों के मामले में संभावित जोखिमों की पहचान करता है। जीआईएल, निगमन के पहले वर्ष में है, व्यापक नीति निर्माण की प्रक्रिया में है जो जोखिम प्रबंधन प्रशासन संरचना के लिए कार्यान्वयन प्रदान करता है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण

आपकी कंपनी के पास एक आंतरिक नियंत्रण प्रणाली है, जो कंपनी के संचालन के आकार, पैमाने और जटिलता के अनुरूप है। एक अच्छे वित्तीय और वाणिज्यिक अभ्यास को बनाए रखने के लिए प्रबंधन द्वारा लगातार प्रयास किए जाते हैं व्यवसाय के संचालन और स्थिरता एवं दक्षता के लिए। रिकॉर्डिंग और विश्वसनीय, वित्तीय और परिचालन जानकारी प्रदान करने, लागू कानूनों का पालन करने, संपत्ति को नुकसान से बचाने, दुरुपयोग और शारीरिक हानि से बचाने, उचित प्राधिकरण के साथ लेनदेन निष्पादित करने और कॉर्पोरेट नीतियों का अनुपालन सुनिश्चित करने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए रूपरेखा तैयार की गई है। कंपनी ने सुचारू कामकाज और निर्णय लेने के लिए शक्तियों के व्यापक प्रतिनिधिमंडल के साथ व्यापार के संचालन को निर्देशित करने के लिए प्रक्रियाओं और नीतियों को निर्धारित किया है।

सांविधिक लेखापरीक्षक और सांविधिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139(5) के अनुसरण में, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सी&Aएजी) ने एम/एस टंडन सेठ एंड कंपनी (एफआरएन: 002340C), चार्टर्ड अकाउंटेंट, कानपुर को कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों को ऑडिट किया जाता है। निदेशक मंडल उनके मार्गदर्शन और मूल्यवान सेवाओं, सहायता और सहयोग और वार्षिक खातों को समय पर पूरा करने के लिए आभार व्यक्त करता है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट इस रिपोर्ट में संलग्न है। कंपनी के वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियों को छोड़कर कोई ऑडिट योग्यता या प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, सांविधिक लेखापरीक्षकों ने कंपनी में इसके अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा की गई किसी भी धोखाधड़ी की सूचना निदेशक मंडल को नहीं दी है, जिसका विवरण इस रिपोर्ट में प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

लेखापरीक्षकों द्वारा उनकी रिपोर्ट में की गई टिप्पणियां:

कंपनी के वित्तीय वर्ष 2021-22 के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6(बी) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों को सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के साथ टिप्पणियों के संबंध में प्रबंधन द्वारा किए गए उत्तरों/स्पष्टीकरणों के साथ रखा गया है।

लागत लेखा परीक्षक

चूंकि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 के प्रावधानों को कंपनी (लागत रिकॉर्ड और लेखा परीक्षा) नियम, 2014 , वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान कंपनी पर लागू नहीं था, इसलिए लागत लेखा परीक्षक की नियुक्ति नहीं की गई है।

सचिवीय लेखापरीक्षा:

कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के साथ कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 204(1) के प्रावधानों के अनुसरण में, अंकित मिश्रा एंड कंपनी, कंपनी सचिव, फर्म पंजीकरण संख्या S2020UP749900 (सीओपी संख्या 23471) को वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए कंपनी का सचिवीय ऑडिट करने के लिए सचिवीय लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। सचिवीय ऑडिट की रिपोर्ट इस रिपोर्ट के साथ **"अनुबंध ई"** के रूप में संलग्न है और इस रिपोर्ट का हिस्सा है।

सचिवीय लेखा परीक्षक ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि कंपनी की अचल संपत्तियों का नामांतरण अभी कंपनी के नाम पर किया जाना है, जिस पर प्रबंधन ने कहा कि अचल संपत्तियों के नामांतरण के संबंध में औपचारिकताएं प्रक्रियाधीन हैं।

आगे अपनी रिपोर्ट में, उन्होंने कहा कि कंपनी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक नहीं हैं जिसके कारण निदेशक मंडल और समितियों की संरचना के संबंध में कॉर्पोरेट प्रशासन पर डीपीई दिशानिर्देशों की आवश्यकताओं का अनुपालन नहीं किया जा सका।

यह अनुरोध किया जाता है कि जीआईएल, सरकारी कंपनी होने के नाते, कंपनी के स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति का अधिकार भारत के माननीय राष्ट्रपति के पास निहित है।

सचिवीय मानकों और लागू सरकारी दिशानिर्देशों का अनुपालन:

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी ने संस्थान द्वारा जारी अधिनियम के प्रावधानों के तहत निदेशक मंडल की बैठक (एसएस-1) और सामान्य बैठक (एसएस-2) के संबंध में लागू सचिवीय मानकों के प्रावधानों का अनुपालन किया है। कंपनी ने लोक उद्यम विभाग एवं समय-समय पर रक्षा उत्पादन विभाग और अन्य सरकारी प्राधिकरण द्वारा जारी दिशानिर्देशों और नीतियों को भी पालन किया है ।

सामान्य

आपके निदेशकों का कहना है कि निम्नलिखित मदों के संबंध में किसी प्रकटीकरण या रिपोर्टिंग की आवश्यकता नहीं है क्योंकि समीक्षाधीन वर्ष के दौरान इन मदों पर कोई लेनदेन नहीं हुआ:

(क) कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय V के तहत समाविष्ट जमा से संबंधित विवरण।

(ख) कंपनी के कारोबार की प्रकृति में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

(ग) नियामकों या अदालतों या ट्रिब्यूनल द्वारा कोई महत्वपूर्ण और भौतिक आदेश पारित नहीं किया गया है जो कंपनी की चालू स्थिति और भविष्य में कंपनी के संचालन को प्रभावित करता हो।

(घ) वित्तीय वर्ष के अंत और इस रिपोर्ट की तारीख के बीच कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले कोई भौतिक परिवर्तन और प्रतिबद्धताएं नहीं हुई हैं।

अभिस्वीकृति

आपके निदेशक भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग और संबंधित सरकारी प्राधिकरणों को उनके निरंतर समर्थन, सहयोग और संरक्षण के लिए सराहना करते हैं। आपके निदेशक भी भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, लेखा परीक्षकों, बैंकरों आदि से प्राप्त मूल्यवान सलाह और सहयोग के लिए तहे दिल से आभारी हैं।

निदेशक अपने मूल्यवान ग्राहकों का कंपनी पर विश्वास करने के लिए आभार व्यक्त करते हैं और विक्रेताओं, ठेकेदारों और टाई-अप संस्थाओं द्वारा प्रदान किए गए समर्थन और कर्मचारियों, यूनियनों, श्रमिकों, और कंपनी में जिनका भी सहयोग है सभी के समर्पण और प्रतिबद्धता की सराहना करते हैं।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से
कृते **ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड**

विजय कुमार तिवारी
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 09282247

सुरेंद्र धापोडकर
निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ
डीआईएन: 09282248

स्थान : कानपुर
दिनांक : 10/02/2023

एक अक्टूबर 2021 एवं 31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार पदों के विभिन्न संवर्ग में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग/अपंग व्यक्ति एवं महिला कर्मचारियों के प्रतिनिधित्व से संबंधित स्थिति दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं	पदों का वर्गीकरण	एक अक्टूबर 2021 की स्थिति के अनुसार								31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार						
		कुल संख्या		अनुसूचित जाति के कर्मचारियों की संख्या	अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की संख्या	अन्य पिछड़े वर्ग के कर्मचारियों की संख्या	अपंग व्यक्ति के कर्मचारियों की संख्या	महिला कर्मचारी*		कुल संख्या	अनुसूचित जाति के कर्मचारियों की संख्या	अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की संख्या	अन्य पिछड़े वर्ग के कर्मचारियों की संख्या	अपंग व्यक्ति के कर्मचारियों की संख्या	महिला कर्मचारी*	
								सं	%						सं	%
स्थायी		SS	ES													
1	वर्ग 'क'	20	18	02	02	02	00	01	5.55	18	02	02	03	00	01	5.55
2	वर्ग 'ख'	86	86	14	01	18	01	05	5.81	97	15	01	19	01	05	5.15
3	वर्ग 'ख'	155	90	16	03	15	01	05	5.55	80	16	03	16	01	05	6.25
4	वर्ग 'ग'	2928	1006	206	31	229	38	85	8.39	972	207	30	230	38	85	8.74
5	वर्ग 'घ'		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

* राष्ट्रीय महिला आयोग के सिफारिशों के आधार पर महिलाओं की भर्ती संबंधी जानकारी सम्मिलित करने संबंधी दिनांक 27 अगस्त 1999 के रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन एवं आपूर्ति विभाग, नई दिल्ली के पत्र सं. 39(6)/99/डी(बी एण्ड सी) में दिए निर्देशों के अनुसार

01 अक्टूबर 2021 से 31 मार्च 2022 के दौरान की गई पदभर्ती, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग/अपंग व्यक्ति एवं महिला कार्मिकों के सदस्यों द्वारा भरे गए पदों की संख्या, भर्ती में कमीके कारण एवं स्थिति में सुधार हेतु अपनाए गए उपायों से संबंधित स्थिति दर्शाने वाला विवरण

पदों का वर्गीकरण	वर्ष के दौरान भर्ती की गयीं कुल रिक्तियां	अनुसूचित जाति		अनुसूचित जनजाति		अन्य पिछड़ा वर्ग		अपंग व्यक्ति		महिला कार्मिकों की भर्ती*	कमियों के कारण और स्थिति सुधारने हेतु लिए गए उपाय
		आरक्षित रिक्तियां	भर्ती किए गए रिक्त स्थान	आरक्षित रिक्तियां	भर्ती किए गए रिक्त स्थान	आरक्षित रिक्तियां	भर्ती किए गए रिक्त स्थान	आरक्षित रिक्तियां	भर्ती किए गए रिक्त स्थान#		
स्थायी											
वर्ग 'क' (निश्चित अवधि के अधिकारियों सहित)	वर्तमान में जीआईएल के सभी कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर हैं और जीआईएल की संगठनात्मक संरचना प्रक्रियाधीन है।										
वर्ग 'ख'											
वर्ग 'ग' (निश्चित अवधि कर्मचारी, आईटीआई और डिप्लोमा प्रशिक्षुओं सहित)											
वर्ग 'घ' (निश्चित अवधि के कार्मिकों सहित)											

* राष्ट्रीय महिला आयोग के सिफारिशों के आधार पर महिलाओं की भर्ती संबंधी जानकारी सम्मिलित करने संबंधी दिनांक 27 अगस्त 1999 के रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन एवं आपूर्ति विभाग, नई दिल्लीके पत्र सं. 39(6)/99/डी(बी एण्ड सी) में दिए निर्देशों के अनुसार

पिछले वर्ष की रिक्तियों सहित

वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए कॉरपोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट

(कंपनी के निदेशकों की रिपोर्ट का अभिन्न अंग और संलग्नक)

कॉर्पोरेट शासन संहिता के अनुरूप कंपनी का सिद्धांत/धारणा

कॉरपोरेट गवर्नेंस अनुसार कंपनी का सिद्धान्त अपने संचालन के सभी पहलुओं में और शेयरधारकों, कर्मचारियों, ऋणदाताओं और सरकार सहित अपने हितधारकों के साथ अपने सभी इंटरैक्शन में पारदर्शिता, जवाबदेही और इक्विटी के उच्चतम स्तर की आशा करता है। कॉरपोरेट गवर्नेंस एक ऐसा ढाँचा प्रदान करके कॉर्पोरेट उद्देश्यों को पूरा करने में मदद करता है जिसके तहत हितधारक, संगठन के उद्देश्यों को सबसे प्रभावी ढंग से अपनाने के साथ-साथ अपनाए गए कॉर्पोरेट मूल्यों और उद्देश्यों का पालन कर सकते हैं और कॉर्पोरेट नागरिक के रूप में सामाजिक जिम्मेदारियों का निर्वहन भी कर सकते हैं।

सार्वजनिक उद्यम विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी CPSEs 2010 के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन के दिशानिर्देशों के अनुसार कंपनी के कार्यकारी कंपनी सचिव, कंपनी के सचिवीय लेखा परीक्षक से अनुपालन प्रमाण पत्र के साथ कॉर्पोरेट प्रशासन पर रिपोर्ट. भारत सरकार ('डीपीई दिशानिर्देश'), डीपीई के कार्यालय ज्ञापन संख्या 18(8)/2005-जीएम दिनांक 14 मई 2010 के द्वारा रिपोर्ट के अंत में दिया गया है।

निदेशक मंडल

कंपनी के निदेशक मंडल में कार्यात्मक निदेशक और सरकार द्वारा नामित निदेशक शामिल हैं जिन्हें समय-समय पर भारत सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। कंपनी के निदेशक मंडल अनुभवी, योग्य तथा अपने कार्य में कुशल हैं, जो अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में, कंपनी के व्यवसाय, समग्र रणनीति, में यह सुनिश्चित करते हैं कि कंपनी का उद्देश्य हितधारकों के हित और इसकी संभावनाओं के साथ अच्छी तरह से जुड़ा है। बोर्ड कंपनी के समग्र कामकाज की देखरेख करता है और रणनीतिक निर्देश देता है और आवश्यकताओं की आपूर्ति के लिए उत्तरदायी है। कंपनी के निदेशक मंडल एक अच्छे कॉर्पोरेट प्रशासन को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

निदेशक मंडल की संरचना

31 मार्च 2022 तक, कंपनी के निदेशक मंडल में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और 01 सरकारी नामित निदेशक सहित 03 कार्यात्मक / पूर्णकालिक निदेशक शामिल थे।

डीपीई दिशानिर्देश के अनुसार, कम से कम 02 कार्यात्मक पूर्णकालिक निदेशक और 02 अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक होने चाहिए।

कंपनी के बोर्ड की संरचना कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') और डीपीई दिशानिर्देशों के प्रावधानों द्वारा शासित होती है। एक सरकारी कंपनी होने के नाते, निदेशकों को नियुक्त करने का अधिकार अनुच्छेद संख्या के अनुसार भारत के राष्ट्रपति के पास निहित है। कंपनी के अंतर्नियमों के 88 (ए), हालांकि कंपनी को डीपीई दिशानिर्देश, 2010 के खंड 3.1.4 की आवश्यकता के अनुसार कंपनी के बोर्ड में किसी स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति से संबंधित कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है। .

31 मार्च 2022 तक बोर्ड के सदस्यों का विवरण नीचे दिया गया है:-

क्र.सं.	निदेशक का नाम एवं पदनाम	निदेशक पहचान सं	अन्य पदधारित निदेशक के नाम	अन्य कंपनियों से समिति सदस्यों की सं.	
				अध्यक्ष	सदस्य
कार्यात्मक/पूर्णकालिक निदेशक					
1.	श्री विजय कुमार तिवारी (अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक)	09282247	निल	निल	निल
2.	श्री सुरेन्द्र धापोडकर (निदेशक/वित्त एवं सीएफओ)	09282248	निल	निल	निल
3.	श्री सुनील दाते (निदेशक/संचालन एवं मानव संसाधन)	09282249	निल	निल	निल
सरकार द्वारा नामित निदेशक					
4.	श्री चन्द्रकर भारती सरकार द्वारा नामित निदेशक (14.09.2022 पदच्युत)	02599261	3	निल	निल

* श्री राजीव प्रकाश को श्री चंद्राकर के स्थान पर नामिनी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। 14 सितंबर, 2022 कार्यालय ज्ञापन सं. 8(32)/2019-डी (समन्वय/डीडीपी) रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी।

वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान नियुक्त निदेशकों की संक्षिप्त प्रोफ़ाइल:

श्री विजय कुमार तिवारी, 14.08.2021 को प्रथम अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, के रूप में ग्लाइडर्स इंडिया के बोर्ड में नियुक्त हुए तथा 01 अक्टूबर 2021 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया। उन्होंने दो आयुध निर्माणियों अर्थात उच्च विस्फोटक फैक्ट्री खड़की और आयुध निर्माणी भंडारा के महाप्रबंधक के रूप में कार्य किया है तथा एनआईटी भोपाल से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक और कंप्यूटर एप्लीकेशन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा धारित हैं।

बीएचईएल हरिद्वार के संक्षिप्त अनुभव के साथ, ही मार्च 1988 में भारतीय आयुध निर्माणी सेवाओं में शामिल हो गए, तब से उन्होंने कई औद्योगिक प्रतिष्ठान के लगभग सभी विभागों में विभिन्न स्थानों और विभिन्न स्तरों पर अनुभव प्राप्त किया है जैसे- उत्पादन, गुणवत्ता, रखरखाव, सूचना प्रौद्योगिकी, उत्पादन योजना, खरीद, इंजीनियरिंग विभाग इत्यादि। कॉर्पोरेट स्तर पर काम करने से उन्हें सभी निर्माणियों के लिए पूंजी अधिग्रहण की योजना बनाने में मदद मिली। शॉपफ्लोर स्तर, फैक्ट्री हेड स्तर और कॉर्पोरेट स्तर पर काम करने के उनके व्यापक, समृद्ध और विविध अनुभव ने उन्हें संगठन के समग्र विकास के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक रणनीतिक निर्णय लेने में सक्षम बनाया है।

श्री सुरेंद्र धापोडकर, 14.08.2021 को ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड के निदेशक मंडल में प्रथम निदेशक/वित्त एवं सीएफओ के रूप में नियुक्त किया गया है। वह मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक हैं, और भारतीय इंजीनियरिंग सेवा 1990 बैच के अधिकारी हैं। श्री धापोडकर आईओएफएस में शामिल होने से पहले 20 महीने के लिए ओएनजीसी (आईसीपी-प्लेटफॉर्म) के ऑफशोर बॉम्बे हाई फील्ड ऑफशोर से जुड़े रहे हैं। निदेशक मंडल में शामिल होने से पहले, उन्होंने हेवी व्हीकल फैक्ट्री चेन्नई में एक अपर महाप्रबंधक, प्रथम सचिव तकनीकी (भारतीय दूतावास मास्को, रूस) और ओएफ कानपुर, ओएफ अंबाझरी में विभिन्न पदों पर काम किया है। उनके पास उत्पादन, रखरखाव, खरीद और परियोजना आदि के संचालन का 33 से अधिक वर्षों का अनुभव है। उन्होंने रक्षा उत्पादन विभाग द्वारा संचालित विभिन्न रूसी उद्योगों और परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए भारतीय दूतावास मास्को में प्रथम सचिव के रूप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण एवं उत्कृष्ट कार्य निष्पादन किया है।

रखरखाव के क्षेत्र में उनके नवाचार कार्य के लिए उन्हें 2009 में आयुध भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्होंने एचवीएफ और गोला बारूद हार्डवेयर उत्पादन (आयुध निर्माणी अंबाझरी और आयुध निर्माणी कानपुर) में टैंक उत्पादन तकनीक (टी-90, टी-72, अर्जुन) के लिए भी योगदान दिया है।

श्री सुनील दाते, निदेशक/संचालन एवं मानव संसाधन को ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड के बोर्ड में दिनांक 14.08.2021 से प्रथम निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। उन्होंने 1988 में इलेक्ट्रॉनिक्स और दूरसंचार इंजीनियरिंग में स्नातक किया है और ओएफ संगठन में शामिल होने से

पहले डेढ़ साल के लिए बीएचईएल के औद्योगिक प्रणाली समूह से जुड़े थे। श्री 1989 बैच के एक आईओएफए अधिकारी हैं, श्री दाते जीआईएल में निदेशक/ संचालन एवं मानव संसाधन के रूप में चुने जाने से पहले एचएपीएफ, ओएफआईटी, ओएफपीएम और ओएफएजे जैसे विभिन्न आयुध कारखानों में महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है। उन्हें विभिन्न आयुध कारखानों में रखरखाव, खरीद, गुणवत्ता, अनुसंधान एवं विकास और उत्पादन के क्षेत्र में 30 से अधिक वर्षों का समृद्ध अनुभव है। उन्होंने आयुध निर्माणी अंबाझरी में गुणवत्ता और रखरखाव प्रभागों का नेतृत्व किया और संयंत्र और प्रक्रिया आधुनिकीकरण, अनुमानित रखरखाव और उद्योग 4.0 अवधारणाओं के कार्यान्वयन में उल्लेखनीय योगदान दिया है।

श्री दाते बीईई की 2005 की परीक्षा से योग्य एनर्जी ऑडिटर हैं और भारत में शीर्ष 10 में शामिल हैं। वह बीआईएस की ऊर्जा प्रबंधन और ऊर्जा बचत अनुभागीय समिति के सदस्य भी रहे हैं।

श्री चंद्राकर भारती को 30 नवंबर, 2021 से कंपनी के सरकारी नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। वह दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से इंजीनियरिंग स्नातक हैं, सितंबर 1996 में भारतीय प्रशासनिक सेवा में शामिल हुए थे। उन्होंने सार्वजनिक प्रबंधन में एम.एससी एवं लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस, यूके से नीति की डिग्री भी हासिल की है।

उनके पास सिविल सेवा में 25 से अधिक वर्षों का अनुभव है और उन्होंने विभिन्न महत्वपूर्ण कार्यभार संभाले हैं, जिनमें अपर आयुक्त, बिक्री कर विभाग, भारत सरकार शामिल हैं। दिल्ली के एनसीटी; निदेशक, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय; केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी में विभिन्न सरकारी विभागों जैसे कृषि, वित्त और योजना, उद्योग और वाणिज्य, सूचना प्रौद्योगिकी आदि में विकास आयुक्त भी रहे हैं। उन्होंने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और सरकार के पर्यावरण और वन विभागों में भी कम अवधि के लिए सेवा दी है।

(* डीडीपी द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन द्वारा निदेशक पद से हटा दिया गया; एमओडी, भारत सरकार दिनांक 14 सितंबर 2022)

वित्त वर्ष 2021-22 की समाप्ति के बाद निदेशक की नियुक्ति:

श्री राजीव प्रकाश को कंपनी के सरकारी नामित निदेशक के रूप 14 सितंबर, 2022 से नियुक्त किया गया है।

श्री राजीव प्रकाश सेंट स्टीफंस कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय से से बी.ए. ऑनर्स, अंग्रेजी में और सामाजिक अध्ययन संस्थान, इरास्मस विश्वविद्यालय से विकास अध्ययन में एम.ए. हैं। वह 1995 बैच के भारतीय डाक और दूरसंचार लेखा और वित्त सेवा अधिकारी (IP&TAFS) हैं।

श्री राजीव प्रकाश के पास वित्त के क्षेत्र में व्यापक अनुभव है और वे भारत सरकार में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं। रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार में संयुक्त सचिव (नौसेना प्रणाली) के रूप में शामिल होने से पहले जून, 2022 में, उन्होंने उप महानिदेशक के पद पर(वायरलेस योजना और वित्त), दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय में काम किया है। इसके अलावा, वह 2.5 से अधिक वर्षों के लिए भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड में सरकार द्वारा नामित निदेशक भी थे।

अन्य निदेशक: श्री राजीव प्रकाश गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड और ट्रूप कम्फर्ट्स लिमिटेड में सरकार द्वारा नामित निदेशक भी हैं। वह कंपनी के किसी अन्य निदेशक से संबंधित नहीं हैं और कंपनी में कोई शेयर नहीं रखते हैं।

डायरेक्टर शेयरहोल्डिंग

31 मार्च, 2022 तक GIL के किसी भी निदेशक के पास कंपनी का कोई इक्विटी शेयर नहीं है।

निदेशक मंडल की बैठकों की संख्या और निदेशकों की उपस्थिति का विवरण:

निदेशक मंडल कंपनी के परिचालन और वित्तीय प्रदर्शन की समीक्षा करने, नीतियों और रणनीतियों को तैयार करने, आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का मूल्यांकन करने और सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार किए जाने वाले नियामक अनुपालन की निगरानी के लिए नियमित अंतराल पर मिलते/ बैठक करते हैं।

31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान, बोर्ड की 07 (सात) बैठकें 19.08.2021, 17.09.2021, 01.10.2021, 01.12.2021, 18.01.2022, 04.03.2022 और 31.03.2022 को आयोजित की गईं। किन्हीं दो बैठकों के बीच अधिकतम समय अंतराल 120 दिनों से अधिक नहीं था जो कंपनी अधिनियम, 2013 और डीपीई दिशानिर्देश के तहत निर्धारित अवधि के भीतर था।

वित्तीय वर्ष के लिए बोर्ड की बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति 31 मार्च, 2022 तक निम्नानुसार हैं:

क्र. सं.	नाम	संबंधित कार्यकाल के दौरान आयोजित बोर्ड की बैठकों की संख्या	उपस्थित, बोर्ड की बैठकों की संख्या
1.	श्री विजय कुमार तिवारी (अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक)	07	07

क्र. सं.	नाम	संबंधित कार्यकाल के दौरान आयोजित बोर्ड की बैठकों की संख्या	उपस्थित, बोर्ड की बैठकों की संख्या
2.	श्री सुरेन्द्र धापोडकर (निदेशक वित्त और सीएफओ)	07	07
3.	श्री सुनील दाते (निदेशक संचालन एवं मानव संसाधन)	07	07
4.	श्री चंद्राकर भारती* (सरकार द्वारा नामित निदेशक)	03	02

* श्री चंद्राकर भारती को सरकारी नामित निदेशक के रूप में 28.12.2021 से नियुक्त किया गया था। डीडीपी द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन दिनांक 14 सितंबर 2022 को निदेशक पद से हटा दिया गया है।

- **आम बैठकें**
  - कंपनी के निगमन का पहला वर्ष होने के नाते, वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान कोई वार्षिक आम बैठक का आयोजन नहीं किया गया।

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार सहायक दस्तावेजों के साथ बोर्ड की बैठक की सूचना और एजेंडा अग्रिम में निदेशकों के बीच परिचालित किया जाता है। इससे बोर्ड के सदस्यों को अच्छी तरह से सूचित निर्णय लेने और एजेंडे के संरचना के बारे में चर्चा करने में मदद मिलती है। बोर्ड के सदस्य, अध्यक्ष की अनुमति से बोर्ड के विचारार्थ महत्वपूर्ण मुद्दे उठा सकते हैं। यदि आवश्यक हो, तो बोर्ड की बैठकों में चर्चा की जा रही मदों के लिए अतिरिक्त जानकारी प्रदान करने के लिए वरिष्ठ प्रबंधन को भी बुलाया जाता है। निदेशकों को बोर्ड की बैठकों में भाग लेने में सक्षम बनाने के लिए वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा भी प्रदान की जाती है। अत्यावश्यक मामले में, बैठके अधिनियम के तहत अल्प सूचना पर भी बुलाई जाती हैं।

बोर्ड की समिति

निदेशकों को नियुक्त करने की शक्ति कंपनी के एसोसिएशन के अनुसरण में अनुच्छेद संख्या 88 (ए) के अनुसार भारत के राष्ट्रपति के पास निहित है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी को कंपनी के बोर्ड में किसी भी अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक की नियुक्ति से संबंधित कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है, जिसके परिणामस्वरूप खंड 4 और 5 के डीपीई दिशानिर्देश, 2010 के तहत आवश्यक बोर्ड समितियों का गठन नहीं हुआ है।

निदेशकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक

जीआईएल केंद्र सरकार का एक सार्वजनिक उद्यम है, कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और अन्य कार्यात्मक निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है, उनका कार्यकाल, पारिश्रमिक और संबंधित अन्य नियम एवं शर्तें उनके नियुक्ति पत्र/आदेश में उल्लिखित हैं।

31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और कार्यकारी निदेशकों को भुगतान किए गए पारिश्रमिक का विवरण नीचे दिया गया है:

क्र.स.	नाम/पद	वेतन/ पारिश्रमिक	आईटी नियमों के अनुसार वेतन अनुलाभ	जीपीएफ/एनपीएस/ डीएसओपीएफ में योगदान	योग
1.	श्री विजय कुमार तिवारी (अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक)	18.04	0	1.12	19.16
2.	श्री सुरेन्द्र धापोडकर (निदेशक वित्त और सीएफओ)	17.57	0	0.92	18.49
3.	श्री सुनील दाते (निदेशक संचालन एवं मानव संसाधन)	18.20	0	0.66	18.86

सरकारी नामित निदेशक को कोई पारिश्रमिक या बैठक शुल्क का भुगतान नहीं किया जाता है। कंपनी अपने निदेशकों को कोई कमीशन नहीं देती है और न ही उन्हें स्टॉक विकल्प जारी करती है।

मूल्यांकन के मानदंड

चूंकि बोर्ड स्तर की नियुक्तियां भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती हैं, निदेशकों के प्रदर्शन का मूल्यांकन भी भारत सरकार द्वारा किया जाता है।

सतत विकास और कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति (एसडी और सीएसआर समिति)

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और स्थिरता / सामाजिक पहल अनिवार्य प्रावधान और कंपनियों पर वैधानिक दायित्व के तहत सामाजिक कल्याण गतिविधियों जैसे पर्यावरण के संरक्षण के लिए वृक्षारोपण, स्वास्थ्य और स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए विशेष सफाई अभियान, स्वस्थ जीवन के लिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आदि रिपोर्ट के दौरान ओपीएफ(जीआईएल की एक इकाई) से लिया गया है।

हालांकि, सीएसआर समिति के गठन और सीएसआर व्यय से संबंधित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के प्रावधान कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व) नियम, 2014 के साथ वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान लागू नहीं थे।

स्वतंत्र निदेशकों की बैठक

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कोई अंशकालिक/गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक नहीं है। इसलिए स्वतंत्र निदेशकों की कोई बैठक नहीं हुई।

बोर्ड के सदस्यों का प्रशिक्षण

निदेशक मंडल 31 मार्च, 2022 तक बोर्ड के सदस्यों के प्रशिक्षण के लिए एक नीति अपनाने की प्रक्रिया में है।

व्यापार आचार संहिता और नीति

निदेशक मंडल 31 मार्च, 2022 तक डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार व्यापार आचार संहिता और नीति पर एक पॉलिसी अपनाने की प्रक्रिया में है। बोर्ड के सभी सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों ने व्यापार आचार संहिता और नीति के अनुपालन की पुष्टि की है। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा इस आशय की घोषणा इसके साथ संलग्न है।

व्हिसल ब्लोअर नीति

निदेशकों की रिपोर्ट में कंपनी के लिए व्हिसल ब्लोअर नीति तैयार करने का विवरण दिया गया है।

जोखिम प्रबंधन

निदेशकों की रिपोर्ट में कंपनी के लिए एक जोखिम प्रबंधन नीति के विकास और कार्यान्वयन का संकेत देने वाला विवरण दिया गया है।

शेयरहोल्डिंग पैटर्न

31 मार्च, 2022 तक शेयरहोल्डिंग पैटर्न नीचे दिया गया है:

क्र.सं.	शेयरधारकों की श्रेणी	धारित शेयरों की संख्या	धारित शेयरों की राशि (रु.)	कुल प्रदत्त पूंजी के लिए धारित शेयरों का %
1.	भारत सरकार भारत के राष्ट्रपति	54,48,09,279	544,80,92,790	100.00%
	योग	**54,48,09,279**	**544,80,92,790**	**100.00%**

शेयरों और शेयरों के हस्तांतरण प्रणाली का डीमटेरियलाइजेशन

जीआईएल के सभी इक्विटी शेयर भौतिक रूप में धारित हैं, MoD, DDP, भारत सरकार के आदेश पर हस्तांतरणीय हैं।

शिक्षा निवेश और संरक्षण कोष में स्थानांतरण

कंपनी के निगमीकरण का पहला वर्ष होने के नाते और वित्तीय वर्ष के दौरान कोई लाभांश घोषित नहीं किया गया था, अधिनियम की धारा 124 के प्रावधानों के तहत लाभांश से संबंधित कोई राशि निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि ('आईईपीएफ') में स्थानांतरित नहीं की गई है। अतः अधिनियम की धारा 124 एवं 125 का अनुपालन लागू नहीं होता है।

संचार के साधन

कंपनी की वेबसाइट www.glidersindia.in अंग्रेजी और हिंदी में कंपनी के व्यवसाय, उत्पादों, सेवाओं, सुविधाओं, प्रबंधन, मानव संसाधन, भर्ती, विक्रेता पंजीकरण, निविदाओं, ई-प्रोक्योरमेंट, सतर्कता, आरटीआई, अन्य अद्यतन समाचार इत्यादि के विवरण सहित व्यापक जानकारी प्रदान करती है। कंपनी की वेबसाइट पर 'कॉर्पोरेट गवर्नेंस' टैब में वार्षिक रिपोर्ट, नोटिस और घोषणाएं भी हैं।

वार्षिक आम बैठक की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट जिसमें वित्तीय विवरण और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट शामिल है, को सदस्यों और अन्य लोगों को इसके लिए परिचालित किया जाता है। हरित पहल के रूप में, कंपनी उपरोक्त दस्तावेजों को उन शेयरधारकों जिन्होंने कंपनी के साथ अपनी ईमेल आईडी पंजीकृत की है और वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रतियों का विकल्प नहीं चुना है को प्रसारित करने के लिए ईमेल का उपयोग करती है । कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी और कंपनी की वेबसाइट पर भी पोस्ट की जाएगी।

शेयरधारकों के लिए अतिरिक्त/सामान्य जानकारी

पहली वार्षिक आम बैठक
दिनांक: 20 फरवरी 2023; सोमवार
समय: 12.30 बजे
स्थान / पंजीकृत कार्यालय: आयुध उपकरण निर्माणी
जी.टी. रोड, कानपुर-208013, उत्तर प्रदेश, भारत
फ़ोन नं: 0512- 2989174. फ़ैक्स: 0512- 2989174
ईमेल: Corporate@glidersindia.in
वेबसाइट: www.glidersindia.in

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से
कृते **ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड**

विजय कुमार तिवारी
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 09282247

सुरेंद्र धापोडकर
निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ
डीआईएन: 09282248

स्थान : कानपुर
दिनांक : 10/02/2023

घोषणा

केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम 2010 के लिए कार्पोरेट अभिशासन पर सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के प्रावधानों के अंतर्गत, एतद् द्वारा यह घोषित किया जाता है कि, 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष में ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड के निदेशकों तथा वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों के लिए निर्धारित आचार संहिता का सभी मंडल सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों द्वारा अभिपुष्ट अनुपालन किया गया है।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से
विजय कुमार तिवारी
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
पहचान सं.: 09282247

स्थान : कानपुर
दिनांक: 10 फरवरी, 2023

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट

वैश्विक परिदृश्य

मिलिट्री पैराशूट मार्केट 2031 तक $2.0 बिलियन प्राप्ति की संभावना: एलाइड मार्केट रिसर्च के अनुसार

क्षेत्रीय संघर्षों के कारण बढ़ती सुरक्षा चिंता और सैन्य अनुप्रयोगों में यूएवी पैराशूट की मांग में वृद्धि, वैश्विक सैन्य पैराशूट बाजार के विकास को गति देती है। विविध उत्पादों में, कैनोपी पैराशूट सेगमेंट ने 2021 में प्रमुख भागीदारी हासिल की। क्षेत्रवार, एशिया-प्रशांत में 2031 तक सबसे तेज (वार्षिक विकास दर) सीएजीआर प्रदर्शित करेगा।

11 नवंबर, 2022 ईटी | स्रोत: एलाइड मार्केट रिसर्च

पोर्टलैंड, ओआर, 11 नवंबर, 2022 (ग्लोब न्यूजवायर) -- एलाइड मार्केट रिसर्च द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, वैश्विक सैन्य पैराशूट बाजार का 2021 में $1.1 बिलियन का अनुमानित लक्ष्य था और 2031 तक $2.0 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। 2022 से 2031 तक दर्ज चक्रवृद्धि वार्षिक विकास दर (सीएजीआर) 5.9% है। वैश्विक सैन्य पैराशूट बाजार का विश्लेषण, प्रकार, वितरण चैनल, दवा वर्ग प्रकार और क्षेत्र में किया जाता है। उत्पाद प्रकार के अनुसार, राउंड टाइप (कैनोपी) पैराशूट खंड ने 2021 में वैश्विक सैन्य पैराशूट बाजार के दो/पांचवें हिस्से से अधिक की कमाई की और 2031 के अंत तक अपने रूस्ट(मंच) पर शासन करेगा।

अपने घटकों के आधार पर, कैनोपी पैराशूट ने 2021 में वैश्विक बाजार का लगभग दो/पांचवां हिस्सा रखा, और 2031 तक इसके पूर्ण प्रभुत्व की उम्मीद है। दूसरी ओर, टेप्स सेगमेंट, पूर्वानुमान अवधि के दौरान 7.3% का सबसे तेज सीएजीआर (चक्रवृद्धि वार्षिक विकास दर) प्रकट करेगा। आवेदन के आधार पर, कार्मिक पैराशूट सेगमेंट 2021 में कुल बाजार राजस्व के तीन-चौथाई से अधिक के लिए जिम्मेदार है और 2031 के अंत तक अपना प्रभुत्व बनाए रखने का अनुमान है। इसी समय, कार्गो पैराशूट सेगमेंट पूर्वानुमान अवधि में सबसे तेज सीएजीआर (चक्रवृद्धि वार्षिक विकास दर) 7.3% प्रदर्शित करेगा।

क्षेत्र के आधार पर, उत्तरी अमेरिका के बाजार ने 2021 में वैश्विक बाजार राजस्व का लगभग दो-पांचवां हिस्सा उत्पन्न किया और 2031 तक बड़ा हिस्सा बनाए रखने का अनुमान है। एशिया-प्रशांत क्षेत्र पूर्वानुमान में सीजीएआर (वार्षिक विकास दर) 7.8% का सबसे तेज सीएजीआर प्रदर्शित करेगा।

वैश्विक सैन्य पैराशूट बाजार रिपोर्ट में विश्लेषण किए गए प्रमुख बाजार के निवेशकों (खिलाड़ियों) में एयरोडाइन रिसर्च, एलएलसी, एयरबोर्न सिस्टम्स, बीएई सिस्टम्स, बॉलेंजर इंटरनेशनल, एलएलसी, टैक्टिकल पैराशूट डिलिवरी सिस्टम्स, बटलर पैराशूट सिस्टम्स, सीआईएमएसए इंजेनिएरिया डी सिस्तेमास, एसए, एफएक्ससी कॉर्पोरेशन, मैगम सेफ्टी इत्यादि शामिल हैं।

भारतीय परिदृश्य

2022 में भारत का रक्षा बजट 69.3 बिलियन डॉलर है। 2023-27 के दौरान बाजार के 4% से अधिक (चक्रवृद्धि वार्षिक विकास दर) सीएजीआर के बढ़ने की उम्मीद है। भारतीय रक्षा आधुनिकीकरण कार्यक्रमों को ऐतिहासिक रूप से शत्रुतापूर्ण देशों को अपने संप्रभु क्षेत्र को धमकी देने से रोकने के लिए एक मजबूत निवारक क्षमता बनाए रखने की आवश्यकता से प्रेरित किया गया है। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने सैन्य तंत्र के पुनर्गठन के लिए कई सुधार शुरू किए हैं।

भारतीय रक्षा बाजार सशस्त्र बलों (सेना, नौसेना और वायु सेना) और (फिक्स्ड-विंग एयरक्राफ्ट, रोटरक्राफ्ट, ग्राउंड व्हीकल, नेवल वेसल्स, सी4आईएसआर, हथियार और गोला-बारूद, सुरक्षा और प्रशिक्षण उपकरण, और मानव रहित सिस्टम) में विभाजित है। यह रिपोर्ट बाजार के आकार एवं उपरोक्त सभी विभागों के पूर्वानुमानों के मूल्य (यूएसडी बिलियन) को प्रदर्शित करती है।

भारत का रक्षा निर्माण उद्योग तेजी से बदलाव के दौर से गुजर रहा है और राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से उच्च मांग की उम्मीद है। इस मांग को पूरा करने के लिए, सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न योजनाओं को देखते हुए, घरेलू भागीदारी बढ़ने की संभावना है।

पिछले पांच वर्षों में, भारत ने अपने प्रतिस्पर्धी देशों से तकनीकी लाभ प्राप्त करने के लिए रक्षा उपकरणों के शीर्ष आयातकों में स्थान दिया गया है। इसलिए, सरकार द्वारा अपने सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण और रक्षा खरीद से संबंधित नीतियों के प्रति बाहरी स्रोतों पर निर्भरता कम करने के लिए 'मेक इन इंडिया' जैसी गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न प्रशासनिक उपाय किए गए हैं।

आत्मनिर्भरता हासिल करने और 'मेक इन इंडिया' के लक्ष्य को साकार करने के लिए, भारत सरकार ने देश में दो रक्षा औद्योगिक गलियारे स्थापित किए हैं, पहला उत्तर प्रदेश में और दूसरा तमिलनाडु में, प्रत्येक में 10,000 करोड़ रुपये के निवेश का लक्ष्य है। सरकार की 'आत्मनिर्भर' भारत पहल को बढ़ावा देने के लिए, जून 2021 में अगले पांच वर्षों के लिए एक रक्षा नवाचार संगठन (डीआईओ) इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस (आईडीइएक्स) के लिए 498.8 करोड़ रुपये के बजटीय फंड को मंजूरी दी गई है। एक प्रमुख सुधार पहल में, रक्षा मंत्रालय ने रक्षा क्षेत्र में कार्यात्मक स्वायत्तता, दक्षता, विकास क्षमता और नवाचार में सुधार के लिए आयुध निर्माणी बोर्ड के पुनर्गठन के माध्यम से सात रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम बनाए हैं।

संगठनात्मक संरचना:

16 जून, 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुपालन में, भारत सरकार ने आयुध निर्माणी बोर्ड ("ओएफबी") की 41 उत्पादन इकाइयों (आयुध कारखानों) के कार्यों का निगमीकरण करने का निर्णय लिया था, जो आयुध निर्माणी, रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय ("डीडीपी") में 7 रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अधीन कार्यरत हैं।

ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड (जीआईएल) हाल ही में गठित 07 रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में से एक है, जिसका कारखाना / पंजीकृत कार्यालय कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है और राजपत्र अधिसूचना संख्या सीजी-डीएल-ई-01102021-230101, दिनांक 1 अक्टूबर 2021 के माध्यम से अपना व्यवसाय संचालन शुरू किया है।

जीआईएल को 16 अगस्त -2021 को 100% सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी के रूप में रक्षा विभाग के तहत भारत सरकार के 100% इक्विटी शेयरों के साथ रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार का रक्षा उत्पादन विभाग के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के रूप में शामिल किया गया है।

आयुध पैराशूट फैक्ट्री ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड की एक इकाई है जिसकी स्थापना वर्ष 1941 में कानपुर (यूपी), भारत में हुई थी। जीआईएल की उत्पादन इकाई अर्थात आयुध पैराशूट फैक्ट्री भारत में पैराशूट की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी उत्पादन इकाई है। आजादी के बाद इसे

नेपियर रोड छावनी, कानपुर में अपने वर्तमान स्थान पर स्थानांतरित कर दिया गया और एक पूर्ण विकसित पैराशूट निर्माण इकाई के रूप में शुरू किया गया।

उत्पाद और सेवाएं

जीआईएल सीट इजेक्शन पैराशूट, मैन कैरिंग पैराशूट, सप्लाई ड्रॉप पैराशूट, हैवी ड्रॉप पैराशूट, ब्रेक पैराशूट, पैराशूट घटक और सहायक उपकरण, केएम ब्रिज और रबर इन्फ्लेटेबल बोट सहित पैराशूट और इन्फ्लेटेबल उत्पादों के उत्पादन में उत्कृष्टता प्राप्त करता है। हम भारतीय सेना, नौसेना, वायु सेना, भारतीय तट रक्षक, आईटीबीपी, राज्य पुलिस बलों की मांगों को पूरा करते हैं जिनमें कई अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक भी शामिल हैं।

दृष्टिकोण (आउटलुक)

विदेशी व्यापार के प्रति भारत का सक्रिय दृष्टिकोण और संयुक्त रक्षा निर्माण और रक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए विदेशों के साथ बढ़ते समझौते भारत में रक्षा विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए विकास के बड़े अवसर प्रदान करते हैं। प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, माननीय रक्षा मंत्री ने भारतीय रक्षा निर्माण उद्योग के वर्तमान में 850 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2022 में 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर और 2047 तक 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान लगाया है।

इसके अलावा, सरकार विदेशी निवेशकों को भारत में निवेश करने और 'मेक इन इंडिया' अवसर का लाभ उठाने के लिए भी आमंत्रित कर रही है।

पाइपलाइन में कई विकास परियोजनाओं और मजबूत ऑर्डर बुक की स्थिति के साथ, जीआईएल अपने मूल उत्पाद में एक बेंचमार्क चिह्नित करने के लिए आश्वस्त है और सतत विकास और उल्लेखनीय प्रगति हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके अलावा, सरकार की नीतिगत पहल के अनुपालन में 'मेक इन इंडिया' और 'आत्मनिर्भर भारत' की दिशा में भारत और पड़ोसी देशों के साथ चल रहे क्षेत्रीय विवाद सैन्य उत्पादों की भारी मांग को बढ़ाते हैं, जो स्वदेशीकरण के कदमों के साथ भारतीय रक्षा उत्पादों के लिए एक उज्ज्वल संभावना प्रदान करते हैं।

उत्तम ऑर्डर बुक, निरंतर अनुसंधान और विकास और पाइपलाइन में चल रही परियोजनाओं के साथ, ही कंपनी को निरंतर विकास का भरोसा है।

कोविड-19 परिदृश्य-

- हालांकि रक्षा क्षेत्र में पैराशूट की मांग स्थिर रही, निर्यात और सैन्य उपकरणों पर कई सीमाओं तक वैश्विक सैन्य पैराशूट बाजार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा।
- हालांकि, जैसे-जैसे वैश्विक स्थिति पटरी पर आने लगी, सैन्य पैराशूट का बाजार भी तेजी से उबरने लगा। वैश्विक सैन्य पैराशूट बाजार का विश्लेषण प्रकार, वितरण चैनल, ड्रग क्लास टाइप और क्षेत्र में किया जाता है।

सैन्य पैराशूट बाजार के विकास के प्रमुख कारक:

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से सैनिकों और आपूर्ति को युद्ध में पहुंचाने के लिए सैन्य पैराशूट का इस्तेमाल सेना द्वारा किया जाता रहा है। तब से, उन्होंने कई युद्ध क्षेत्रों में वृद्धि देखी है, विशेष रूप से विकसित देशों के विशेष बलों द्वारा हवाई प्रौद्योगिकी में हुई प्रगति ने पैराशूटों की कार्रवाई के तंत्र को भी बढ़ाया है, जिससे वे सैन्य उद्देश्यों के लिए अधिक सुरक्षित और अधिक भरोसेमंद हो गए हैं।

रणनीतिक (स्वॉट) विश्लेषण

बदलती तकनीक, पर्यावरण, बाजार संभावनाओं और उन्नत पद्धतियों में, आपकी कंपनी ने अपने सामर्थ्य, कमियों, अवसरों और चुनौतियों के रूप में निम्नलिखित पहचान दी है:

रणनीतिक (स्वॉट) विश्लेषण

स

- रक्षा मंत्रालय से प्रबल समर्थन
- 100% स्वदेशी उत्पाद
- एशिया का सबसे बड़ा पैराशूट निर्माण सेटअप, ई-प्रोक्योरमेंट सिस्टम, पीपीसी पैकेज और एनक्यूडीएमबीएस से सुसज्जित
- पैराशूट और फ्लोटेशन उत्पादों के उत्पादन में दशकों की विशेषज्ञता
- एनएबीएल मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला परीक्षण की उन्नत सुविधाओं के साथ
- इन हाउस डिजाइन इनोवेशन क्षमता
- उच्च कुशल कार्य बल
- आईएसओ 9001:2015, 14001:2015 और 45001:2018
- विभिन्न हितधारकों, उपयोगकर्ताओं, डिज़ाइनर, निरीक्षण विभागों आदि के साथ लंबे जुड़ाव का इतिहास

व

- इनपुट सामग्री के लिए सीमित विक्रेता आधार
- विभिन्न एजेंसियों को शामिल करने वाली कठोर प्रक्रियाओं के कारण परियोजना निष्पादन और नियमित वाणिज्यिक उत्पादन में अधिक समय लगता है
- पूर्ण विकसित अनुसंधान एवं विकास सुविधा विकसित करने में धीमी प्रगति
- एरियल डिलीवरी सिस्टम में उचित पाठ्यक्रमों का अभाव
- उत्पादों का बहुत कम विज्ञापन
- एक ही विनिर्माण इकाई होने से संभावित ग्राहकों की सीमित पहुंच
- आईआईटी आधारिक संरचना के संवर्धन की आवश्यकता

ओ

- भारत सरकार की आत्मनिर्भरता और मेक इन इंडिया नीति पर जोर
- मित्र राष्ट्रों के साथ बढ़ती निर्यात क्षमता और भारत सरकार द्वारा समर्थन
- सैन्य अनुप्रयोगों में विभिन्न प्रकार के पैराशूटों की मांग में वृद्धि
- पैराशूट में तेजी से तकनीकी प्रगति
- सरकार द्वारा रक्षा व्यय में प्रमुख रूप से वैश्विक स्तर पर आर्थिक वृद्धि
- नागरिक अनुप्रयोगों के लिए खेल और साहसिक गतिविधि पैराशूट में अनुसंधान एवं विकास का बड़ा दायरा

टी

- अंतरराष्ट्रीय बाजार में कड़ी प्रतिस्पर्धा
- भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं के कारण पैराशूट मदों के लिए बुनियादी कपड़ा कच्चे माल की आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान
- निर्गम कीमतों की तुलना में उत्पादन की उच्च लागत के कारण कम लाभ
- नियमित सेवानिवृत्ति के कारण प्रशिक्षित जनशक्ति की निरंतर कमी
- कुछ प्रमुख ग्राहकों यानी भारतीय सेना और आईएएफ पर निर्भरता
- कच्चे माल की बढ़ती लागत
- पैराशूट निर्माण में बढ़ती प्रतिस्पर्धा

जीआईएल अपने सामर्थ्य के आधार पर अवसरों का फायदा उठाने और कमजोरियों के प्रभाव को कम करने पर विशेष ध्यान देते हुए कंपनी अपने उभरते अवसरों की जानकारी करने और कथित खतरों और कमजोरियों के प्रभाव को कम करने के लिए रणनीतिक सामंजस्य के माध्यम से बुनियादी ढांचे, डिजाइन और विनिर्माण सुविधाओं और क्षमताओं का उचित उपयोग कर रही है।

जोखिम और चिंताएं

जोखिम और चिंताएं किसी भी व्यवसाय का एक अभिन्न अंग हैं, आपकी कंपनी ने जोखिमों की निगरानी, पहचान, मूल्यांकन और कम करने के लिए एक उपयुक्त जोखिम प्रबंधन ढांचा विकसित किया है जो कंपनी के प्रदर्शन को संभावित रूप से प्रभावित कर सकता है। कंपनी के लिए प्रमुख जोखिम और चिंताएं निम्नवत हैं:

(क) कुछ प्रमुख ग्राहकों पर निर्भरता यानी कंपनी के कुल ऑर्डर में से लगभग 95% ऑर्डर में भारतीय सेना का योगदान

(ख) प्रौद्योगिकी में प्रगति के साथ संरेखित सॉफ्टवेयर/ईआरपी प्रणाली सहित आईटी अवसंरचना के संवर्धन की आवश्यकता।

(ग) बढ़ती मुद्रास्फीति कई प्रमुख वस्तुओं और सामग्रियों के मूल्य निर्धारण को प्रभावित करती है।

(घ) कच्चे माल की समय पर डिलीवरी और उन्हें सौंपे गए कार्य को पूरा करने को प्रभावित करने वाले आपूर्तिकर्ताओं और उपठेकेदारों की ओर से अनिश्चितता।

(ङ) विशेष रूप से विदेशी क्षेत्र से बढ़ी प्रतिस्पर्धा लागत प्रतिस्पर्धा और ग्राहकों के समर्थन को प्रभावित करती है।

सतत विकास और प्रदर्शन सुनिश्चित करने के लिए की गई प्रमुख पहल और योजना

निरंतर विकास और प्रदर्शन सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित पहल की गई हैं:

(क) भारतीय सेना के आयात विकल्प समाधानों पर जोर देना।

(ख) दुनिया की अग्रणी विनिर्माण इकाइयों के अनुरूप हमारी उत्पादन सुविधाओं का आधुनिकीकरण करने के लिए आधुनिकीकरण गतिविधियाँ।

(ग) अंतरराष्ट्रीय बाजार की आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूल डिजाइन के साथ उत्पादों की चुनिंदा रेंज के लिए निर्यात बाजार में प्रवेश करना।

(घ) ऑर्डर बुक की स्थिति को मजबूत करने और भारत सरकार द्वारा निर्यात पर बढ़ते जोर के अनुरूप उन्नत विपणन और व्यापार रणनीतियों का विकास,

(ङ) हमारी विशेषज्ञता का प्रचार-प्रसार करने और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन में सुधार करने के लिए बाजार और विभिन्न व्यावसायिक अवसरों की पहचान करने के लिए, कंपनी ने समय-समय पर विभिन्न देशों में आयोजित विभिन्न रक्षा प्रदर्शनियों में भाग लिया है।

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और इसकी पर्याप्तता

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और इसकी पर्याप्तता के बारे निदेशकों की रिपोर्ट में वर्णित है।

परिचालन प्रदर्शन के संदर्भ में वित्तीय निष्पादन

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के दौरान कंपनी के प्रदर्शन की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं: (रु. लाख में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2021-22
संचालन से राजस्व 8594.21	8,594.21
अन्य आय	126.33
सकल राजस्व	8,720.54
ब्याज, कर और मूल्यह्रास से पहले आय	359.31
कम: वित्त लागत	-
कम: मूल्यह्रास	263.47
कम: असाधारण आइटम	-
कर पूर्व लाभ	95.84
कम: कर व्यय (1) वर्तमान कर	14.95
(2) आस्थगित कर	9.97
कर पश्चात लाभ	70.92
अन्य व्यापक आय	-
कुल व्यापक आय	0
नेट वर्थ	52,995.84
भंडार	6,254.80
व्यापार प्राप्य	380.33
प्रति शेयर आय (ईपीएस) (रुपये में) - बेसिक ईपीएस - डाइल्यूटेड ईपीएस	 200.62 0.01
लाभांश (%)	-

क्रम-वार/खंडवार प्रदर्शन

कारपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार ने अधिसूचना संख्या एस.ओ. 802 (ई) दिनांक 23 फरवरी 2018 ने खंड रिपोर्टिंग पर लेखा मानक के संबंध में प्रकटीकरण आवश्यकताओं से रक्षा उत्पादन में लगी कंपनियों को छूट दी है। इसलिए, इस रिपोर्ट में खंड-वार/उत्पाद-वार प्रदर्शन संलग्न नहीं किया गया है।

पर्यावरण संरक्षण एवं बचाव

कंपनी ने दीर्घकालिक स्वच्छ और पर्यावरण के अनुकूल वातावरण के उद्देश्य से सर्वोत्तम नितियों को विकसित करते हुए, अपने व्यवसाय संचालन में स्थिरता को व्यवस्थित रूप से एकीकृत किया है। जीआईएल पर्यावरणीय उत्कृष्टता के लिए सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) के दिशा-निर्देशों के अनुसार अपने सभी कार्यालय परिसरों/यूनिट में पर्यावरण-अनुकूल प्रक्रिया को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। जीआईएल सबसे कम प्रदूषण फैलाने वाली कंपनी है और पेड़ों के रोपण और संरक्षण पर विशेष ध्यान देते हुए पर्यावरण में सुधार, संरक्षण और सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करती रहती है। जीआईएल कंपनी के मुख्यालय, कार्य परिसर, कारखाने के परिसर में लगभग 60% वन आच्छादन है। इसके अलावा, परिसर के आसपास और कंपनी के आसपास के वार्डों में समय-समय पर सफाई अभियान, वृक्षारोपण अभियान आदि पर विभिन्न कदम उठाए जाते हैं। किसी भी प्रकार के प्लास्टिक के उपयोग को कम करने और प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र बनाने के लिए कर्मचारियों/श्रमिकों को प्रोत्साहित करने के लिए पहले ही प्रयास किए जा रहे हैं।

मानव संसाधन विकास और औद्योगिक संबंध

मानव संसाधन विकास, औद्योगिक संबंध और जनशक्ति के बारे में विवरण विशेष रूप से निदेशकों की रिपोर्ट में संलग्न हैं।

ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण, विदेशी मुद्रा आय और व्यय

इस संबंध में प्रासंगिक जानकारी निदेशकों की रिपोर्ट में दी गई है।

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) और स्थिरता

इस संबंध में प्रासंगिक जानकारी निदेशकों की रिपोर्ट में दी गई है।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से
कृते **ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड**

विजय कुमार तिवारी
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 09282247

सुरेंद्र धापोडकर
निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ
डीआईएन: 09282248

स्थान : कानपुर
दिनांक : 10/02/2023

कॉरपोरेट अभिशासन पर व्यवहार्य कंपनी सचिव का प्रमाणपत्र

सेवा में,
सदस्य,
ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड
आयुध उपस्कर निर्माणी मुख्यालय,
जीटी रोड कानपुर, उ.प्र. 208013

महोदय,

मैंने सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसई) 2010 के लिए कार्पोरेट अभिशासन पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसरण में 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड (कंपनी) द्वारा किए गए कार्पोरेट अभिशासन के शर्तों के अनुपालन की जाँच की है।

निगमित अभिशासन के शर्तों का अनुपालन करने का उत्तरदायित्व प्रबंधन का है। मेरी जाँच निगमित अभिशासन के शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु कंपनी द्वारा स्वीकृत प्रक्रिया तथा उनके कार्यान्वयन तक सीमित है। यह कंपनी के लेखा परीक्षा पर या वित्तीय विवरणों पर राय का प्रकटीरण नहीं है।

निम्नलिखित टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए मेरी राय एवं जानकारी के अनुसार तथा मुझे दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार और प्रबंधन द्वारा किए गए अभ्यावेदन के अनुसार मैं प्रमाणित करता हूँ कि, कंपनी ने निगमित अभिशासन पर उपर्युक्त दिशा-निर्देशों का निम्नलिखित टिप्पणियों के अधीन अनुपालन किया है।

1- लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, डीपीई दिशानिर्देश, 2010 के खंड 3.1.2 के अनुपालन में आवश्यकतानुसार गैर-प्रकार्यात्मक निदेशक की कुल संख्या बल बोर्ड की संख्या बले से 50% कम थे।

2- लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी के पास डीपीई दिशानिर्देश, 2010 के खंड 3.1.4 के अनुसार स्वतंत्र निदेशक नहीं हैं।

3- कंपनी ने डीपीई दिशानिर्देश, 2010 के खंड 4 और 5 के अनुसार लेखापरीक्षा समिति, नामांकन और पारिश्रमिक समिति का गठन नहीं किया गया है।

बशर्ते कि, कंपनी के अंतर्निहित नियमों के अनुसार, निदेशकों को नियुक्त करने की अधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास निहित है।

मैं आगे स्पष्ट करता हूं कि इस तरह के अनुपालन न तो कंपनी के आगामी व्यवहार्यता का आश्वासन है और न ही उस दक्षता या प्रभावशीलता के साथ प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है।

अंकित मिश्रा एंड कंपनी
अंकित मिश्रा
स्वत्वधारी
सीपी नंबर 23471
कंपनी सचिव
यूनिक कोड नंबर एस2020यूपी749900
पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट नंबर 1447/2021
यूडीआईएन सं: ए030650D003127920

दिनांक: 08/02/2023
स्थान : कानपुर

बोर्ड की रिपोर्ट का परिशिष्ट 'ङ'

फार्म सं. एमआर 3

सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट

31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) एवं कंपनी अधिनियम, 2014

(कार्मिक नियुक्ति और पारिश्रमिक) के नियम संख्या 9 के अनुसरण में

सेवा में,

सदस्य,

ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड

कानपुर

मैंने ग्लाइडरंस इंडिया लिमिटेड (CIN:U17299UP2021GOI150733) (इसके बाद इसे कंपनी कहा गया) द्वारा लागू वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन और अच्छी कॉर्पोरेट प्रथाओं के पालन कर सचिवीय लेखा परीक्षा का आयोजन किया है। सचिवीय लेखा परीक्षा इस तरीके से आयोजित किया गया, जिसने मुझे कॉर्पोरेट आचरण/सांविधिक अनुपालन का मूल्यांकन करने और उस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए एक उचित आधार प्रदान किया।

सचिवीय लेखा परीक्षा के दौरान कंपनी की खाता पुस्तकों, कागजातों, कार्यवृत्त पुस्तकों, फाइल किए गए प्रपत्रों और कंपनी द्वारा बनाए गए अन्य रिकॉर्डों और उसके अधिकारयों, एजेंटों और प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा प्रदान जानकारी/स्पष्टीकरण के आधार पर मेरे सत्यापन द्वारा यह रिपोर्ट किया जाता है कि मेरी राय में, कंपनी ने 31 मार्च 2022 को समाप्त वित्त वर्ष के लेखा परीक्षा अवधि के दौरान, इसके अंतर्गत सूचीबद्ध संवैधानिक प्रावधानों का सामान्यतया पालन किया है और इसके आगे बताए रिपोर्टिंग के आधार पर कंपनी के पास उचित मंडल प्रक्रियाएं एवं उचित अनुपालन तंत्र है।

मैंने खाता पुस्तकों, कागजातों, प्रपत्रों और 31 मार्च 2022, को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी द्वारा फाइल किए गए रिपोर्टों और संग्रहित अन्य रिकॉर्डों की जाँच निम्न प्रावधानों के अंतर्गत की है:-

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और उसके तहत बनाए गए नियम;

(ii) प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, 1956 (एससीआरए) और उसके तहत बनाए गए नियम; (लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं)

(iii) डिपॉजटरीज (निक्षेपागार) अधिनियम, 1996 और उसके तहत बनाए गए विनियम और उपनियम; (सरकारी कंपनी के लिए लागू नहीं)

(iv) विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, ओवरसीज प्रत्यक्ष निवेश और बाह्य वाणिज्यिक उधार की सीमा बढ़ाने के लिए विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और उसके अधीन बनाए गए नियम और विनियम (लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं)

(v) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 ('सेबी अधिनियम') के तहत निर्धारित विनियम और दिशानिर्देश लागू नहीं हैं क्योंकि कंपनी एक गैर-सूचीबद्ध कंपनी है।

(vi) अन्य लागू नियम

(क) कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952;

(ख) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948;

(ग) मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961;

(घ) बोनस भुगतान अधिनियम, 1965;

(ङ) उपदान (ग्रेच्युटी) भुगतान अधिनियम, 1972;

(च) पर्यावरण कानून जैसे जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974,

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986;

(छ) कारखाना अधिनियम, 1948

(ज) केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए कॉरपोरेट गवर्नेंस पर डीपीई दिशानिर्देश, 2010।

मैंने निम्नलिखित लागू खंडों के अनुपालन की भी जांच की है:

(i) द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया द्वारा जारी सचिवीय मानक।

(ii) लिस्टिंग एग्रीमेंट/लिस्टिंग रेगुलेशन, (लेखा परीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं होता क्योंकि कंपनी एक सूचीबद्ध कंपनी नहीं है);

समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी ने निम्न उल्लिखित को छोड़कर ऊपर उल्लिखित अधिनियम, नियम, दिशा-निर्देश, मानक आदि के प्रावधानों का अनुपालन किया है।

(i) कंपनी की अचल संपत्तियां अभी कंपनी के नाम पर उत्परिवर्तित की जानी हैं;

(ii) लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, डीपीई दिशानिर्देश, 2010 के खंड 3.1.2 के आवश्यकतानुसार गैर-कार्यकारी निदेशकों की कुल बोर्ड क्षमता से 50% से कम था;

(iii) लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी के पास स्वतंत्र निदेशक नहीं हैं जैसा कि डीपीई दिशानिर्देश, 2010 के खंड 3.1.4 में अपेक्षित है;

(iv) कंपनी ने डीपीई दिशानिर्देश, 2010 के खंड 4 और 5 के अनुसार लेखापरीक्षा समिति और नामांकन और पारिश्रमिक समिति का गठन नहीं किया है;

बशर्ते कि, कंपनी के अंतर्नियमों के अनुसार, निदेशकों को नियुक्त करने की शक्ति भारत के राष्ट्रपति के पास निहित है।

श्रम कानूनों और अन्य सामान्य कानूनों के अनुपालन में, मेरी जांच, कंपनी के अधिकारियों और प्रबंधन द्वारा मुझे प्रदान की गई रिपोर्टिंग दस्तावेजों, रिकॉर्ड और फाइलों पर आधारित जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर हैं। कंपनी पर विभिन्न अधिनियमों की प्रयोज्यता की मेरे सर्वोत्तम निर्णय और समझ के अनुसार, लागू सामान्य कानूनों और श्रम कानूनों की निगरानी और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी में पर्याप्त प्रणालियां और प्रक्रियाएं मौजूद हैं।

मैं आगे रिपोर्ट करता हूं कि,

कंपनी के निदेशक मंडल का विधिवत गठन किया गया है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में परिवर्तन अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में किए गए हैं।

बोर्ड की बैठक बुलाने के लिए सभी निदेशकों को पर्याप्त नोटिस दिया जाता है, कार्यसूची और कार्यसूची पर विस्तृत नोट कम से कम सात दिन पहले भेजे जाते हैं और बैठक से पहले कार्यसूची की विषयवस्तु पर जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त करने और बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए एक प्रणाली मौजूद है।

निर्णय सर्वसम्मत बहुमत से पारित किए गए और कार्यवृत्त के रूप में दर्ज किए गए।

मैं आगे रिपोर्ट करता हूं कि

कंपनी में लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों की निगरानी और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के आकार और संचालन के अनुरूप पर्याप्त प्रणाली और प्रक्रियाएं हैं।

मैं आगे रिपोर्ट करता हूं कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, कंपनी ने कंपनी अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन करने के बाद आनुपातिक आधार पर मौजूदा शेयरधारकों को इक्विटी शेयरों का अधिकार जारी किया है।

अंकित मिश्रा एंड कंपनी
अंकित मिश्रा
स्वत्वधारी
सीपी नंबर 23471
कंपनी सचिव
यूनिक कोड नंबर एस2020यूपी749900
पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट नंबर 1447/2021
यूडीआईएन सं: ए030650D003127843

दिनांक: 08/02/2023
स्थान : कानपुर

वित्तीय रिपोर्ट

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में
सदस्य,
ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड
कानपुर।

वित्तीय विवरणों पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

मत

हमने ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड ("कंपनी") के वित्तीय विवरणों का ऑडिट किया है, जिसमें 31 मार्च, 2022 तक की बैलेंस शीट और 14 अगस्त, 2021 की अवधि के लाभ और हानि का विवरण और नकदी प्रवाह का विवरण शामिल है। 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी के सारांश सहित वित्तीय विवरणों पर अन्य नोट।

हमारे विचार, जानकारी एवं दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, उपरोक्त वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की आवश्यक जानकारी को सही तरीके एवं निष्पक्ष दृष्टिकोण से देते हैं। 31 मार्च, 2022 तक कंपनी के मामलों की स्थिति और उस तिथि को समाप्त अवधि के लिए लाभ और इसके नकदी प्रवाह भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप हैं।

हमारे मत, सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि:-

(क) अचल संपत्ति

1. पंजीकृत मूल्यांकक, एड्रोइट अप्रेजर्स एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड नोएडा, उत्तर प्रदेश की मूल्यांकन रिपोर्ट में, कुछ अचल संपत्तियों का मूल्य, जहां मूल्यों को कुल मिलाकर रु.73,99,838.00 इंगित किया गया है, जिनकी मूल्यांकन रिपोर्ट में विचार नहीं किया गया है। हालांकि, ऐसी अन्य अचल संपत्तियां भी हैं, जहां मूल्यांकनकर्ता द्वारा क्षीण संपत्ति के रूप में कोई मूल्य इंगित या रिपोर्ट नहीं किया गया है, जिसके समीक्षा की आवश्यकता है।

2. रू. 5,36.029.70 और रू. 8,54,767.00 रुपये की कुल अचल संपत्ति की वस्तुओं को कच्चे माल की प्रारंभिक और समापन वस्तुसूची में लिया गया है/उपभोज्य वस्तुओं के इन स्टॉक के मूल्य को खपत सामग्री की लागत की गणना में माना गया है। अचल संपत्तियां, जो कुल मिलाकर 3,18,737.30 रुपये तक उपयोग में नहीं लाई जातीं, अचल संपत्तियों की सूची खोलने और बंद करने पर ठीक/नेट होने के कारण, अचल संपत्ति अनुसूची प्रक्रिया में पूंजीगत कार्य के रूप में दिखाया जाना चाहिए।

(ख) वस्तुसूची

3. डब्ल्यूआईपी की अंतिम वस्तुसूची में कई वर्क ऑर्डर ऋणात्मक संतुलन दिखा रहे हैं और डब्ल्यूआईपी के नेट मूल्य को वस्तुसूची के मूल्यांकन में माना गया है और ऋणात्मक मूल्य के कारणों को संतोषजनक ढंग से स्पष्ट नहीं किया गया है।

4. कच्चे माल/निर्मित सामानों की प्रारंभिक और समापन वस्तु सूची में क्रमशः 49,81381.54 रुपये और 25,96,224.00 रुपये की कुल उपभोग्य वस्तुओं को लिया गया है और कच्चे माल की गणना में उपभोग्य सामग्रियों के इन स्टॉक के मूल्य पर विचार किया गया है। सामग्री की खपत, जबकि उपभोज्य स्टोर का स्टॉक लाभ और हानि खाते के विवरण में व्यय के संबंधित शीर्ष के तहत दिखाया जाना चाहिए। इस प्रकार, उपभोग की गई सामग्री की लागत इस राशि से प्रभावित होती है। हालांकि कंपनी के शुद्ध लाभ पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

5. प्रत्येक मद के अनुलग्नक के साथ समापन वस्तू सूची को प्रबंधन द्वारा प्रमाणित किया गया है लेकिन अनुरक्षण स्टोर, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कच्चे माल के अनुलग्नक में वस्तु सूची की मात्रा प्रमाण पत्र के साथ मेल नहीं खा रही है, अनुलग्नक में शेयरों के प्रमाण पत्र की तुलना में 0.21 करोड़ रुपये की राशि कम बताई गई है।

6. जैसा कि प्रबंधन द्वारा सूचित किया गया है, कंपनी सिस्टम में दो पैकेज चला रही है। एक पीपीसी है जिसमें कारखाने के संचालन के अनुसार इन्वेंट्री की आवाजाही को बनाए रखा गया है और दूसरा टैली प्राइम पैकेज (लेखा सॉफ्टवेयर) है जिसमें खातों का रखरखाव किया जा रहा है। पीपीसी पैकेज के अनुसार कुल खरीद के आंकड़ों के अभाव में, दोनों पैकेजों की कुल खरीद का मिलान नहीं किया जा सकता है और न ही खरीद के लिए दो सॉफ्टवेयर के बीच मिलान किया गया है, जो माल की मात्रा/मूल्य को प्रभावित कर सकता है, तदनुसार हम लिए गए स्टॉक की शुद्धता और वस्तुसूची के मूल्यांकन और आईसीएआई द्वारा जारी किए गए आईएनडी एएस-2 वस्तुसूची के मूल्यांकन के साथ इसके अनुपालन पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

7. स्टॉक के मूल्यांकन में निम्नलिखित विसंगतियां हैं :

क्र. सं.	विवरण	स्टॉक की मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार	लेखांकन नीतियों के अनुसार मूल्यांकन होना चाहिए	आईएनडी एएस 2 के अनुसार मूल्यांकन होना चाहिए
1.	कच्चा माल (ओपनिंग स्टॉक)	लेखापरीक्षकों की टिप्पणी: लेकिन लेखांकन नीतियों के अनुसार इसे मूविंग एवरेज आधार पर मूल्यांकित किया जाना चाहिए था।	औसत चलन लेखापरीक्षकों की टिप्पणी: लेखांकन नीति आईसीएआई द्वारा जारी आईएनडी एएस-2 के अनुरूप नहीं है।	लागत या एनआरवी, जो भी कम हो
2.	डब्ल्यूआईपी क्लोजिंग स्टॉक	-	लागत या एनआरवी, जो भी कम हो लेखापरीक्षकों की टिप्पणी: वास्तविक मूल्यांकन केवल लागत पर किया गया है और मूल्यांकन उद्देश्यों के लिए किसी एनआरवी पर विचार नहीं किया गया है।	लागत या एनआरवी, जो भी कम हो
प्रासंगिक डेटा के अभाव में उपरोक्त विसंगतियों के कारण अंतर की मात्रा निर्धारित नहीं की जा सकती है।				

ग. अन्य

पैराशूट फैक्ट्री ने भारतीय स्टेट बैंक के खपरा मोहल शाखा, कानपुर में खाता संख्या 30093790846 के चालू खाते को नियत तिथि पर बंद नहीं किया है, जब शेष राशि 1,08,105.29 रुपये थी, जो कि प्रमाणित बैलेंस शीट में परिलक्षित नहीं होती है। दिनांक 30.09.2021 अर्थात 1 अक्टूबर, 2021 और यह अभी भी बिना किसी प्राधिकार के प्रबंधन द्वारा संचालित किया जा रहा है, 31 मार्च 2022 को शेष राशि 80,06,217.50 रुपये है। हालाँकि 30.09.2021 तक शेष राशि का समायोजन 31.03.2022 तक खाते की किताब में किया गया है।

9. कंपनी ने 01.10.2021 से पहले खरीदे गए माल से संबंधित रुपये 4,13,24,251.00 के बिल का भुगतान किया था और इसे जीएसटी राशि के साथ खरीद/व्यय के संबंधित मदों में डेबिट कर दिया गया है। इसके अलावा 33,29,006.53 रुपये के इनपुट टैक्स क्रेडिट का जीएसटी रिटर्न में ऑडिट के तहत अवधि के लिए दावा नहीं किया गया है और संबंधित खरीद/व्यय खाते से सीधे डेबिट किया गया है। इस प्रकार इस राशि से लाभ और इनपुट टैक्स क्रेडिट को कम करके आंका गया है।

10. 30.09.2021 को बकाया विविध लेनदारों के भुगतान पर कंपनी द्वारा काटे गए विलंबित वितरण शुल्क (2,99,778.53 रुपये और 53,951.47 रुपये का GST) को लाभ और हानि खाते में जमा किया गया है, जबकि इसे भारत सरकार से दावा किए गए प्रतिबद्ध दायित्व से समायोजित किया जाना चाहिए। इस प्रकार वर्ष के लिए शुद्ध लाभ को इस राशि से अधिक बताया गया है।

11. सरकार ने 01.10.2021 को विभिन्न मदों के तहत कंपनी द्वारा दावा किए गए दायित्व के सापेक्ष बकाया 15.20 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान किया है और 3.96 करोड़ रुपये की आपूर्ति की गई वस्तुओं के सापेक्ष लेनदारों के भुगतान के लिए दावा किया गया है, लेकिन कंपनी ने 8.72 करोड़ रुपये का उपयोग और भुगतान किया है। खरीदे गए सामान के लिए लेनदारों के लिए 31.03.2022 तक खर्च के लिए 4.84 करोड़ रुपये की शेष राशि और 1.64 करोड़ रुपये की शेष राशि 'अन्य देनदारियों' के तहत भारत सरकार से स्पष्टीकरण/पुष्टि के अधीन दिखाई गई है।

12. 30.09.2021 की स्थिति के अनुसार बैलेंस शीट दिनांक 17.08.2022 को तत्कालीन प्रबंधन द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित और हमारे द्वारा सुविवेचित की गई है।

13. रुपये 5234.92 लाख सरकार को देय एनएवी राशि/इक्विटी शेयर निगमीकरण के कारण जारी किए जाने हैं, बैलेंस शीट में 'रिजर्व और अधिशेष - अन्य इक्विटी' (नोट नंबर 9) के तहत दिखाया गया है, जबकि इसे अन्य चालू दायित्व में (नोट संख्या 10) दिखाया जाना चाहिए।

14. विविध देनदारों, विविध लेनदारों, आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम और ग्राहकों से प्राप्त अन्य अग्रिमों का समाधान/पुष्टिकरण के अधीन हैं।

15. उपरोक्त टिप्पणियों के कारण कंपनी के वित्तीय विवरणों का शुद्ध प्रभाव अनुलग्नक के अनुसार है।

विचार/विवेचना का आधार

हमने अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्दिष्ट ऑडिटिंग (एसए) पर मानकों के अनुसार अपना ऑडिट किया। उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों को आगे हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरणों के लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक की जिम्मेदारियों में वर्णित किया गया है। हम

भारत के सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी आचार संहिता के साथ-साथ उन नैतिक आवश्यकताओं के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं जो कंपनी अधिनियम, 2013 और नियमों के प्रावधानों के तहत वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक हैं, और हमने इन आवश्यकताओं और आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त किए गए ऑडिट साक्ष्य हमारी राय/सलाह के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

वित्तीय विवरणों और उस पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के अलावा अन्य सूचना

कंपनी के निदेशक मंडल अन्य जानकारी के लिए जिम्मेदार हैं। अन्य जानकारी में वार्षिक रिपोर्ट में शामिल जानकारी शामिल है, लेकिन इसमें वित्तीय विवरण और हमारे लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट शामिल नहीं है।

वित्तीय विवरणों पर हमारी राय में अन्य जानकारी शामिल नहीं है और हम उस पर किसी भी प्रकार के आश्वासन निष्कर्ष को व्यक्त नहीं करते हैं।

वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी है कि हम अन्य सूचनाओं को पढ़ें और ऐसा करने में, इस बात पर विचार करें कि क्या अन्य जानकारी वित्तीय विवरणों के साथ भौतिक रूप से असंगत है या लेखापरीक्षा में प्राप्त हमारी जानकारी या अन्यथा भौतिक रूप से गलत प्रतीत होता है . यदि, हमारे द्वारा किए गए कार्य के आधार पर, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस अन्य जानकारी में कोई सामग्री गलत नहीं है, तो हमें उस तथ्य की रिपोर्ट करने की आवश्यकता है।

इस संबंध में रिपोर्ट करने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

कंपनी के निदेशक मंडल इन वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 134(5) में बताए गए मामलों के लिए जिम्मेदार है, जो वित्तीय स्थिति का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं, अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों सहित भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी का वित्तीय प्रदर्शन और नकदी प्रवाह, इस जिम्मेदारी में कंपनी की संपत्ति की सुरक्षा और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा रिकॉर्ड का रखरखाव भी शामिल है; लेखांकन नीतियों के उचित कार्यान्वयन और रखरखाव का चयन और आवेदन, ऐसे निर्णय और अनुमान लगाना जो उचित और विवेकपूर्ण हों; और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव, जो लेखांकन अभिलेखों की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, जो वित्तीय विवरण की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक हैं जो एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं और भौतिक मिथ्या कथन चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण से मुक्त हैं।

वित्तीय विवरणों को तैयार करने में, प्रबंधन, कंपनी के एक उन्नतिशील व्यावसायिक प्रतिष्ठान के रूप में कार्य करते रहने की क्षमता का मूल्यांकन करने, उन्नतिशील व्यावसायिक प्रतिष्ठान से संबंधित मामलों का प्रकटन, जैसा लागू हो, और उन्नतिशील व्यावसायिक प्रतिष्ठान आधारित लेखांकन प्रयोग, जब तक प्रबंधन यो तो कंपनी को बंद कर दे अथवा प्रचालन रोक दे अथवा ऐसा करने का कोई वास्तविक विकल्प नहीं है, को करने के लिए उत्तरदायी है।

कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी निदेशक मंडल उत्तरदायी है।

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षकों का उत्तरदायित्व

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या वित्तीय विवरण समग्र रूप से भौतिक मिथ्या विवरण से मुक्त हैं, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, और एक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी करना जिसमें हमारी राय शामिल हो, उचित आश्वासन एक उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एसएएस के अनुसार आयोजित एक लेखा परीक्षण हमेशा मौजूद होने पर एक महत्वपूर्ण गलत बयानी का पता लगाएगा। धोखाधड़ी या त्रुटि से गलत बयानी उत्पन्न हो सकती है और उन्हें महत्वपूर्ण माना जाता है, यदि व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, इन वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए प्रयोक्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की यथोचित संभावना की जा सके।

लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार एक लेखा परीक्षण के भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरे लेखा परीक्षा के दौरान पेशेवर रहस्यवाद बनाए रखते हैं। हम ये भी:

- वित्तीय विवरणों की मूर्त अशुद्ध वर्णन, चाहे धोखेबाजी या त्रुटि के कारण हो, के जोखिमों की पहचान और उसका आकलन करना, उन जोखिमों के लिए लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन और निष्पादित करना और लेखा परीक्षा साक्ष्यों को प्राप्त करना जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने हेतु प्रयास और उचित हो। धोखेबाजी के परिणामस्वरूप होने वाले मूर्त अशुद्ध वर्णन के अज्ञात रहने पर होने वाला जोखिम, त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाले जोखिम से गंभीर होता है, क्योंकि धोखेबाजी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी या आंतरिक नियंत्रण की अवहेलना शामिल हो सकती है।

- लेखा परीक्षा प्रक्रिया, जो परिस्थितियों के अनुकूल है, को डिजाइन करने के लिए लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(3)(i) के तहत, हम इस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी उत्तरदायी हैं कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और इस तरह के नियंत्रणों का प्रभावपूर्ण संचालन है।
- प्रयोग में लाई जाने वाली लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन प्राक्कलनों और संबंधित प्रकटन का तर्कसंगत मूल्यांकन करना।

  लेखांकन के आधार पर और प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्यों के आधार पर, प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्ता पर निष्कर्ष निकालना, चाहे घटनाओं या स्थितियों से संबंधित एक मूर्त असमंजस उपस्थित है जो कंपनी के एक उन्नतिशील व्यावसायिक प्रतिष्ठान के रूप में सक्षमता पर एक गंभीर संदेह डाल सकता है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि मूर्त असमंजस है, हमें वित्तीय विवरण में संबंधित प्रकटन के हमारे लेखा परीक्षकों के रिपोर्ट में ध्यानाकर्षण करना है अथवा यदि ऐसा प्रकटन हमारे विचार को बदलने के लिए अपर्याप्त हैं। हमारा निष्कर्ष हमारे लेखा परीक्षा रिपोर्ट के दिनांक तक प्राप्त लेखा परीक्षा पर आधारित है। हालांकि भविष्य की घटनाएं या स्थितियां कंपनी के एक उन्नतिशील व्यावसायिक प्रतिष्ठान के रूप में निरंतरता के रूकावट का कारण हो सकती है।
- प्रकटन सहित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करना, और क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं को इस तरह से प्रस्तुत करते हैं, जिनकी प्रस्तुति निष्पक्ष हो।

हम अन्य मामलों के लेखापरीक्षा के आयोजित ढांचे और समय के लिए और महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष जिसमें हमारे लेखा परीक्षा के दौरान हमने जो आंतरिक नियंत्रण में पायी गयी महत्वपूर्ण खामियों के संबंध में उनसे संपर्क करते हैं जो शासन से संबंधित हैं।

हम शासन से संबंधित लोगों को एक बयान भी प्रदान करते हैं कि हमने स्वतंत्रता से जुड़े प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, और उनके साथ उन सभी संबंधों और अन्य मामलों के बारे में संवाद करने के लिए जो उचित रूप से हमारी स्वतंत्रता, जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपायों पर विचार कर सकते हैं।

अन्य वैधानिक और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट:

1. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप-धारा (11) के संदर्भ में केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (ऑडिटर की रिपोर्ट) आदेश, 2020 ("द ऑर्डर") के अपेक्षानुसार हम लागू सीमा तक "अनुलग्नक क", आदेश के पैराग्राफ 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों पर एक विवरण देते हैं।
2. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की निर्देशिकाओं/अतिरिक्त निर्देशों (संशोधित) के अपेक्षानुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

   क. सी एंड ए जी का निर्देश:

      1. कंपनी ने हमारी ऑडिट रिपोर्ट के उपरोक्त राय के पैरा संख्या 6 में बताए गए लेनदेन को छोड़कर सभी लेखांकन लेनदेन सूचना प्रौद्योगिकी सिस्टम के माध्यम से किए हैं।
      2. कंपनी द्वारा कोई ऋण या अग्रिम नहीं लिया गया है इसलिए यह पैरा कंपनी पर लागू नहीं होता है।
      3. इस अवधि के दौरान कंपनी द्वारा कोई अनुदान/सब्सिडी प्राप्त नहीं की गई है। हालांकि प्रतिबद्ध देनदारियों के लिए प्राप्त धन कृपया हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट की राय के पैरा संख्या 11 का संदर्भ लें

   ख. सी एंड ए जी का अतिरिक्त निर्देश:

      1. कंपनी को आईएनडी एएस और भारत सरकार के अन्य संबंधित आदेशों या निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार तत्कालीन आयुध कारखानों से नवगठित डीपीएसयू में एसेट्स और देनदारियों को रखा गया है। कृपया 'वित्तीय विवरणों के अन्य नोट्स और ऊपर हमारी ऑडिट रिपोर्ट के पैरा के नोट ए से के को देखें।
      2. प्रधान लेखा नियंत्रक द्वारा वाणिज्यिक प्रारूप में तैयार किए गए विवरणों के अनुसार पूर्ववर्ती आयुध कारखानों के समापन शेष हमें उपलब्ध नहीं कराए गए हैं, इसलिए हम निर्देशों के इस पैरा पर टिप्पणी करने में सक्षम नहीं हैं।
      3. कंपनी के गठन की तारीख पर अन्य डीपीएसयू के साथ इंटर-फैक्ट्री बैलेंस का कोई लेन-देन नहीं हुआ है, इसलिए हम निर्देशों के इस पैरा पर टिप्पणी करने में सक्षम नहीं हैं।
      4. लेखांकन नीतियां डीपीएसयू द्वारा आईएनडी एएस के प्रावधानों के अनुसार तैयार की गई हैं और रक्षा क्षेत्र के लिए लागू विवेकपूर्ण लेखांकन नीतियों के अनुसार हैं।
      5. कृपया कर्मचारियों के लाभ के लिए वित्तीय विवरणों की महत्वपूर्ण लेखा नीति के पैरा 15 को देखें।

3. अधिनियम की धारा 143(3) की अपेक्षानुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

(क) हमने वे सभी सूचनाएं एवं स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार लेखापरीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक थे;

(ख) हमारी राय में, कानून द्वारा अपेक्षित सही लेखा पुस्तकें कंपनी द्वारा उन पुस्तकों के हमारे जांच से अब तक प्रतीत हुए के अनुसार रखा गया है।

(ग) बैलेंस शीट, लाभ और हानि का विवरण, और इस रिपोर्ट द्वारा निपटाए गए कैश फ्लो स्टेटमेंट सुसंगत खाता पुस्तकों के अनुरूप हैं;

(घ) हमारी राय में, उपरोक्त वित्तीय विवरण कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ स्पष्टीकृत अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं;

(ड) निदेशक मंडल के अभिलेखों के अनुसार 31 मार्च 2022 तक निदेशकों से प्राप्त लिखित अभ्यावेदन के आधार पर, कोई भी निदेशक 31 मार्च 2022 को निदेशक के रूप में नियुक्त होने से अयोग्य नहीं है अधिनियम की धारा 164 (2)

(च) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर अपेक्षित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण और ऐसे नियंत्रण को प्रभावी रूप से परिचालित करने के संबंध में 'परिशिष्ट - 'ख' में दिए हमारे अलग रिपोर्ट का संदर्भ लें।

(छ) चूंकि यह एक सरकारी कंपनी है, इसलिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197(16) कंपनी पर लागू नहीं होती है।

(ज) कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दी गयी स्पष्टीकरण के अनुसार लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल अन्य मामलों के संबंध मेः-

(i) कंपनी ने अपने वित्तीय विवरणों में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव को स्पष्ट किया है - वित्तीय विवरणों के लिए नोट संख्या 29 का संदर्भ लें;

(ii) कंपनी के पास व्युत्पन्न अनुबंध सहित कोई दीर्घकालिक अनुबंध नहीं था, जिसके लिए कोई भौतिक अनुमानित हानि थी; और

(iii) ऐसी कोई राशि नहीं थी जिसे कंपनी द्वारा शिक्षा और संरक्षण कोष में स्थानांतरित करने की आवश्यकता थी।

(iv) (क) प्रबंधन ने प्रस्तुत किया है कि, अपने उचित जानकारी एवं विश्वास में, कोई धन नहीं (जो व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर भौतिक हैं) उन्नत या ऋण या निवेश किया गया है (या तो उधार ली गई निधि से या शेयर प्रीमियम या कोई अन्य स्रोत या फंड) कंपनी द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति या संस्था में, जिसमें विदेशी संस्था ("मध्यस्थ") शामिल हैं, उचित जानकारी में, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो अन्यथा, कि मध्यस्थ, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, उधार देगा या दूसरे में निवेश करेगा व्यक्तियों या संस्थाओं द्वारा या उनकी ओर से किसी भी तरह से पहचान की कंपनी ("अंतिम लाभार्थी") अंतिम लाभार्थियों की ओर से या कोई गारंटी, सुरक्षा प्रदान करते हैं।

(ख) प्रबंधन ने प्रस्तुत किया है कि, अपने उचित जानकारी एवं विश्वास में, कोई धन नहीं (जो व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर भौतिक हैं) सहित किसी भी व्यक्ति या संस्था से कंपनी द्वारा प्राप्त किया गया है विदेशी इकाई ("फंडिंग पार्टियां"), उचित जानकारी में, चाहे रिकॉर्ड किया गया हो लिखित रूप में या अन्यथा, कि कंपनी, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को उधार देना या निवेश करना फ़ंडिंग पार्टी द्वारा या उसकी ओर से ("अंतिम लाभार्थी") अंतिम लाभार्थियों की ओर से या कोई गारंटी, सुरक्षा प्रदान करते हैं।

(ग) ऑडिट प्रक्रियाओं के आधार पर जिन्हें उचित माना गया है और उपयुक्त परिस्थितियों में हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है और हमें विश्वास दिलाया गया कि उप-खंड (i) और (ii) के तहत अभ्यावेदन नियम 11(ई), जैसा कि ऊपर (क) और (ख) के तहत प्रदान किया गया है, इसमें कोई भी गलत कथन (गलतबयानी)नहीं है।

(v) कंपनी ने वर्ष के दौरान किसी भी लाभांश की घोषणा या भुगतान नहीं किया है। इसलिए, अधिनियम की धारा 123 का अनुपालन वर्ष के दौरान लागू नहीं होता है।

कृते **टंडन सेठ एंड कंपनी के लिए**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या 002340सी

ज्ञान प्रकाश गुप्ता
साझेदार
सदस्यता संख्या - 074195

स्थान : कानपुर
दिनांक: 17.11.2022

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट, परिशिष्ट - 'क'

ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड की 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय अवधि के लिए वित्तीय विवरणों पर 31 मार्च, 2022 की हमारी रिपोर्ट के पैरा 1 में संदर्भित)

हमारे द्वारा मांगी गई और कंपनी द्वारा दी गई जानकारी/स्पष्टीकरण और लेखापरीक्षा के सामान्य कार्यप्रणाली में हमारे द्वारा जांचे गए खातों और अभिलेखों की पुस्तकों और हमारी उचित जानकारी और विश्वास के अनुसार, हम कहते हैं कि:

(i) (क) (अ) कंपनी ने कंप्यूटर पर पूर्ण प्रदर्शित मात्रात्मक विवरण बनाए रखा लेकिन इसकी संपत्ति, संयंत्र, स्थान और उपकरण का ठीक से प्रकटन नहीं किया गया है;

(ब) कंपनी के वित्तीय वक्तव्यों में दिखाया गया है की कंपनी के पास कंपनी के नाम पर दो भारतीय कॉपीराइट हैं पंजीकरण संख्या एल- 84251/2019 और एल-96884/2020 जिसका मूल्य नहीं है।

(स) कंपनी ने हर तीन साल में एक बार सभी संपत्तियों को कवर/सम्मिलित करने के लिए संपत्ति, संयंत्र, उपकरण, और उपयोग की संपत्ति के भौतिक सत्यापन का एक कार्यक्रम तैयार किया है, जो कि हमारी राय में कंपनी और उसकी संपत्ति की प्रकृति के संबंध में उचित है। हालांकि इस अवधि के दौरान मूल्यांकक ने संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का भौतिक सत्यापन किया है। हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, इस तरह के सत्यापन पर कोई विशेष विसंगति नहीं देखी गई है, सिवाय इसके कि हमारी मुख्य लेखापरीक्षा रिपोर्ट के पैरा संख्या 1 में रिपोर्ट की गई है।

(ii) नई डीपीएसयू यानी ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड को हस्तांतरित भूमि का शीर्षक विलेख/विक्री विलेख अभी तक कंपनी के नाम पर रिपोर्ट की तारीख तक पंजीकृत नहीं है। वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 2 में अनुलग्न।

(iii) कंपनी की संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का मूल्यांकन 01.10.2021 को एड्रोइट अप्रेजर्स एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड नोएडा, उत्तर प्रदेश द्वारा निम्नलिखित अस्वीकरणों के साथ किया गया है:

अ) हमने संपत्ति के शीर्षक विलेखों का सत्यापन रजिस्ट्रार कार्यालय से नहीं किया है और मान लिया कि ग्राहक द्वारा प्रदान किए गए दस्तावेज प्रामाणिक हैं।

ब) हमने भूमि को सीमाओं और परिमाप की दृष्टि से पहचान करने का प्रयास किया है, हालांकि, संरचनाओं की स्थिति के अनुसार सटीकता के बारे में संदेह है। यह अनुशंसा की जाती है कि एक लाइसेंस प्राप्त सर्वेक्षक से संपर्क किया जा सकता है।

स) नियत तारीख यानी 01.10.2021 को संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का कुल मूल्य 45,414.45 लाख रुपये संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की लागत के रूप में लिया गया है।

(द) जैसा कि प्रबंधन द्वारा सूचित किया गया है, बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत किसी भी बेनामी संपत्ति को रखने के लिए 31 मार्च, 2022 तक कंपनी के खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है या लंबित नहीं है।

(iv) (अ) अवधि के दौरान उचित अंतराल पर प्रबंधन द्वारा कंपनी की वस्तुसूची का वास्तविक सत्यापन किया गया है। हमारी राय में, कंपनी के आकार और उसके संचालन की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए इस तरह के सत्यापन की कवरेज और प्रक्रिया उपयुक्त है। स्टॉक रजिस्टर सत्यापन के दौरान वस्तुसूची के प्रत्येक वर्ग के लिए कुल मिलाकर 10% या उससे अधिक की विसंगतियों पर हम टिप्पणी करने में असमर्थ हैं क्योंकि हमारे सत्यापन उद्देश्यों के लिए हमारे सामने कोई उचित स्टॉक रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं किया गया है।

(ब) कंपनी ने उक्त अवधि के दौरान अपनी मौजूदा संपत्ति की सुरक्षा के आधार पर बैंकों से कार्यशील पूंजी सीमा स्वीकृत नहीं की है; इसलिए, आदेश का पैरा 3 (iv)(बी) लागू नहीं होता है।

(v) कंपनी ने वर्ष के दौरान कंपनियों में निवेश किया है, गारंटी प्रदान की है या असुरक्षित ऋण दिया है, के संबंध में:

(अ) कंपनी ने ऋण की प्रकृति में ऋण या अग्रिम प्रदान नहीं किया है, या गारंटी नहीं दी है, या किसी अन्य संस्था को सुरक्षा प्रदान नहीं की है।

(ब) हमारी राय में, वर्ष के दौरान किए गए निवेश, प्रथम दृष्टया, कंपनी के हित के प्रतिकूल नहीं हैं।

(स) कंपनी ने कोई ऋण नहीं दिया है; इसलिए, चुकौती की अनुसूची और ब्याज के भुगतान के संबंध में आदेश का पैराग्राफ 3(iii) (सी) वर्ष के दौरान लागू नहीं होता है।

(द) कंपनी ने कोई ऋण नहीं दिया है; इसलिए, अतिदेय के संबंध में आदेश का पैरा 3(iii)(डी) वर्ष के दौरान लागू नहीं होता है।

(य) कंपनी ने कोई ऋण नहीं दिया है; इसलिए, देय राशि के नवीकरण/विस्तार से संबंधित आदेश का पैरा 3 (iii) (ई) वर्ष के दौरान लागू नहीं होता है।

(र) कंपनी ने वर्ष के दौरान ऋण की प्रकृति में कोई भी ऋण या अग्रिम, जो या तो मांग पर चुकाया जा सकता है या चुकौती की कोई शर्तें या अवधि निर्दिष्ट किए बिना प्रदान नहीं किया है। इसलिए, पैराग्राफ 3(v)(एफ) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

(vi) जहां अधिनियम की धारा 185 के प्रावधान लागू होते हैं वहां कंपनी ने कोई ऋण, गारंटी या सुरक्षा प्रदान नहीं की है।

(vii) हमारी राय में, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 73 से धारा 76 के अंतर्गत बनाए गए नियमों के साथ उक्त अवधि के दौरान कोई भी जमा या जमा मानी जाने वाली राशि को स्वीकार नहीं किया है। . इसलिए, आदेश का पैरा 3(vii) लागू नहीं होता है।

(viii) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 की उप-धारा (1) के तहत लागत रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार लागत रिकॉर्ड बनाए रखने के प्रावधान इस अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं। तदनुसार आदेश के पैरा 3 के खंड (viii) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

(ix) (अ) हमारे द्वारा प्रस्तुत और जांच की गई पुस्तकों और अभिलेखों के अनुसार, कंपनी सामान और सेवा कर (जीएसटी), भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर सहित अविवादित वैधानिक बकाया जमा करने में आम तौर पर नियमित है। पेंशन फंड, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, उपकर और अन्य सामग्री वैधानिक बकाया, जैसा कि उपयुक्त अधिकारियों के साथ लागू होता है और उपरोक्त वैधानिक देय राशि के संबंध में देय कोई भी अविवादित राशि 31 मार्च, 2022 तक छह महीने से अधिक की अवधि के लिए बकाया नहीं थी। महीनों की तारीख से वे देय हो जाते हैं।

(बी) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, उपरोक्त पैरा (ix) (अ) में निर्दिष्ट प्रकृति का कोई वैधानिक बकाया नहीं है, जिसे किसी विवाद के कारण जमा नहीं किया गया है।

(x) चूंकि यह कंपनी का पहला वर्ष है इसलिए आयकर निर्धारण मामलों के संबंध में पैरा 3(x) कंपनी पर लागू नहीं होता है।

(xi) (अ) कंपनी ने उक्त अवधि के दौरान किसी भी ऋणदाता को ऋण या अन्य उधारों के पुनर्भुगतान या उस पर ब्याज के भुगतान में चूक नहीं की है।

(ब) कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या सरकार या किसी सरकारी प्राधिकरण द्वारा विलफुल डिफॉल्टर (जानबूझकर चूक करने वाला) घोषित नहीं किया गया है।

(स) कंपनी ने उक्त अवधि के दौरान कोई सावधि ऋण नहीं लिया है। इसलिए, आदेश का पैरा 3(xi)(सी) लागू नहीं होता है।

(द) कंपनी ने अल्पकालिक आधार पर कोई धन नहीं जुटाया है। इसलिए, आदेश का पैरा 3(ix)(डी) लागू नहीं होता है।

(य) कंपनी ने अपनी सहायक कंपनियों के दायित्वों को पूरा करने के लिए या उसके कारण किसी भी इकाई या व्यक्ति से कोई धन नहीं लिया है और इसलिए आदेश के खंड 3(xi)(ई) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

(र) कंपनी की कोई सहायक कंपनी नहीं है, इसलिए आदेश के खंड 3(xi)(एफ) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

(xii) (क) कंपनी ने इस अवधि के दौरान आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव या आगे के सार्वजनिक प्रस्ताव (ऋण उपकरणों सहित) के माध्यम से कोई धन नहीं जुटाया है और इसलिए आदेश के खंड 3(xii)(क) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

(ख) वर्ष के दौरान, कंपनी ने शेयरों या परिवर्तनीय डिबेंचर (पूर्ण या आंशिक या वैकल्पिक रूप से) को कोई तरजीही आवंटन या निजी प्लेसमेंट नहीं किया है और इसलिए आदेश के खंड 3(xii) (ख) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

(xiii) (क) इस अवधि के दौरान कंपनी द्वारा कोई धोखाधड़ी या कंपनी पर कोई धोखाधड़ी नहीं देखी गई है या रिपोर्ट नहीं की गई है।

(ख) कंपनी अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (12) के तहत कोई रिपोर्ट वर्ष के दौरान केंद्र सरकार के साथ कंपनी (ऑडिट और ऑडिटर) नियम, 2014 के नियम 13 के तहत निर्धारित फॉर्म एडीटी-4 में इस रिपोर्ट की तारीख तक दर्ज नहीं की गई है।

(ग) व्हिसिल ब्लोअर तंत्र के प्रावधान इस अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

(xiv) कंपनी "निधि कंपनी" नहीं है; इसलिए पैरा 3(xii) आदेश लागू नहीं होता है।

(xv) हमारी राय में, संबंधित पार्टियों के साथ लेन-देन अधिनियम की धारा 177 और 188 का अनुपालन जहां लागू हो किया गया है और ऐसे लेन-देन का विवरण वित्तीय विवरणों में लागू लेखा मानकों द्वारा आवश्यक के रूप में प्रकट किया गया है।

(xvi) (क) हमारी राय में कंपनी के पास अपने व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप पर्याप्त आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली है।

(ख) हमने लेखापरीक्षा के तहत वर्ष के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर विचार किया है, जो हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं की प्रकृति, समय और सीमा का निर्धारण करने के लिए वर्ष के दौरान और आज तक कंपनी को जारी की गई है।

(xvii) हमारी राय में, कंपनी ने निदेशकों या उनसे जुड़े व्यक्तियों के साथ कोई गैर-नकदी लेनदेन नहीं किया है। इसलिए, पैरा 3(xv) आदेश लागू नहीं होता है।

(xviii) (क) हमारी राय में, कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए के तहत पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए, धारा 3(xvi)(क), (ख) और (ग) के तहत रिपोर्टिंग आदेश लागू नहीं होता है।

(ख) हमारी राय में, समूह के भीतर कोई मुख्य निवेश कंपनी नहीं है (जैसा कि कोर निवेश कंपनियों (रिज़र्व बैंक) निर्देश, 2016 में परिभाषित किया गया है) और तदनुसार आदेश के खंड 3(xvi)(घ) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है .

(xix) पहला वित्तीय वर्ष होने के कारण हमारी लेखापरीक्षा द्वारा कवर की गई वित्तीय अवधि के दौरान कंपनी को नकद घाटा नहीं हुआ है।

(xx) इस अवधि के दौरान कंपनी के वैधानिक लेखापरीक्षकों द्वारा कोई इस्तीफा नहीं दिया गया है।

(xxi) वित्तीय अनुपात, अवधि और वित्तीय संपत्तियों की वसूली की अपेक्षित तारीखों और वित्तीय देनदारियों के भुगतान के आधार पर, वित्तीय विवरणों के साथ अन्य जानकारी, निदेशक मंडल और प्रबंधन योजनाओं की हमारी जानकारी और जाँच के आधार पर धारणाओं/पूरवानुमानों का समर्थन करने वाले साक्ष्य, हमारे ध्यान में नहीं आए है, जिसके कारण हमें विश्वास हो जाता कि ऑडिट रिपोर्ट की तारीख के अनुसार किसी भी सामग्री की अनिश्चितता है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी बैलेंस शीट की तारीख में मौजूद अपनी देनदारियों को पूरा करने में सक्षम नहीं है और जबकी वे बैलेंस शीट की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर आते हैं। हालांकि, हम कहते हैं कि यह कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता का आश्वासन नहीं है। हम आगे कहते हैं कि हमारी रिपोर्टिंग ऑडिट रिपोर्ट की तारीख तक के तथ्यों पर आधारित है और हम न तो कोई गारंटी देते हैं और न ही कोई आश्वासन देते हैं कि बैलेंस शीट की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर कंपनी में आने वाली सभी देनदारियों जब वे देय होंगी का भुगतान किया जाएगा।

(xxii) कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) का प्रावधान वर्ष के दौरान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं। तदनुसार, आदेश के खंड 3(xxii) के तहत रिपोर्टिंग अवधि के लिए लागू नहीं है।

कृते **टंडन सेठ एंड कंपनी के लिए**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या 002340सी

ज्ञान प्रकाश गुप्ता
साझेदार
सदस्यता संख्या - 074195

स्थान : कानपुर
दिनांक: 17.11.2022

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट, परिशिष्ट - 'ख'

(ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड की 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय अवधि के लिए वित्तीय विवरणों पर दिनांक 31 मार्च 2022 की हमारी रिपोर्ट के पैरा 3 (च) में संदर्भित)

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट

राय

हमने 31 मार्च, 2022 तक ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड ("कंपनी") के वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के साथ ही उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों का भी परीक्षण किया है।

हमारी राय में, 31 मार्च, 2022 तक की स्थिति के अनुसार, भारत के सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा परीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में कहा गया है कि आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार कर कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदण्ड पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर सभी सामग्री मामलों में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली और वित्तीय रिपोर्टिंग पर इस तरह के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रभावी ढंग से काम कर रहे हैं।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

कंपनी का प्रबंधन तंत्र भारत के सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किए गए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करके कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदण्ड पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर स्थापित करने और आंतरिक वित्तीय नियंत्रण बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। इन जिम्मेदारियों में डिजाइन, कार्यान्वयन और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण बनाए रखने जो कंपनी अधिनियम के तहत अपेक्षानुसार कंपनी की नीतियों के पालन, अपनी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखेबाजी और त्रुटियों की रोकथाम का पता लगाना, सटीकता और लेखा रिकॉर्डों की संपूर्णता और विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी सहित अपने व्यापार के सुव्यवस्थित और कुशल संचालन सुनिश्चित करते हुए प्रभावी ढंग से कार्य कर रही है।

लेखा परीक्षकों का उत्तरदायित्व

हमारी जिम्मेदारी हमारे लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर एक राय व्यक्त करना है। हम भारत के सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग (गाइडेंस नोट) पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शी नोट के अनुसार हमने लेखा परीक्षण किया एवं कंपनी अधियमयम, 2013 की धारा 143(10) के तहत निर्धारित लेखा परीक्षा पर एक हद तक आंतरिक वित्तीय नियंत्रण मानक लागू किए गए हैं। उन मानकों और मार्गदर्शन टिप्पणी की आवश्यकतानुसार, हम नैतिक आवश्यकताओं और योजना के अनुरूप पालन करते हैं और क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित किया है तथा बनाए रखा है और यदि ऐसे नियंत्रण सभी सामग्री मामलों में प्रभावी ढंग से संचालित करते हैं, के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए हम लेखापरीक्षण करते हैं।

हमारे लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर और उनके प्रभावित परिचालन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता के बारे में लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया शामिल है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की हमारी लेखापरीक्षण में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की एक समझ प्राप्त करने, मौजूद सामग्री का जोखिम मूल्यांकन करने पर जाँच एवं डिजाइन के मूल्यांकन तथा मूल्यांकन जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण की प्रभावी ढंग से संचालन शामिल है। वित्तीय विवरणों की सामग्री के गलत बयान के जोखिम आंकलन, चाहे धोखेबाजी या त्रुटि के कारण, को भी शामिल कर लेखा परीक्षकों के फैसले पर चयनित प्रक्रियाएं निर्भर करती हैं।

हमें विश्वास है कि, हमें प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य वित्तीय रिपोर्टिंग की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारे लेखा परीक्षा की राय के लिए एक आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए बनाया गया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो **(1)** रिकॉर्ड के रखरखाव से संबंधित हैं, जो उचित विवरण में, कंपनी की संपत्ति के लेन-देन और स्वभाव को सटीक और निष्पक्ष रूप से दर्शाती हैं; **(2)** उचित आश्वासन प्रदान करता है कि आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों की तैयारी की अनुमति देने के लिए लेन-देन आवश्यक रूप से दर्ज किए

जाते हैं, और कंपनी की प्राप्तियां और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरणों के अनुसार किए जा रहे हैं; और **(3)** कंपनी की संपत्ति के अनाधिकृत अधिग्रहण, उपयोग, या निपटान की रोकथाम या समय पर पता लगाने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करते हैं जो वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की निहित सीमाएँ

त्रुटि या धोखेबाजी होने पर दूराभिसंधि (मिलीभगत) या नियंत्रण से अनुचित प्रबंधन, सामग्री का गलत बयान सह वित्तीय रिपोर्टिंह पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण निहित सीमाओं से पता नहीं लगाया जा सकता। इसके अलावा भविष्य के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यवान की प्रक्षेपण जोखिम के अधीन है कि, स्थितियों में बदलाव के कारण, वित्तीय पिरोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त होंगे या नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की डिग्री खराब हो सकती है।

कृते **टंडन सेठ एंड कंपनी के लिए**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या 002340सी

ज्ञान प्रकाश गुप्ता
साझेदार
सदस्यता संख्या - 074195

स्थान : कानपुर
दिनांक: 17.11.2022

रिपोर्ट की टिप्पणियों के कारण कंपनी के वित्तीय विवरणों में शुद्ध (वास्तविक) प्रभाव का अनुबंध:

क्र.सं.	वित्तीय विवरणों में प्रभावी लेखा शीर्ष	राशि (रु.) लाख में	वित्तीय विवरणों पर प्रभाव
1	नोट संख्या 17 - उपभोग की गई सामग्री की लागत (एयू आरई पैरा सं. -2)	3.19	अतिरंजित
2	नोट संख्या 16 - अन्य आय – (ग) अन्य गैर-परिचालन राजस्व - तरलता क्षति जुर्माना और जुर्माना (एयू आरई पैरा सं. -10)	3.00	अतिरंजित
3	नोट संख्या 3 - कच्चा माल, भंडारण (एयू आरई पैरा सं. -2)	3.19	अतिरंजित
4	नोट संख्या 12 - अन्य वर्तमान देयताएं (एयू आरई पैरा सं. -10)	3.00	अतिरंजित
5	नोट संख्या 2 - अचल संपत्ति (एयू आरई पैरा सं. -2)	3.19	कम बताया गया
6	नोट संख्या - 17 – खरीद (एयू आरई पैरा सं. -9)	33.29	अतिरंजित
7	नोट संख्या - 7 - राजस्व प्राधिकारियों के पास शेष (एयू आरई पैरा सं. -9)	33.29	कम बताया गया
8	शुद्ध लाभ (एयू आरई पैरा सं. -2,9 एवं 10)	27.10	कम बताया गया

गोपनीय/स्पीड पोस्ट

संख्या 185 /टी-459/जीआईएल/लेखा/2022-23
दिनांक:- 31.01.2023

सत्यमेव जयते

कार्यलय
महा निर्देशक लेखा परीक्षा
आयुध फैक्ट्रियां
कोलकाता

OFFICE OF THE
DIRECTOR GENERAL OF AUDIT
ORDINANCE FACTORIES
KOLKATA

सेवा में,
अध्यक्ष एवं प्रबंध निर्देशक,
एम/एस. ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड,
जी टी रोड, कानपुर - 208013
corporate@glidersindia.in

विषय: कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) (बी) के तहत खातों पर टिप्पणी
ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड, कानपुर 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए

महोदय,

मैं 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए मैसर्स ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड, कानपुर के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (6) (बी) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों को अग्रेषित कर रहा हूं।

कृपया इस पत्र के प्राप्ति की पावती दी जाए।

भवदीय
(शरत चतुर्वेदी)
महानिदेशक लेखापरीक्षा
(आयुध निर्माणियां)
कोलकाता
संल्ग्न: यथोपरि

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड, कानपुर के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(बी) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ

कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड, कानपुर के स्टैंडअलोन (एकमात्र) वित्तीय विवरण की तैयारी कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 139(7) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक अधिनियम की धारा 143 के तहत इन वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार है, जो धारा के तहत निर्धारित लेखापरीक्षा के मानक के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के अधिनियम की धारा 143(10) पर आधारित है। ऐसा उनकी 17 नवंबर 2022 की ऑडिट रिपोर्ट में उनके द्वारा किया गया बताया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से अधिनियम की धारा 143(6)(ए) के तहत 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड, कानपुर के वित्तीय विवरण की पूरक लेखापरीक्षा की है। यह पूरक लेखापरीक्षा वैधानिक लेखापरीक्षक के कामकाजी कागजात के बिना स्वतंत्र रूप से की गई है और मुख्य रूप से सांविधिक लेखापरीक्षक और कंपनी के कर्मियों की पूछताछ और कुछ लेखा अभिलेखों की एक चुनिंदा परीक्षा तक सीमित है।

मेरे पूरक लेखा परीक्षा के आधार पर, मैंने अधिनियम की धारा 143(6)(बी) के तहत निम्नलिखित महत्वपूर्ण मामलों को प्रकट करना चाहता हूं जो मेरे ध्यान में आए हैं और जो मेरे विचार से वित्तीय विवरण की बेहतर समझ को सक्षम करने और संबंधित लेखापरीक्षा रिपोर्ट के लिए आवश्यक हैं ।

क. लाभप्रदता पर टिप्पणियाँ

तुलन पत्र
इक्विटी और देयता
देयताएं
अन्य चालू देयताएं (नोट 12) रु. 46.96 करोड़

1. उपरोक्त में पुरानी परिभाषित पेंशन लाभ योजना और राष्ट्रीय पेंशन के तहत शामिल मानद प्रतिनियुक्ति (विदेश सेवा) पर पूर्ववर्ती आयुध निर्माणी बोर्ड (आयुध पैराशूट फैक्टरी कानपुर) के कर्मचारियों के संबंध में नियोक्ता के योगदान के प्रावधान के लिए 5.45 करोड़ रुपये 01 अक्टूबर 2021 से 31 मार्च 2022 की अवधि के दौरान की राशि शामिल नहीं है। कार्यालय ज्ञापन दिनांक 24 सितंबर 2021 के अनुसार, भारत सरकार ने अपनी सभी देनदारियों को नवगठित डीपीएसयू में स्थानांतरित कर दिया है, इसलिए कंपनी सेवाओं का लाभ उठाने के लिए इस दायित्व को प्रदान करने के लिए छह महीने की अवधि तक मानद प्रतिनियुक्ति पर सरकारी कर्मचारियों की संख्या के अनुरूप बाध्य है। इसके परिणामस्वरूप कंपनी की अन्य मौजूदा देनदारियों को कम और कंपनी के लाभ को 5.45 करोड़ रुपये से अधिक बताया गया है।

ख. वित्तीय स्थिति पर टिप्पणियाँ

संपत्तियां - वर्तमान संपत्तियां
अन्य वित्तीय संपत्तियां (नोट 7) - रु. 100.38 लाख

2. इसमें 53.51 लाख रुपये की राशि शामिल नहीं है, कानपुर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड, कानपुर (52.56 लाख रुपये) और बीएसएनएल, कानपुर (0.95 लाख रुपये) के पास सुरक्षा जमा राशि होने के कारण अन्य वित्तीय संपत्तियों के रूप में गिना जाने के परिणामस्वरूप अन्य वित्तीय संपत्तियों के साथ-साथ अन्य इक्विटी रुपये 53.51 लाख है।

कृते **भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक**
(शरत चतुर्वेदी)
महानिदेशक लेखापरीक्षा
(आयुध निर्माणियां)
कोलकाता

स्थान: कोलकाता
दिनांक 31.01.2023

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6) (बी) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों पर प्रबंधन की प्रतिक्रिया:

क) लाभप्रदता पर टिप्पणियाँ

1. हिस्सेदारी और देनदारियां

अन्य वर्तमान देनदारियां (नोट 12): रु. 46.96 करोड़

1. उपरोक्त में पुराने निर्धारित लाभ पेंशन स्कीम के तहत डीम्ड प्रतिनियुक्ति (विदेश सेवा) पर पूर्ववर्ती आयुध निर्माणी बोर्ड (ऑर्डनेंस पैराशूट फैक्ट्री कानपुर) के कर्मचारियों के संबंध में नियोक्ता के योगदान के प्रावधान के लिए 5.45 करोड़ रुपये की राशि और 01 अक्टूबर 2021 से 31 मार्च 2022 की अवधि के दौरान राष्ट्रीय पेंशन योजना शामिल नहीं है। दिनांक 24 सितंबर 2021 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार, भारत सरकार ने अपनी सभी देनदारियों को नवगठित डीपीएसयू में स्थानांतरित कर दिया है, इसलिए कंपनी छह महीने की अवधि के लिए डीम्ड प्रतिनियुक्ति पर सरकारी कर्मचारियों की सेवाएं लेने के लिए बाध्य है। इसके परिणामस्वरूप कंपनी की अन्य मौजूदा देनदारियों को कम करके और कंपनी के लाभ को 5.45 करोड़ रुपये से अधिक बताया गया है।

   ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड की टिप्पणी: 1 अक्टूबर 21 से निगमीकरण के बाद, पूर्ववर्ती ओएफबी के सभी कर्मचारी सरकारी कर्मचारी के समान सेवा शर्तों के साथ कंपनी में डीम्ड प्रतिनियुक्ति पर काम कर रहे हैं।

   केंद्र सरकार के एनपीएस अभिदाताओं के संबंध में, भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन विभाग) के कार्यालय ज्ञापन संख्या 1(5)/2021/ओएफ/डीपी (पीएलजी-V)/02 दिनांक 24 सितंबर 2021 के पैरा 07 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है। जिसमें कहा गया है कि "सेवानिवृत्त और मौजूदा कर्मचारियों की पेंशन देनदारियों को सरकार द्वारा रक्षा मंत्रालय (एमओडी) के बजट से रक्षा पेंशन के लिए वहन किया जाएगा। 01.01.2004 के बाद भर्ती हुए कर्मचारियों के लिए, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए लागू राष्ट्रीय पेंशन योजना प्रचलित है और इसे नए डीपीएसयू द्वारा अपनाया जा सकता है, जिसमें राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए लागू सभी विशेष प्रावधानों को जारी रखना शामिल है।"

   यह प्रस्तुत किया जाता है कि कार्यालय ज्ञापन के पैरा 07 के अनुसार, कंपनी 01.01.2004 के बाद भर्ती कर्मचारियों के संबंध में केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर लागू विशेष प्रावधानों के अनुसार नियोक्ता अंशदान का भुगतान कर रही है (अर्थात् मूल वेतन का 14%) और डीए)।

   इसके अलावा, उसी कार्यालय ज्ञापन के पैरा संख्या 8 के अनुसार, "नए डीपीएसयू में आमेलन पर ओएफबी के कर्मचारियों को पेंशन लाभ के भुगतान की शर्त को केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 37-ए के अनुसार विनियमित किया जाएगा।

   नियम 37ए, पैरा नं. 16 संदर्भ के लिए नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया:

   "सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में सरकारी सेवक के आमेलन की तारीख तक की गई सेवा के लिए पेंशन निधि, पेंशन या सेवा उपदान और सेवानिवृत्ति उपदान के लिए एकमुश्त भुगतान के रूप में अपनी पेंशन संबंधी देयता का निर्वहन करेगी।"

   उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, टर्मिनल लाभों के लिए प्रावधान करने का दायित्व भारत सरकार द्वारा वहन किया जाएगा जैसा कि कंपनी में कोई स्थायी कर्मचारी नहीं है। न भारत सरकार और न ही कंपनी ने भविष्य की किसी सेवा शर्त को निश्चित किया है। उपरोक्त के बावजूद, जीआईएल ने प्रस्तुत किया है कि इस संबंध में सरकार द्वारा दिए गए किसी भी अन्य निर्देश का पालन किया जाएगा।

ख) वित्तीय स्थिति पर टिप्पणियाँ

संपत्ति - वर्तमान संपत्ति
अन्य वित्तीय संपत्तियां (नोट 7): रु. 100.38 लाख

2. इसमें रु. 53.51 लाख रुपये की राशि शामिल नहीं है, जो कानपुर इलेक्ट्रिकल सप्लाई कंपनी लिमिटेड, कानपुर (रु. 52.56 लाख) और बीएसएनएल, कानपुर (रु. 0.95 लाख रुपये) के पास सुरक्षा जमा राशि (जमानत राशि) है, जिसे अन्य वित्तीय संपत्तियों के रूप में गिना जाने के लिए छोड़ दिया गया है, जिसके परिणामस्वरूप अन्य वित्तीय संपत्ति के साथ-साथ अन्य इक्विटी में रु. 53.51 लाख रुपये है।

   जीआईएल की टिप्पणियाँ: 30.09.2021 को समाप्त अवधि के लिए समापन खाते में रु. 53.51 लाख रुपये की राशि शामिल नहीं है, जो

कि कानपुर इलेक्ट्रिकल सप्लाई कंपनी लिमिटेड, कानपुर (रु. 52.56 लाख रुपये) और बीएसएनएल, कानपुर (रु. 0.95 लाख रुपये) के साथ सुरक्षा जमा जमा राशि (जमानत राशि) है।), इसलिए 01.10.2021 से प्रारंभिक शेष में आगे नहीं बढ़ाया गया।

तथापि, आगामी वित्तीय वर्ष 2022-23 में इस राशि को वित्तीय विवरणों में दर्शाने के लिए उचित कार्रवाई की जाएगी।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से
कृते **ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड**

विजय कुमार तिवारी
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 09282247

सुरेंद्र धापोडकर
निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ
डीआईएन: 09282248

स्थान : कानपुर
दिनांक : 10/02/2023

तुलन-पत्र 31 मार्च-2022 तक

(रु. लाख में)

विवरण	नोट नं.	31 मार्च -22
II. संपत्तियां		
क. अप्रचलित परिसंप्ति		
(क) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	2	45,219.12
(ख) पूंजी कार्य-प्रगति		-
(ग) निवेश संपत्ति		-
(घ) साख		-
(ङ) अन्य अमूर्त संपत्ति		-
(च) विकास के तहत अमूर्त संपत्तियां		-
(छ) वाहक संयंत्रों के अलावा अन्य जैविक संपत्तियां		-
(ज) वित्तीय संपत्ति		-
(i) निवेश		-
(ii) व्यापार प्राप्य		-
(iii) ऋण		-
(iv) अन्य वित्तीय संपत्तियां		-
(झ) आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)		-
(ञ) अन्य अप्रचलित परिसंपत्तियां		-
कुल अप्रचलित परिसंपत्तियां		**45,219.12**
ख. वर्तमान परिसंपत्तियां		
(क) वस्तुसूची	3	6,254.80
(ख) वित्तीय परिसंपत्ति		-
(i) निवेश	4	3,340.63
(ii) व्यापार प्राप्य	5	380.33
(iii) नकद और नकद समकक्ष	6	3,713.97
(iv) के अलावा बैंक बैलेंस (iii) नकद और नकद समकक्षों से ऊपर		-
(v) ऋण		-
(vi) अन्य		-
(ग) वर्तमान कर परिसंपत्तियां (शुद्ध)		-
(घ) अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां	7	100.38
कुल मौजूदा संपत्तियां		**13,790.11**
कुल परिसंपत्तियां		**59,009.23**
I. इक्विटी और देयताएं		
क. इक्विटी		
(क) इक्विटी शेयर पूंजी	8	579.00
(ख) अन्य इक्विटी	9	52,416.84
कुल इक्विटी		**52,995.84**
ख. देनदारियां		
अप्रचलित देनदारियां		
(क) वित्तीय देनदारियां		
(i) उधार		-
(ii) व्यापार देय		
(iii) अन्य वित्तीय देनदारियां ((ख) में निर्दिष्ट के अलावा अन्य		-
(ख) प्रावधान		-
(ग) आस्थगित कर देनदारियां (शुद्ध)	10	9.97
(घ) अन्य अप्रचलित देनदारियां		-
कुल अप्रचलित देनदारियां		**9.97**
वर्तमान देनदारियां		
(क) वित्तीय देनदारियां		
(i) उधार		-
(ii) व्यापार देय	11	515.84
(iii) अन्य वित्तीय देनदारियां (आइटम (ग) में निर्दिष्ट के अलावा)		
(ख) अन्य मौजूदा देनदारियों	12	4,696.29
(ग) प्रावधान	13	776.34
(घ) वर्तमान कर देनदारियां (शुद्ध)	14	14.95
कुल वर्तमान दायित्व		**6,003.42**
कुल शेयर और देनदारियां		**59,009.23**

संलग्न नोट इन वित्तीय विवरणों का एक अभिन्न अंग हैं

हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते **टंडन सेठ एवं कम्पनी**
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 002340सी

सीए ज्ञान प्रकाश गुप्ता
साझेदार

स्थान : कानपुर
दिनांक: 17-11-2022

निदेशक मंडल के लिए एवं उनकी ओर से

विजय कुमार तिवारी
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 09282247

सुरेंद्र धापोडकर
निदेशक (वित्त) और सीएफओ
डीआईएन: 09282248

अर्चना गुप्ता
कंपनी सचिव

लाभ और हानि का विवरण 14 अगस्त-2021 से 31 मार्च-2022

(रु. लाख में)

	विवरण	नोट नं	31 मार्च -22
I	प्रचालन से राजस्व	15	8,594.21
II	अन्य आय	16	126.33
III	**कुल आय (I + II)**		**8,720.54**
IV	व्यय:		
	उपभोग की गई सामग्रियों की लागत	17	1,293.16
	स्टॉक-इन-ट्रेड की खरीद		-
	तैयार माल की सूची में परिवर्तन कार्य-प्रगति और स्टॉक-इन-ट्रेड	18	953.45
	वित्त लागत		-
	कर्मचारी लाभ व्यय	19	5,584.15
	मूल्यह्रास और ऋण परिशोधन व्यय	20	263.47
	अन्य व्यय	21	530.47
	कुल व्यय (IV)		**8,624.70**
V	असाधारण मदों और कर से पहले लाभ/(हानि) (I-IV)		**95.84**
VI	असाधारण वस्तुएं		-
VII	कर पूर्व लाभ/(हानि) (V-VI)		95.84
VIII	कर व्यय		
	(1) वर्तमान कर	14	14.95
	(2) आस्थगित कर	10	9.97
IX	जारी प्रचालन से अवधि के लिए लाभ/(हानि) (VII-VIII)		**70.92**
X	बंद प्रचालनों से लाभ/(हानि)।		-
XI	बंद प्रचालन का कर व्यय		-
XII	प्रचालन बंद करने से लाभ/(हानि) (कर के बाद) (X-XI)		-
XIII	अवधि (IX + XII) के लिए लाभ (हानि)		**70.92**
XIV	अन्य व्यापक आय		
	क. (i) मद जो लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत नहीं होंगे		
	(ii) उन मदों से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		
	ख. (i) मद जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा		
	(ii) उन मदों से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा		
XV	अवधि के लिए कुल व्यापक आय (XIII+XIV) जिसमें लाभ (हानि) और अवधि के लिए अन्य व्यापक आय शामिल है		**70.92**
XVI	प्रति इक्विटी शेयर आय (बंद प्रचालनों के लिए):	22	
	(1) बुनियादी		-
	(2) डाइल्यूटेड		-
XVI	प्रति इक्विटी शेयर आय (निरंतर प्रचालन के लिए):	22	
	(1) बुनियादी		200.62
	(2) डाइल्यूटेड		0.01

संलग्न नोट इन वित्तीय विवरणों का एक अभिन्न अंग हैं

हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते **टंडन सेठ एवं कम्पनी**
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 002340सी

निदेशक मंडल के लिए एवं उनकी ओर से

सीए ज्ञान प्रकाश गुप्ता
साझेदार

विजय कुमार तिवारी
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 09282247

सुरेंद्र धापोडकर
निदेशक (वित्त) और सीएफओ
डीआईएन: 09282248

स्थान : कानपुर
दिनांक: 17-11-2022

अर्चना गुप्ता
कंपनी सचिव

नकदी प्रवाह का विवरण 31 मार्च-2022

(रु. लाख में)

विवरण		31 मार्च -22
परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह		-
आयकर से पहले लाभ		95.84
समायोजन		-
मूल्यह्रास एवं ऋण परिशोधन व्यय		263.47
कार्यशील पूंजी परिवर्तन पूर्व परिचालन लाभ		359.31
परिचालन संपत्तियों और देनदारियों में बदलाव		-
व्यापार देय में वृद्धि/(कमी)।		515.84
अल्पकालिक प्रावधानों में वृद्धि/(कमी)		776.34
अन्य मौजूदा देनदारियों में वृद्धि / (कमी)		4,696.29
वस्तुसूची में वृद्धि / (कमी)		612.20
प्राप्तियों में वृद्धि / (कमी)		(380.33)
अन्य धारा में वृद्धि / (कमी)		(35.91)
नकदी (प्रयुक्त) / प्रचालन कार्यकलापों से उत्पन्न	**[क]**	**6,543.74**
निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
अचल परिसंपत्तियों की खरीद		(68.14)
(वृद्धि)/निवेश में कमी		(3,340.63)
नकद (प्रयुक्त) / निवेश कार्यकलापों से उत्पन्न	**[ख]**	**(3,408.77)**
वित्तीय कार्यकलापों से नकदी प्रवाह		
शेयर पूंजी के शेयर जारी करने के एवज में प्राप्त धन		579.00
नकद (प्रयुक्त) / वित्तपोषित कार्यकलापों से उत्पन्न	**[ग]**	**579.00**
शुद्ध वृद्धि/(नकदी और नकद समतुल्य में कमी)	**घ= क+ख+ग**	**3,713.97**
शुरुआत में नकद और नकद समतुल्यता		
31 मार्च 2022 को नकद और नकद समतुल्यता		**3,713.97**

संलग्न नोट इन वित्तीय विवरणों का एक अभिन्न अंग हैं

हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते **टंडन सेठ एवं कम्पनी**
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 002340सी

निदेशक मंडल के लिए एवं उनकी ओर से

सीए ज्ञान प्रकाश गुप्ता
साझेदार

विजय कुमार तिवारी
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 09282247

सुरेंद्र धापोडकर
निदेशक (वित्त) और सीएफओ
डीआईएन: 09282248

स्थान : कानपुर
दिनांक: 17-11-2022

अर्चना गुप्ता
कंपनी सचिव

साम्यिक में परिवर्तन का विवरण

(रु. लाख में)

क. साम्यकि शेयर पूंजी

विवरण	रिपोर्टिंग अवधि के आरंभ में शेष	पूर्व अवधि की त्रुटियों के कारण साम्यिक शेयर पूंजी में परिवर्तन	वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में पुनर्कथित शेष	अवधि के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	रिपोर्टिंग अवधि के अंत में शेष
वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि 31 मार्च 2022 को समाप्त हुई	1.00	-	-	578.00	579.00

ख. अन्य इक्विटी

विवरण	शेयर आवेदन राशि लंबित आवंटन	यौगिक वित्तीय साधनों का इक्विटी घटक	आरक्षित और अधिशेष										शेयर वारंट के सापेक्ष प्राप्त धन	कुल
			संपत्ति कोष	प्रतिभूति प्रीमियम खाता	निगमीकरण के कारण सरकार को शेयर जारी करने के लिए अन्य भंडार	प्रतिधारित कमाई	अन्य व्यापक आय के माध्यम से ऋण साधन	अन्य व्यापक आय के माध्यम से इक्विटी साधन	नकदी प्रवाह बचाव का प्रभावी हिस्सा	पुनर्मूल्यांकन अधिशेष	वित्तीय विवरणों के अनुवाद पर विनिमय अंतर	अन्य व्यापक आय		
वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के आरंभ में शेष	-	-	-	-	-	-		-		-	-	-	-	-
लेखांकन नीति/पूर्व अवधि की त्रुटियों में परिवर्तन					-									
रिपोर्टिंग अवधि के आरंभ में पुनर्निर्धारित शेष राशि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल व्यापक आय/(हानि)					-									-
लाभांश														
निगमीकरण के कारण जारी किए जाने वाले शेयरों के लिए आरक्षित भंडार					52,345.92					-				52,345.92
प्रतिधारित आय में स्थानांतरण						70.92								70.92
वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के अंत में शेष राशि	-	-	-	-	52,345.92	70.92	-	-	-	-	-	-	-	52,416.84

टिप्पणी:

1. भारत सरकार को शेयर जारी करने के लिए अन्य भंडार आयुध कारखानों के निगमीकरण के कारण ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड को हस्तांतरित संपत्ति के शुद्ध संपत्ति मूल्य की राशि का प्रतिनिधित्व करता है।
2. निगमीकरण के अनुसार शुद्ध परिसंपत्ति मूल्य के शेयरों को सरकार को जारी किया जाना आवश्यक है।
3. संपत्ति का शुद्ध संपत्ति मूल्य 31 मार्च -2022 तक निर्धारित नहीं किया जा सका, क्योंकि इसे बोर्ड की 19 सितंबर -2022 की बैठक में अंतिम रूप दिया गया था और अनुमोदित किया गया था
4. निर्धारित एनएवी के शेयरों को अभी जारी किया जाना है।

संलग्न नोट इन वित्तीय विवरणों का एक अभिन्न अंग हैं

हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते **टंडन सेठ एवं कम्पनी**
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 002340सी

निदेशक मंडल के लिए एवं उनकी ओर से

सीए ज्ञान प्रकाश गुप्ता
साझेदार

विजय कुमार तिवारी
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 09282247

सुरेंद्र धापोडकर
निदेशक (वित्त) और सीएफओ
डीआईएन: 09282248

स्थान : कानपुर
दिनांक: 17-11-2022

अर्चना गुप्ता
कंपनी सचिव

महत्वपूर्ण लेखाकार्य नीतियां

1. तैयारी का आधार

(क) अनुपालन का विवरण:

वित्तीय विवरण भारतीय लेखा मानक (भा.ले.मा.) के अनुसार तैयार और प्रस्तुत किए जाते हैं [कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत अधिसूचित, कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के नियम 3 के साथ पढ़ें], लागू सीमा तक, कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधान और इन्हें दहड़ता से लागू किया गया है।

(ख) कार्यात्मक और मुद्रा प्रस्तुति :

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण भारतीय रुपये में प्रस्तुत किए जाते हैं, जो कि कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा और प्राथमिक आर्थिक वातावरण की मुद्रा है जिसमें इकाई संचालित होती है। शेयर और प्रति शेयर डेटा को छोड़कर भारतीय रुपये में प्रस्तुत सभी वित्तीय जानकारी को निकटतम लाख में बदल दिया गया है।

2. प्राक्कलनों का उपयोग

क) भारतीय लेखा मानक की मान्यता और माप सिद्धांत के अनुरूप वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए कंपनी के प्रबंधन को अनुमान, निर्णय और धारणाएं बनाने की आवश्यकता होती है जो संपत्ति और देनदारियों की रिपोर्ट की गई शेष राशि तथा आकस्मिक देनदारियों से संबंधित प्रकटीकरण की तारीख को वित्तीय विवरण और रिपोर्टिंग अवधि के लिए राजस्व और व्यय की रिपोर्ट की गई राशि को प्रभावित करती है।

ख) अनुमान और अंतर्निहित धारणा की समीक्षा निरंतरता के आधार पर की जाती है। लेखांकन अनुमानों के लिए दृष्टि, यदि सामग्री को उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें अनुमानों को संशोधित किया जाता है।

ग) वित्तीय विवरणों में मान्यता प्राप्त राशियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने वाली लेखांकन नीतियों को लागू करने में किए गए अनुमान और निर्णय निम्नानुसार हैं:

i) प्रावधान और आकस्मिकताएं

मौजूदा उपलब्ध जानकारी के आधार पर प्रबंधन के सर्वोत्तम निर्णय के अनुसार किए गए आकलन प्रावधानों और आकस्मिकताओं को पहचानते हैं।

ii) आय कर

कंपनी का कर अधिकार क्षेत्र भारत है। अग्रिम कर का भुगतान करने के उद्देश्य से बजटीय लाभ का अनुमान लगाने, आयकर के लिए प्रावधान निर्धारित करने, अनिश्चित कर स्थितियों के लिए भुगतान/वसूली की जाने वाली राशि सहित महत्वपूर्ण निर्णय शामिल हैं।

3. प्रचालन चक्र

क) संपत्ति और देनदारियों के वर्तमान और गैर-वर्तमान वर्गीकरण के उद्देश्य से कंपनी ने अपने प्रचालन चक्र को 12 महीने माना है।

4. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई)

क) 1 अक्टूबर -2021 को कंपनी ने भारत सरकार से संपत्ति का अधिग्रहण किया, ऐसी संपत्ति का मूल्यांकन पंजीकृत मूल्य द्वारा किया जाता है और मूल्य द्वारा निर्धारित मूल्य को कंपनी द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की लागत के रूप में लिया जाता है।

ख) भारतीय लेखा मानक 101-पहली बार भारतीय लेखा मानकों को अपनाने के अनुसार, कंपनी ने 1 अक्टूबर -2021 को ओपनिंग बैलेंस पर उनकी मानी गई लागत के रूप में अपने सभी पीपीई के मूल्य द्वारा निर्धारित मूल्य पर विचार करने के लिए चुना था।

ग) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण संचित मूल्यह्रास और संचित हानि नुकसान, यदि कोई हो, की लागत पर बताया गया है।

घ) लागत में खरीद मूल्य, आयात शुल्क और गैर-वापसी योग्य खरीद कर शामिल हैं, व्यापार छूट और छूट को घटाने के बाद और संपत्ति को स्थान पर लाने के लिए अर्हक संपत्ति पर उधार लागत सहित प्रत्यक्ष रूप से लागू होने वाली कोई भी लागत और संचालन करने में सक्षम होने के लिए आवश्यक शर्तें प्रबंधन द्वारा प्रायोजित हैं।

ङ) प्रमुख निरीक्षण लागत, स्पेयर पार्ट्स, स्टैंड बाय और सर्विसिंग उपकरण सहित पीपीई से संबंधित बाद के व्यय को तभी पूंजीकृत किया जाता है जब यह संभव हो कि इनसे जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी को मिलेंगे और संबंधित मद की लागत को मज़बूती

महत्वपूर्ण लेखाकार्य नीतियां

से मापा जा सकता है।

च) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण संचित मूल्यह्रास कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II में निर्दिष्ट परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन पर सीधी रेखा के आधार पर की जाती है।

छ) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण जिसका शेष उपयोगिता जीवन समाप्त हो गया है, वहन मूल्य को बरकरार रखा गया है और उन संपत्तियों पर कोई और मूल्यह्रास नहीं लगाया गया है।

ज) वर्ष के दौरान खरीदे गए पीपीई की कीमत 10,000 रुपये से कम होने पर इसे संपत्ति के रूप में पूंजीकृत नहीं किया गया है।

झ) लागत और संबंधित संचित मूल्यह्रास को बिक्री आदेश-परिसंपत्ति की मान्यता या उपयोगिता समाप्त होने पर वित्तीय विवरणों से हटा दिया जाता है और परिणामी लाभ या हानि को संबंधित अवधि के लाभ और हानि के विवरण में दर्ज किया जाता है।

5. प्रगतिरत कार्य पूंजी एवं पूंजी अग्रिम (सीडब्ल्यूआईपी)

क) बैलेंस शीट की प्रत्येक तारीख को बकाया पीपीई के अधिग्रहण के लिए दिए गए अग्रिमों को अन्य अचल संपत्तियों के रूप में प्रकट किया जाता है।

ख) तुलन पत्र की तारीख को संपत्ति की लागत उपयोग के लिए तैयार नहीं है, इसे सीडब्ल्यूआईपी के रूप में दिखाया गया है। इस तरह की संपत्तियों को पीपीई की उपयुक्त श्रेणियों में तब वर्गीकृत किया जाता है जब वे पूरी हो जाती हैं और प्रायोजित उद्देश्य के लिए तैयार हो जाती हैं।

ग) कंपनी बिल्डिंग/मशीन रजिस्टर का रखरखाव करती है। भवन/मशीन पूर्ण/स्थापित है और सभी प्रकार से क्लेरेंस के बाद उपयोग के लिए तैयार होते हैं, ऐसे पूर्ण भवन/मशीन के लिए प्रविष्टि संबंधित वाउचरों के बनने के बाद उन्हें क्रमवार रजिस्टर में दर्ज किया जाता है।

घ) ऐसी संपत्तियों पर मूल्यह्रास तब शुरू होता है जब परिसंपत्तियों का उपयोग किया जाता है।

ङ) निर्माण अवधि के दौरान किए गए व्यय

- राजस्व व्यय विशेष रूप से निर्माण अवधि के दौरान किए गए परियोजनाओं के कारण पूंजीकृत हैं।
- पूंजीगत सुविधाओं के संबंध में इस तरह के खर्च को उत्पादन/संचालन के साथ-साथ निष्पादित किया जा रहा है और व्यय विशेष रूप से राजस्व के लिए आरोपणीय नहीं हैं।

6. निवेश संपत्ति

क) एक संपत्ति को निवेश संपत्ति के रूप में तभी माना जाता है जब वह किराया अर्जित करने और/या पूंजी वृद्धि या दोनों के लिए आयोजित की जाती है। कंपनी द्वारा धारित संपत्ति (प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से) जिसका उपयोग प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति के उत्पादन में किया जाता है, उन्हें निवेश संपत्ति नहीं माना जाता है।

ख) कंपनी के पास कारखाने की भूमि और प्रशासनिक भवनों के अलावा अन्य संपत्तियां हैं जो कंपनी के कर्मचारियों के लिए विशेष रूप से उपलब्ध आवासीय क्वार्टर के रूप में उपयोग की जाती हैं। कर्मचारियों की सुविधा के उद्देश्य से कंपनी द्वारा रखी गई ऐसी संपत्ति जिसके लिए केंद्र सरकार के मानदंडों के अनुसार न्यूनतम लाइसेंस शुल्क लिया जाता है, उसे निवेश संपत्ति नहीं माना जाता है।

7. अमूर्त संपत्ति

क) नियंत्रित अमूर्त संपत्तियां और जिनसे भविष्य में आर्थिक लाभ प्रवाहित होने की उम्मीद है और उपयोगी जीवन को किसी भी संचित परिशोधन और संचित हानि हानियों, यदि कोई हो, को घटाकर लागत पर पहचाना जाता है।

ख) उपयोगी जीवन वाली विकास लागतें और जो संभावित भविष्य के आर्थिक लाभ उत्पन्न करेंगी, एक अमूर्त संपत्ति के रूप में पहचानी जाती हैं और तकनीकी अनुमान के आधार पर उत्पादन पर गिरवी रखी जाती हैं और परिशोधित नहीं की गई सीमा तक आगे बढ़ाई जाती हैं।

ग) लागत की माप की विश्वसनीयता और परिसंपत्तियों से भविष्य के आर्थिक लाभों के संदर्भ में अमूर्त संपत्ति की परिभाषा मानदंड के आधार पर लाइसेंस शुल्क, प्रलेखन शुल्क आदि पर व्यय,, तकनीकी अनुमानों के आधार पर उत्पादन पर परिशोधित किया जाता है, और एक सीमा तक बिना परिशोधन के आगे बढ़ाया जाता है।

घ) अनुसंधान पर व्यय को उस अवधि में व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है जिसमें यह खर्च किया गया है।

महत्वपूर्ण लेखाकार्य नीतियां

ङ) जहां कहीं अमूर्त संपत्ति (चाहे महत्वपूर्ण हो या नहीं) की उपयोगिता का आकलन करना संभव न हो, उसे परिशोधित नहीं किया जाता है। ऐसी अमूर्त संपत्तियों के क्षति की सालाना समीक्षा की जाती है और जब हानि का संकेत मिलता है, तो संपत्ति नष्ट कर दी जाती है।

8. वर्तमान निवेश

क) निवेश जो 12 महीने से कम अवधि के लिए होता है, उसे वर्तमान निवेश के रूप में मान्यता दी जाती है।

ख) ऐसे निवेशों के मूल्य में संचित क्षति को घटाकर लागत पर व्यक्तिगत रूप से निवेश किए जाते हैं।

ग) निवेश की लागत में अधिग्रहण शुल्क जैसे सुविधा शुल्क शामिल हैं।

घ) निवेश के मूल्य में कमी तभी की जाती है जब प्रबंधन की राय में निवेश के मूल्य में स्थायी गिरावट हो।

ङ) म्युचुअल फंड (ऋण आधारित फंड) में निवेश जिसे बाद में इंडस 32 और आईएनडी एएस 109 के अनुसार लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा जाता है।

च) पुनर्मूल्यांकन पर लाभ को काल्पनिक लाभ के रूप में अन्य आय के रूप में दर्ज किया जाता है। किसी संपत्ति का उचित मूल्य पर पुनर्मूल्यांकन वर्तमान अवधि के लिए कर योग्य लाभ (कर हानि) को प्रभावित करता है।

छ) परिणामस्वरूप, परिसंपत्ति का कर आधार समायोजित हो जाता है और कोई अस्थायी अंतर उत्पन्न नहीं होता है। फिर भी, अग्रणीत राशि की भविष्य की वसूली के परिणामस्वरूप आर्थिक लाभ का कर योग्य प्रवाह होगा और कर उद्देश्यों के लिए कटौती योग्य राशि उन आर्थिक लाभों की राशि से भिन्न होगी। एक पुनर्मूल्यांकित संपत्ति और उसके कर आधार की अग्रणीत राशि के बीच का अंतर एक अस्थायी अंतर है और एक आस्थगित कर देयता या परिसंपत्ति को जन्म देता है।

9. संपत्तियों की हानि

प्रत्येक तुलनपत्र की तारीख पर परिसंपत्तियों की अग्रणीत राशि का आकलन किया जाता है कि क्या हानि का कोई संकेत है।। यदि अनुमानित वसूली योग्य राशि इसकी अग्रणीत राशि से कम पाई जाती है, तो क्षति/हानि की पहचान की जाती है और परिसंपत्तियों को अपरिवर्तनीय राशि में लिखा जाता है।

10. वित्तीय संपत्ति एवं वित्तीय देयताएं

कंपनी गैर-वर्तमान निवेश और वित्तीय देयताओं के अलावा सभी वित्तीय संपत्तियों को उचित मूल्य पर पहचानती है और अनुवर्ती माप परिशोधित लागत पर किए जाते हैं।

11. व्यापार और अन्य भुगतान

देनदारियों को प्राप्त और स्वीकार की गई वस्तुओं/सेवाओं के लिए भुगतान की जाने वाली राशियों के लिए पहचाना जाता है, चाहे आपूर्तिकर्ता द्वारा बिल किया गया हो या नहीं।

12. सूची

क) कच्चे माल का मूविंग एवरेज लागत, डब्ल्यूआईपी और तैयार माल का मूल्यांकन लागत या एनआरवी, जो भी कम हो, पर होता है।

ख) तैयार माल, स्टॉक-इन-ट्रेड और वर्क-इन-प्रोग्रेस के मामले में, खरीद की लागत, रूपांतरण की लागत और वस्तु सूची को उनके वर्तमान स्थान और स्थिति में लाने में लगने वाली अन्य लागतें शामिल हैं। लागत में कर और शुल्क शामिल हैं (करों और शुल्कों के अलावा जिनके लिए इनपुट क्रेडिट उपलब्ध है)।

ग) बिक्री योग्य/डिस्पोजेबल स्क्रैप का मूल्यांकन पिछले बिक्री मूल्य की भारित औसत दर पर किया जाता है।

13. राजस्व मान्यता

13.1. पैराशूट आदि के निर्माण की कंपनी है:-

क) अनुबंध की शर्तों के अनुसार ग्राहक को उत्पादों के नियंत्रण के हस्तांतरण पर माल और सेवाओं की बिक्री पर राजस्व को मान्यता दी जाती है।

ख) राजस्व को लेन-देन मूल्य के आधार पर मापा जाता है, जो ग्राहक के साथ अनुबंध में निर्दिष्ट मात्रा में छूट, परिसमापन क्षति,

महत्वपूर्ण लेखाकार्य नीतियां

प्रदर्शन बोनस और प्रोत्साहन, यदि कोई हो, के लिए समायोजित किया जाता है।

13.2. अन्य आय

क) बकाया मूलधन के संदर्भ में और जमाराशियों पर लागू दर के आधार पर ब्याज आय, समय अनुपात के आधार पर अर्जित की जाती है।

ख) क्वार्टर में रहने वाले कर्मचारियों से तत्समय लागू सरकार द्वारा निर्धारित तिमाही लाइसेंस शुल्क की वसूली को अन्य आय माना जाता है।

ग) अनुबंध को पूरा न करने के लिए विक्रेताओं से वसूली को अन्य आय माना जाता है

घ) ऋण उपकरणों की बिक्री और खरीद पर लाभ को अन्य आय में शामिल किया जाता है।

ङ) भारतीय लेखा मानक 113 के अनुसार उचित मूल्य माप के कारण म्युचुअल फंड पर कल्पित लाभ को अन्य आय के रूप में माना जाता है।

14. प्राप्य

(क) प्राप्तियां अनुबंध के तहत विचार के लिए कंपनी के शर्तरहित अधिकार का प्रतिनिधित्व करती हैं। यदि उस प्रतिफल के भुगतान से पहले केवल समय बीतने की आवश्यकता होती है तो विचार का अधिकार शर्तरहित माना जाता है।

(ख) पिछले अनुभव के आधार पर, सरकारी विभागों के ऋणों को आमतौर पर पूरी तरह से वसूली योग्य माना जाता है, और इसलिए प्रबंधन की राय में ऐसी वित्तीय संपत्तियों के क्रेडिट के जोखिम में वृद्धि हुई है।

(ग) महत्वपूर्ण अवधि के लिए बकाया राशि के संबंध में मामला-दर-मामला आधार पर संभावित क्रेडिट हानि के कारण क्षति का आकलन किया जा रहा है।

15. कर्मचारी लाभ

सरकार ने फैसला किया है कि 1 अक्टूबर 2021, से उत्पादन इकाइयों से संबंधित ओएफबी (ग्रुप क, ख और ग) के सभी कर्मचारियों और पहचान की गई गैर-उत्पादन इकाइयों (परिशिष्ट क में निर्धारित संरचना के अनुसार) को डीम्ड होने पर नए डीपीएसयू में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 37ए के अनुसार नियत तिथि से दो वर्ष की अवधि तक सभी कार्मिक शुरू में प्रतिनियुक्ति पर रहेंगे।

नए डीपीएसयू में मानित प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारी, केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर लागू सभी मौजूदा नियमों, विनियमों और आदेशों के अधीन बने रहेंगे, जिसमें उनके वेतनमान, भत्ते, छुट्टी, चिकित्सा सुविधाएं, कैरियर की प्रगति से संबंधित और अन्य सेवा शर्तें शामिल हैं।

सेवानिवृत्त और मौजूदा कर्मचारियों की पेंशन देनदारियों को रक्षा मंत्रालय ("एम ओ डी") के रक्षा पेंशन बजट से सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। 01.01.2004 के बाद भर्ती हुए कर्मचारियों के लिए, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए लागू राष्ट्रीय पेंशन योजना प्रचलित है और इसे नए डीपीएसयू द्वारा अपनाया जा सकता है, जिसमें राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए लागू सभी विशेष प्रावधानों को जारी रखना शामिल है।

नए डीपीएसयू में आमेलन पर ओएफबी के कर्मचारियों को पेंशन लाभ के भुगतान की शर्तें केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 37-ए के अनुसार विनियमित की जाएंगी।

(क) अल्पकालिक कर्मचारी लाभ: कर्मचारी लाभ जैसे कि वेतन, मजदूरी, अल्पकालिक मुआवजा अनुपस्थिति, बोनस, और सेवा प्रदान करने के बारह महीनों के भीतर पूरी तरह से देय प्रदर्शन से जुड़े पुरस्कार को अल्पकालिक कर्मचारी लाभ के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और व्यय किया जाता है, जिस अवधि में कर्मचारी सेवा प्रदान करता है।

(ख) परिभाषित अंशदान योजना: कंपनी की कोई पेंशन योजना नहीं है क्योंकि कंपनी में काम करने वाले सभी कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर हैं और सभी सेवानिवृत्ति दायित्वों को भारत सरकार द्वारा पूरा किया जाएगा।

16. आय कर

(क) वर्तमान कर आयकर अधिनियम, 1961 ("अधिनियम") के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित वर्ष के लिए कर योग्य आय पर देय है।

(ख) आस्थगित कर को बैलेंस शीट पद्धति का उपयोग करके पहचाना जाता है, वित्तीय रिपोर्टिंग उद्देश्यों के लिए परिसंपत्तियों और

महत्वपूर्ण लेखाकार्य नीतियां

देनदारियों की वहन राशि और कराधान उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाने वाली राशि के बीच अस्थायी अंतर प्रदान करता है। आस्थगित कर देनदारी से अधिक आस्थगित कर परिसंपत्तियों को इस हद तक मान्यता दी जाती है कि यह संभावित है कि भविष्य में कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा जिसके खिलाफ अस्थायी अंतर का उपयोग किया जा सकता है। आस्थगित कर संपत्तियों की प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर समीक्षा की जाती है और उन्हें इस हद तक कम किया जाता है कि अब यह संभव नहीं है कि उनका अंतिम कर लाभ प्राप्त हो जाएगा।

17. प्रावधान और आकस्मिक देनदारियां

एक प्रावधान को मान्यता दी जाती है, जब कंपनी के पास पिछली घटनाओं के परिणामस्वरूप वर्तमान दायित्व होता है और यह संभव है कि संसाधनों के प्रवाह की आवश्यकता होगी जिसके संबंध में विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है।

जहां कोई विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाया जा सकता है या जब कोई संभावित बाध्यता या वर्तमान बाध्यताएं हैं, जिनके लिए संसाधनों के प्रवाह की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन संभवत: नहीं होगी, प्रकटीकरण आकस्मिक देयता के रूप में किया जाता है

अपेक्षित प्रतिपूर्ति, यदि कोई हो, का प्रकटन खातों पर टिप्पणियों के अंतर्गत किया जाता है।

जब कोई संभावित बाध्यता या वर्तमान बाध्यता हो, जिसके संबंध में संसाधनों के बहिर्गमन की संभावना बहुत कम हो, तो कोई प्रावधान या प्रकटीकरण नहीं किया जाता है।

18. अनुमान और त्रुटियां

यदि भारतीय लेखा मानक में परिवर्तन के कारण परिवर्तन की आवश्यकता होती है या यदि परिवर्तन वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ताओं को अधिक प्रासंगिक और विश्वसनीय जानकारी प्रदान करेगा, तो कंपनी अपनी लेखांकन नीतियों में संशोधन करती है। लेखांकन नीतियों में परिवर्तन पूर्वव्यापी रूप से लागू होते हैं जब तक कि इसे लागू करना अव्यावहारिक न हो।

लेखांकन अनुमान में परिवर्तन जिसके परिणामस्वरूप मान्यता प्राप्त संपत्तियों या देनदारियों या लाभ और हानि के विवरण की अग्रणीत राशि में परिवर्तन होता है, परिवर्तन की अवधि(यों) में संभावित रूप से लागू होता है।

जब लेखांकन नीति में परिवर्तन को लेखांकन अनुमान में परिवर्तन से अलग करना मुश्किल हो, तो परिवर्तन को लेखांकन अनुमान में परिवर्तन के रूप में माना जाता है।

भौतिक त्रुटियों की खोज के परिणामस्वरूप संपत्ति, देनदारियों की तुलनात्मक मात्रा और त्रुटि की खोज की गई शुरुआती अवधि की इक्विटी को पूर्वव्यापी रूप से संशोधित किया जाता है। प्रस्तुत प्रारंभिक अवधि के आरंभिक शेष भी पुनर्कथन में दिए गए हैं।

19. रिपोर्टिंग अवधि के बाद की घटनाए:

समायोजन घटनाएं ऐसी घटनाएं हैं जो रिपोर्टिंग अवधि के अंत में मौजूद स्थितियों का सबूत प्रदान करती हैं। जारी करने के लिए प्राधिकरण से पहले ऐसी घटनाओं के लिए वित्तीय विवरणों को समायोजित किया जाता है। गैर-समायोज्य घटनाएँ ऐसी घटनाएँ हैं जो रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति के बाद उत्पन्न होने वाली स्थितियों का संकेत हैं, रिपोर्टिंग तिथि के बाद गैर-समायोजन घटनाओं को ध्यान में नहीं रखा जाता है।

20. खंड रिपोर्टिंग

परिचालन खंड की पहचान मुख्य परिचालन निर्णय निर्माता को प्रदान की गई आंतरिक रिपोर्टिंग के अनुरूप की जाती है।

21. नकदी प्रवाह विवरण:

नकदी प्रवाह विवरण भारतीय लेखा मानक 7- नकदी प्रवाह विवरण में निर्धारित अप्रत्यक्ष विधि के अनुसार तैयार किया गया है।

31 मार्च 2022 को सामाप्त अवधि के लिए वित्तीय विवरणो पर नोट्स

नोट : 2 | **अचल संपत्तियां**

(रु. लाख में)

विवरण	सकल ब्लाक				संचित मूल्याह्रास				कुल ब्लांक
	01 अक्टूबर 2021 को	वर्ष के दौरान अतिरिक्त	अवधि के दौरान निस्तारण	31 मार्च 2022 को	01 अक्टूबर 2021 को	अवधि के लिए	अविधि	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2022 को
(1) सम्पत्ति, संयत्र तथा उपकरण		**68.14**	**-**	**45,482.59**	**-**	**263.47**	**-**	**263.47**	**45,219.12**
(क) भूमि	40,329.81	-	-	40,329.81	-	-	-	-	40,329.81
(ख) भवन	3,317.00	-	-	3,317.00	-	130.63	-	130.63	3,186.37
(ग) (i) संपत्ति एवं उपकरण	1,522.90	1.08	-	1,523.98	-	103.48	-	103.48	1,420.50
(ii) कंप्यूटर व सर्वर	50.06	44.32		94.38		13.50	-	13.50	80.88
(घ) फर्नीचर एवें फिक्सचर्स	5.59	21.57	-	27.16	-	1.94	-	1.94	25.22
(च) गाड़ियां	45.34	-	-	45.34	-	3.54	-	3.54	41.80
(छ) कार्यालय के उपकरण	141.26	1.17	-	142.43	-	9.60	-	9.60	132.83
(ज) विद्त प्रतिष्ठान	2.49	-	-	2.49	-	0.78	-	0.78	1.71
(झ) अन्य	-	-	-	-	-		-	-	-
कुल	**45,414.45**	**68.14**	**-**	**45,482.59**	**-**	**263.47**	**-**	**263.47**	**45,219.12**

(क) गजट अधिसूचना सं. एफ सं. 1(5)/2021/ओएफ/डीपी (पीएलजी-वी) दिनांक 01.10.2021 के द्वारा पूर्ववर्ती आयुध निर्माणी बोर्ड की भूमि और भवन से युक्त परिसंपत्तियों को कंपनी ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेट में स्थानांतरित कर दिया गया था ।

(ख) प्राप्त परिसंपत्तियों का मूल्यांकन एक पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता द्वारा मान लिया गया है, जैसा कि कंपनियों के नियम 2 (पंजीकृत मूल्य और मूल्यांकन) नियम, 2017 के तहत परिभाषित किया गया है। निर्धारित उचित मूल्य को प्राप्त परिसंपत्तियों की लागत के रूप में लिया जाता है और वैध जीवन के रूप में उपयोगी जीवन को सीधी रेखा विधि पर मूल्यह्रास की गणना के उद्देश्य से माना जाता है।

(ग) 1 अक्टूबर 2021 से 31 मार्च 2022 तक की अवधि के दौरान खरीदी गई परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास की गणना कंपनी के महत्वपूर्ण लेखांकन नीति में निर्धारित उपयोगी जीवन के आधार पर सीधी रेखा विधि के आधार पर की जाती है।

(घ) **कंपनी की संपत्ति के शीर्षक कार्यों के बारे में प्रकटीकरण:** सरकारी भूमि रिकॉर्ड (जीएलआर) के अनुसार भूमि का मूल्यांकन कुल 83.215 एकड़ भूमि के लिए किया गया था, जिसे ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड में स्थानांतरित कर दिया गया था, जबकि डिफेंस एस्टेट कार्यालय कानपुर और ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड के बीच हस्ताक्षरित दस्तावेज को सौंपना / लेना स्थानांतरित कर दिया गया है। ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड के पक्ष में संपूर्ण भूमि और उत्परिवर्तन का वास्तविक सर्वेक्षण प्रक्रियाधीन है ।

बैलेंस शीट में लाइन आइटम	संपत्ति के आइटम का विवरण	सकल वहन मूल्य	शार्षक कार्यों के नाम	क्या शीर्षक विलेख धारक एक प्रमोटर, निदेशक या प्रमोटर/ निदेशक के रिश्तेदार हैं या प्रमोटर/निदेशक के कर्मचारी हैं	संपत्ति किस तारीख से आयोजित की गई है	कंपनी के नाम पर नहीं होने का कारण
भूमि	भूमि	40,329.81	भूमि भारत सरकार के नाम पर है	नहीं	01-10-2021	कंपनी शीर्षक स्थानांतरण के प्रक्रियाधीन है
भवन	भवन	3,186.37	भवन भारत सरकार के नाम पर	नहीं	01-10-2021	कंपनी शीर्षक स्थानांतरण के प्रक्रियाधीन है

31 मार्च 2022 को सामाप्त अवधि के लिए वित्तीय विवरणो पर नोट्स

ओपीएफ

(रु. लाख में)

विवरण	कुल ब्लाक				संचित मूल्याह्रास				कुल ब्लाक
	01 अक्टूबर 2021 को	वर्ष के दौरान परिवर्धन	अवधि के दौरान निस्तारण	31 मार्च 2022 को	01 अक्टूबर 2021 को	अवधिके दौरान	अवधि के दौरान निस्तारण	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2022 को
(1) सम्पत्ति, संयत्र तथा उपकरण	**45,414.44**	**66.85**	**-**	**45,481.29**	**-**	**263.40**	**-**	**263.40**	**45,217.90**
(क) भूमि	40,329.81		-	40,329.81	-	-	-	-	40,329.81
(ख) भवन	3,317.00		-	3,317.00	-	130.63	-	130.63	3,186.37
(ग) (i) संपत्ति एवं उपकरण	1,522.90	0.71	-	1,523.60	-	103.48	-	103.48	1,420.13
(ii) कंप्यूटर व सर्वर	50.06	43.58		93.63		13.45		13.45	80.18
(घ) फर्नीचर एवें फिक्सचर्स	5.59	21.57	-	27.16	-	1.94	-	1.94	25.22
(च) गाड़ियां	45.34		-	45.34	-	3.54	-	3.54	41.80
(छ) कार्यालय के उपकरण	141.26	1.00	-	142.26	-	9.59	-	9.59	132.67
(ज) विद्त प्रतिष्ठान	2.49		-	2.49	-	0.78	-	0.78	1.71
(झ) अन्य	-		-	-	-		-	-	-
(ii) अमूर्त संपत्ति									
(iii) केपिटल कार्य प्रगति पर									
भवन (अवधी विवरण के लिए नोट 27 का सन्दर्भ लें)	-		-	-	-	-	-	-	-
(iv) अमूर्त संपत्तियाँ विकासाधी न हैं (अवधी विवरण के लिए नोट 28 का सन्दर्भ लें)									
कुल	**45,414.44**	**66.85**	**-**	**45,481.29**	**-**	**263.40**	**-**	**263.40**	**45,217.90**

विवरण	कुल ब्लाक				संचित मूल्याह्रास				कुल ब्लाक
	01 अक्टूबर 2021 को	वर्ष के दौरान परिवर्धन	अवधि के दौरान निस्तारण	31 मार्च 2022 को	01 अक्टूबर 2021 को	अवधिके दौरान	अवधि के दौरान निस्तारण	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2022 को
(1) सम्पत्ति, संयत्र तथा उपकरण		**1.29**	**-**	**1.29**	**-**	**0.06**	**-**	**0.06**	**1.22**
(क) भूमि	-		-	-	-	-	-	-	-
(ख) भवन			-	-	-	-	-	-	-
(ग) (i) संपत्ति एवं उपकरण	-	0.37	-	0.37	-	-	-	-	0.37
(ii) कंप्यूटर व सर्वर	-	0.74		0.74		0.05		0.05	0.69
(घ) फर्नीचर एवें फिक्सचर्स	-		-	-	-		-	-	-
(च) गाड़ियां			-	-	-		-	-	-
(छ) कार्यालय के उपकरण		0.17	-	0.17	-	0.01	-	0.01	0.16
(ज) विद्त प्रतिष्ठान	-		-	-	-		-	-	-
(झ) अन्य	-		-	-	-		-	-	-
(ii) अमूर्त संपत्ति									
(iii) केपिटल कार्य प्रगति पर									
भवन (अवधी विवरण के लिए नोट 27 का सन्दर्भ लें)	-		-	-	-	-	-	-	-
(iv) अमूर्त संपत्तियाँ विकासाधी न हैं (अवधी विवरण के लिए नोट 28 का सन्दर्भ लें)									
कुल	**-**	**1.29**	**-**	**1.29**	**-**	**0.06**	**-**	**0.06**	**1.22**

31 मार्च 2022 को सामाप्त अवधि के लिए वित्तीय विवरणो पर नोट्स

नोटः 3 | **वस्तु सूची**

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च 2022	ओपीएफ	जीआईएल
कच्चे माल का भंडार इन हैंड	4,212.25	4,212.25	
कार्य प्रगति पर	2,042.55	2,042.55	
तैयार माल	-		
कुल	**6,254.80**	**6,254.80**	**-**

नोट 3.1

(क) कच्चे माल का मूल्य चालू औसत लागत, डब्लूआईपी और तैयार माल का मूल्य लागत या एनआरवी, जो भी कम हो, पर होता है।

(ख) दिनांक 31.3.2022 निर्माणी में प्राप्त और स्वीकार किए गए कच्चे माल को लेखा पुस्तकों में दर्ज किया जाता है ।

(ग) हाथ में कच्चे माल के भंडार में पीएंडएल से संबंधित प्रकृति में उपभोज्य वस्तुओं को शामिल किया गया है।

नोटः 4 | **वर्तमान निवेश**

विवरण	31 मार्च 2022	ओपीएफ	जीआईएल
लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर किए गए निवेश			
म्युचुअल फंड में निवेश - अनकोटेड			
एसबीआई म्युचुअल फंड (अनुलग्नक देखें- "ए")	3,340.63		3,340.63
कुल	**3,340.63**	**-**	**3,340.63**

अनुलग्नक नोट संख्या 4 से जुड़ा हुआ है और इसका हिस्सा है

अनुलग्नक ए

निवेश	31 मार्च 2022 को द						
	अधिकृत मूल्य	उचित मूल्य पर			कुल योग	अन्य *	कुल
		अन्य के माध्यम से व्यपाक आमदनी	लाभ अथवा हानि द्वारा	लाभ के माध्यम से उचित मूल्य पर नामित			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)+(3)+(4)	(6)	(7)=(1)+(5)+(6)
म्यूचुअल फंड	32,99,28,268.00	-	41,34,612.00	-	41,34,612.00	-	33,40,62,880.00
कुल - सकल (ए)	**32,99,28,268.00**	**-**	**41,34,612.00**	**-**	**41,34,612.00**	**-**	**33,40,62,880.00**
(i) भारत में निवेश	32,99,28,268.00	-	41,34,612.00	-	41,34,612.00	-	33,40,62,880.00
कुल (बी)	**32,99,28,268.00**	**-**	**41,34,612.00**	**-**	**41,34,612.00**	**-**	**41,34,612.00**
कुल (ए) के साथ मिलान करने के लिए (बी)							
कम: क्षति हानि के लिए भत्ता (सी)	0	0	0	0	0	0	0
कुल - नेट डी = (ए) - (सी)	**32,99,28,268.00**	**-**	**41,34,612.00**	**-**	**41,34,612.00**	**-**	**33,40,62,880.00**

स्कीम का नाम	बैलेंस यूनिट	निवेश की लागत	एनएवी / यूनिट	बाजार मूल्य	पी एंड एल में समायोजनL
एसबीआई लिक्विट फंड ड्यरेक्ट ग्रोथ	1,00,226.19	32,99,28,265.51	3,333.09	33,40,62,878.20	41,34,612.69

नोट 4.1

निवेश को लाभ और हानि (एफवीटीपीएल) के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा जाता है।

नोटः 5 | **व्यापार प्राप्तियां**

विवरण	31 मार्च 2022	ओपीएफ	जीआईएल
(i) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - अच्छा माना जाता है	380.33	1.96	378.37
(ii) अविवादित व्यापार प्राप्य - संदिग्ध माना जाता है	-		
(iii) विवादित व्यापार प्राप्य अच्छा माना जाता है	-		
(iv) विवादित व्यापार प्राप्तियां संदिग्ध मानी जाती हैं	-		
कुल	**380.33**	**1.96**	**378.37**

(ट्रेड रिसीवेबल्स एजिंग विवरण के लिए नोट 25 देखें)

31 मार्च 2022 को सामाप्त अवधि के लिए वित्तीय विवरणो पर नोट्स

नोट 5.1

कंपनी द्वारा निर्मित वस्तुओं की प्रमुख आपूर्ति सरकार को होती है। ग्राहकों को अनुबंध के अनुसार आंशिक अग्रिम के विरुद्ध और बकाया राशि में चूक का कोई जोखिम परिकल्पित नहीं है ।

नोटः 6 | **नगद एवं नगद प्रतिपूरक**

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च 2022	ओपीएफ	जीआईएल
कैश	-	-	-
बेंक में बैलेंस	1,876.94	388.99	1,487.95
अल्प अवधि के लिए बैंक डिपाजिट	1,837.03	-	1,837.03
कुल	**3,713.97**	**388.99**	**3,324.98**

Note 6.1

(i) कंपनी भारतीय स्टेट बैंक में जमा का रखरखाव करती है, जिसकी परिपक्वता 3 महीने से कम है, जिसे नकद और नकद समकक्ष के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

(ii) अल्पावधि बैंक जमा में उपार्जित ब्याज को नकद और नकद समतुल्य के रूप में वर्गीकृत किया गया है ।

नोट : 7 | **अन्य परिसंपत्तियाँ**

विवरण	31 मार्च 2022	ओपीएफ	जीआईएल
(राजस्व अधिकारियों के साथ शेष)			
(i) टीडीएस प्राप्य	4.01	0.15	3.86
(ii) इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्य	89.34	86.87	2.47
(iii) जीएसटी कैश लेजर में बैलेंस	4.97	4.97	-
प्रीपेड खर्च	0.15	0.15	-
अन्य अग्रिम	1.66	0.66	1.00
सुरक्षा जमा राशि	0.25	-	0.25
इंटर-यूनिट बैलेंस	-	-	-
ओपीएफ देनदार -एचक्यू को ट्रांसफर	-	9,683.47	(9,683.47)
फंड ट्रांसफर	-	(8,186.69)	8,186.69
कुल	**100.38**	**1,589.58**	**(1,489.20)**

नोट : 8 | **इक्विटी शेयर पूँजी**

शेयर होल्डर का नाम	सम मूल्य	शेयर की संख्या	31 मार्च 2022	ओपीएफ	जीआईएल
(क) अधिकृत इक्विटी शेयर पूंज					
14 अगस्त 2021 तक		200000000	20,000.00	-	20,000.00
अवधि के दौरान बढ़ी		-	-		-
31 मार्च 2022 तक (सी) कंपनी में 5 प्रतिशत से अधिक शेयरधारक वाले खाते का विवरण		20,00,00,000			20,000.00
(ख) जारी, सदस्यता और पूरी तरह से भुगतान की पूंजी					Total
14 अगस्त 2021 तक	10	10,000	1.00		1.00
अवधि के दौरान बढ़ी		57,80,000	578.00		578.00
31 मार्च 2022 तक		57,90,000	579.00		579.00
(ग) कंपनी में 5 प्रतिशत से अधिक शेयरधारक वाले खाते का विवरण			**प्रतिशत (%) होल्डिंग**		-
भारत के राष्ट्रपति और अन्य सरकारी नियुक्त व्यक्ति		**57,90,000**			**100.00**

31 मार्च 2022 को सामाप्त अवधि के लिए वित्तीय विवरणो पर नोट्स

नोटः 9 | **अन्य इक्विटी**

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च 2022	ओपीएफ	जीआईएल
कॉरपोरेटाइजेशन के कारण आयुध पैराशूट निर्माणी की संपत्ति का शुद्ध संपत्ति मूल्य **[ए]**	50,989.71	50,989.71	-
1 अक्टूबर-2021 से पहले प्रतिबद्ध देनदारियों के खिलाफ एमओडी से प्रतिपूर्ति **[बी]**	1,356.21	-	1,356.21
जारी किए जाने वाले शेयरों के लिए बनाए गए अन्य **[सी]=[ए]+[बी]**	52,345.92	50,989.71	1,356.21
प्रतिधारित आय	70.92	39.28	56.56
कुल	**52,416.84**	**51,028.99**	**1,412.77**

नोटः 10 | **आस्थगित कर देयताएं/परिसंपत्तियां (नेट)**

विवरण	31 मार्च 2022
मूल्यह्रास के कारण	
31 मार्च, 2022 को आयकर अधिनियम के अनुसार डब्ल्यूडीवी	44,872.11
31 मार्च, 2022 को कंपनी अधिनियम के अनुसार डब्ल्यूडीवी	45,219.12
समय अंतर	(347.01)
आस्थगित कर संपत्ति/(देयताएं)	(90.22)
आरंभिक आस्थगित कर परिसंपत्तियां/(देयताएं)	-
अतिरिक्त आस्थगित कर परिसंपत्तियां/(देयताएं) **[ए]**	**(90.22)**
अनवशोषित मूल्यह्रास के कारण आस्थगित कर परिसंपत्तियां	65.30
मैट क्रेडिट	14.95
कुल आस्थगित कर संपत्ति **[बी]**	**80.25**
आस्थगित कर देयता (शुद्ध) [सी]=[ए]-[बी]	**(9.97)**

नोट: 11 | **व्यापार देय**

विवरण	31 मार्च 2022	ओपीएफ	जीआईएल
(i) एमएसएमई	105.01	105.01	-
(ii) अन्य	410.83	407.01	3.82
(iii) विवादित बकाया - एमएसएमई			
(iv) विवादित बकाया-अन्य			
कुल	**515.84**	**512.02**	**3.82**

(व्यापार देय उम्र बढ़ने के विवरण के लिए नोट 24 देखें)

नोट : 12 | **अन्य चालू देयताएं**

विवरण	31 मार्च 2022	ओपीएफ	जीआईएल
देय जीएसटी	285.73	285.73	-
जीएसटी टीडीएस देय	7.73	7.73	-
देय आयकर टीडीएस	15.23	15.20	0.03
स्क्रैब की बिक्री पर टीसीएस	0.15	0.15	-
कर्मचारी कटौती देयता	307.02	307.02	-
जमानत राशि	8.12	8.12	-
ग्राहकों से अग्रिम	3,649.12	262.68	3,386.43
अन्य चालू देयताएं	423.19	253.23	169.96
कुल	**4,696.29**	**1,139.86**	**3,556.42**

31 मार्च 2022 को सामाप्त अवधि के लिए वित्तीय विवरणो पर नोट्स

नोट : 13 | **अल्पकालिक प्रावधान**

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च 2022	ओपीएफ	जीआईएल
कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान	562.40	562.40	-
बकाया देनदारियों के लिए प्रावधान	213.94	209.94	4.00
कुल	**776.34**	**772.34**	**4.00**

नोट : 14 | **वर्तमान कर**

विवरण	दर		31 मार्च 2022
कर पूर्व लाभ			95.84
जोड़ें: कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार मूल्यह्रास			263.47
घटाएं: आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार मूल्यह्रास			610.48
घटाएँ: उचित मूल्य परिवर्तन पर काल्पनिक लाभ			41.35
कर योग्य लाभ			(292.52)
कुल आय पर कॉर्पोरेट आयकर			-
धारा 115जेबी के तहत न्यूनतम वैकल्पिक कर (नोट संख्या 31 देखें)	26.00%	**(ए)**	14.95
वर्तमान कर ([ए] या [बी] से अधिक	15.60%	**(बी)**	14.95
मैट क्रेडिट ([बी] - [ए])		**(सी)**	**14.95**

नोट: 15 | **संचालन से राजस्व**

विवरण	31 मार्च 2022
(ए) उत्पादों की बिक्री	-
(i) भारत में तैयार वस्तुओं की बिक्री	8,580.97
(ii) भारत के बाहर तैयार वस्तुओं की बिक्री -	-
उत्पादों की कुल बिक्री (ए)	**8,580.97**
(बी) अन्य परिचालन राजस्व	
(i) स्क्रैप और अधिशेष / अनुपयोगी स्टोर का निपटान	13.24
(ii) अन्य	
उत्पादों की कुल बिक्री (बी)	**13.24**
संचालन से कुल राजस्व (ए+बी)	**8,594.21**

(ए कंपनी ने माल की बिक्री पर राजस्व को मान्यता दी जब इकाई ने अनुबंध की शर्तों के अनुसार खरीदार को महत्वपूर्ण जोखिम और माल के स्वामित्व के पुरस्कार को स्थानांतरित कर दिया।

(बी) उत्पादों की बिक्री आम तौर पर ग्राहकों द्वारा आंशिक अग्रिम भुगतान के खिलाफ होती है और शेष राशि 3 महीने से कम अवधि के भीतर प्राप्त होती है। तदनुसार, प्रतिफल की राशि में कोई महत्वपूर्ण वित्तीय घटक शामिल नहीं है। सभी अग्रिम और बिक्री आय सीधे जीआईएल मुख्यालय में प्राप्त होती है।

(सी) बिक्री जीएसटी पोर्टल के साथ मिलान के अधीन है

31 मार्च 2022 को सामाप्त अवधि के लिए वित्तीय विवरणो पर नोट्स

नोट : 16 | **अन्य आय**

(रु. लाख में)

विवरण		31-03-2022
(ए) ब्याज आय		-
बैंक जमा पर ब्याज		29.28
(बी) निवेष की बिक्री पर लाभ		12.28
(सी) अन्य गैर-परिचालन राजस्व		
तरलता क्षति, पैनाल्टी और जुर्माना	37.25	
कर्मचारियो से प्राप्त तिमाही लाइसेंस शुल्क	5.46	
विविध आय	0.09	
विक्रेता पंजीकरण शुल्क	0.62	
म्युचुअल फंड के पुनर्मुल्यांकन पर काल्पनिक लाभ	41.35	84.77
कुल		**126.33**

(ए) विभिन्न प्रकार के आवास के लिए सरकार द्वारा निर्धारित दर पर जीआईएल के अवासीय क्वार्टरो में रहने वाले कर्मचारियों से एकत्र तिमाही लाइंसेस षुल्क को अप्रत्यक्ष आय के रूप में माना जाता है।

(बी) अनुबंध के गैर-निश्पादन के लिए विकेताओ से वसूली गई तरलता क्षति को गैर-ऑपरेषन राजस्व माना जाता है।

नोट: 17 | **उपभोग की गई सामग्री की लागत**

विवरण	31st-March-22
सामग्री 1 अक्टूबर. 2021 तक	3,871.00
खरीद	1,634.41
अंतिम स्टॉक	4,212.25
कुल सामग्री की खपत	**1,293.16**

नोट: 18 | **तैयार माल और कार्य प्रगति और स्टॉक इन ट्रेड की सूची में परिवर्तन:**

विवरण	31st-March-22
तैयार माल	-
कार्य प्रगति पर	953.45
तैयार माल और डब्लूआईपी की सूची में परिवर्तन	**953.45**
(1) कार्य प्रगति पर	
1.10.2022 तक	2,996.00
अंतिम स्टॉक	2,042.55

नोट: 19 | **कर्मचारी लाभ व्यय**

विवरण	31st-March-22
वेतन, मजदूरी और बोनस और भत्ता	5,389.35
एनपीएस नियोक्ता योगदान	194.80
कुल कर्मचारी लाभ व्यय	**5,584.15**

(क) ग्लाइर्डस इंडिया लिमिटेड के सभी कर्मचारी 1 अक्टूबर 2021 से 30 सितम्बर 2023 तक 2 साल की प्रतिनियुक्ति पर है। इन कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति पर भुगतान की गई राषि को वेतन, मजदूरी, बोनस और भत्ते के रूप में दर्षाया गया है।

(ख) नई पेश्ंन योजना के तहत सरकारी कर्मचारियों को दिए जाने वाले वेतन में 14ः नियोक्ता का अषंदान भी शमिल है जो कपनी द्वारा किया गया।

(ग) सरकारी कर्मचारियों का वेतन समय के लिए लागू सरकारी नियमों और विनियमों द्वारा शामिल होता हैं जो लागू होना है।

31 मार्च 2022 को सामाप्त अवधि के लिए वित्तीय विवरणो पर नोट्स

(घ) कंपनी में कर्मचारियों की कुल संख्यज्ञ 1163 है जिसमें 91 गैर औद्योगिक कर्मवचारी, 94 ग्रुप बी राजपत्रित अधिकारी, 82 ग्रुप बी अराजपत्रित अधिकारी और 16 ग्रुप ए अधिकारी शामिल है। सभी कर्मचारियों 30 सितंबर 2023 तक की अवधि के लिए भारत सरकार से प्रतिनियुक्ति पर है। परिलब्धियां प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों को भुगतान वेतन, मजदूरी, बोनस और भत्ते के रूपे में दर्शाया गया है।

31 मार्च 2022 को सामाप्त अवधि के लिए वित्तीय विवरणो पर नोट्स

(रु. लाख में)

(ड़) वेतन में मुख्य प्रबंधकीय कार्मिको को दिया जाने वाला पारिश्रामिक शामिल है जो नीचे दिया गया है:

प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक परिश्रामिक का नाम (पदनाम))	परिश्रामिक	अन्य	कुल
श्री विजय कुमार तिवारी (अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	18.04	1.12	19.16
श्री सुनील दाते (निदेशक संचालन एवं मानव संसाधन)	17.57	0.92	18.49
सुरेन्द्र धापोडकर(निदेशक वित्त)	18.20	0.66	18.86
कुल	**53.81**	**2.70**	**56.51**

नोट: 20 | **मूल्यहास और परिषोधन व्यय**

विवरण	कुल
हास	263.47
कुल	**263.47**

(विवरण के लिए नोट 2 देखें।)

नोट:21 | **अन्य व्यय**

विवरण	31st-March-22
बिजली और पानी का खर्च	76.43
बिजली और ईधन	7.68
परिवहन खर्च	15.08
सूचना प्रोद्योगिकी खर्च	1.21
छपाई और स्टेशनरी	4.48
मरम्मत और रखरखाव	70.52
जनशक्ति आपूर्ति	282.77
विविध व्यय	51.81
प्रशिक्षण व्यय	1.65
संचार खर्च	4.95
जॉब का शुल्क	2.30
परामर्श और व्यावसयिक शुल्क	7.59
अकेक्षकों का भुगतान	
अकेंक्षण शुल्क	4.00
कुल	**530.47**

नोट: 22 | **आय प्रति इक्विटी शेयर**

विवरण	31st-March-22
पश्चात् कर	70.92
भारित औसत शेयरों की संख्या	35,350.88
(1) बेसिक (रू.3)	200.62
(2) डायलूटेड	0.01

नोट: 23 | **वर्तमान कर विवरण**

विवरण	सामान्य कर	न्यूनतम वैकल्पिक कर
कंपनी कर दर में शामिल		
कंपनी पर लागू आयकर की दर	25.00%	15%
अधिभार	0.00%	0.00%
आयकर पर 496 की दर से उपकर	1.00%	0.60%
कर की प्रभावी दर	26.00%	15.60%

31 मार्च 2022 को सामाप्त अवधि के लिए वित्तीय विवरणो पर नोट्स

नोट: 24 | **व्यापार देय अवधि**

(रु. लाख में)

विवरण	भुगतान की देय तिथि से निम्लिखित अवधियों के लिए बकाया				
	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	कुल 3 वर्ष से अधिक	कुल
एमएसएमई	105.01		-	-	**105.01**
अन्य	410.83		-	-	**410.83**
विवादित बकाया एमएसएमई	-	-	-	-	**-**
विवादित बकाया अन्य	**515.84**	**-**	**-**	**-**	**515.84**

नोट: 25 | **व्यापार प्राप्य अवधि**

विवरण	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया					कुल
	6 माह से कम	6 माह .1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक के	
(i) विवादित	380.33	-	-	-	-	380.33
(ii) अविवादित	-	-	-	-	-	-
(iii) निर्विवाद व्यापार प्राप्य साख बिगड़ा हुआ	-	-	-	-	-	-
(iv) विवादित व्यापार अच्छा मानते हैं।	-	-	-	-	-	-
(v) विवादित व्यापार प्राप्य.जिनमें साख जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	-	-	-	-	-
(vi) विवादित व्यापार प्राप्य साख बिगड़ा हुआ	-	-	-	-	-	-

नोट: 26 | **कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस बिल्डिंग एजिंग**

सीडब्लूआईपी	इस अवधि के लिए सीडब्लूआईपी में राशि कुल				कुल
	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	कुल 3 वर्ष से अधिक	
परियोजनाए प्रंगति पर है	-				
परियोजनाओ अस्थायी रूप से निलंबित					

नोट: 27 | **अमूर्त सम्पतियों के विकास के पुराने कार्य**

विकास हेतू अमूर्त सम्पत्यिां					कुल
	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	कुल 3 वर्ष से अधिक	
परियोजनाए प्रंगति पर है	-	-	-	-	-
परियोजनाओ अस्थायी रूप से निलंबित	-	-	-	-	-

नोट : 28 | **अनुपात**

विवरण	31-03-2022		
	न्यूमरेटर	डिनोमिनेटर	अनुपात
i) वर्तमान अनुपात	वर्तमान संपत्ति	वर्तमान देनदारियां	2.30
ii) ऋण-इक्विटी अनुपात	कुल ऋण	शेयरधारक की इक्विटी	NA
iii) ऋण सेवा कवरेज अनुपात	ऋणसेवा के लिए उपलब्ध आय	ऋण सेवा	NA
iv) इक्विटी अनुपात पर रिटर्न	PAT- वरीयता लाभांश	औसत शेयरधारक इक्विटी	0.00
v) इन्वेंटरी टर्नओवर अनुपात	संचालन से राजस्व	औसत इन्वेंटरी	1.37
vi) व्यापार प्राप्य टर्नओवर	संचालन से राजस्व	व्यापार प्राप्य	22.60
vii) व्यापार देय टर्नओवर अनुपात	संचालन से राजस्व	व्यापार देय	16.66
viii) शुद्ध पूंजी कारोबार अनुपात	संचालन से राजस्व	इक्विटी	0.16
ix) शुद्ध लाभ अनुपात	कर पूर्व लाभ	प्रचालन हेतु राजस्व	1.12
x) लगाई गई पूंजी पर रिटर्न	ब्याज और कर से पहले की कमाई	नियोजित पूंजी	0.00
xi) निवेश पर रिटर्न	निवेश पर अर्जित लाभ	कुल निवेश	0.37%

31 मार्च 2022 को सामाप्त अवधि के लिए वित्तीय विवरणो पर नोट्स

(रु. लाख में)

नोट 29 | **आकस्मिक देयताएं**

	31-03-2022
(ए) कंपनी के खिलाफ दावों को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया	-
((बी) वित्तीय गारंटी को छोड़कर गारंटी	-
(सी) अन्य धन जिसके लिए कंपनी आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है	1,745.75

नोटः 30

31 मार्च-2022 को समाप्त वर्ष के लिए आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार अचल संपत्तियों पर मूल्यह्रास

विवरण	मूल्यह्रास की दर	01 अकटूबर 2021	वर्ष के दैरान वृद्धि		अवधि के दौरान निपटान	31 मार्च 2022 को मूल्य	मूल्याह्रास			31 मार्च 2022 को डब्लूडीवी
			182 से अधिक दिन	182 या 182 दिनों से कम			182 से अधिक दिन	182 या 182 दिनों से कम	कुल	
(i) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण										
भूमि	-	40,329.81	-		-	40,329.81	-	-	-	40,329.81
भवन	10%	3,317.00			-	3,317.00	331.70	-	331.70	2,985.30
फर्नीचर एवं फिक्सर	10%	8.08		21.57	-	29.65	0.81	1.08	1.89	27.76
क्प्यूटर एवं संबंधित उपकरण	40%	50.06		44.32	-	94.38	20.02	0.35	20.37	74.01
संयंत्र और मशीनरी (कार्यालय उपकरण और वाहन सहित)	15%	1,709.50		2.25	-	1,711.75	256.43	0.09	256.52	1,455.23
(ii) अमूर्त संपत्तियाँ	25%					-	-			
(iii) पूँजी जो प्रगति पर हैं						-	-			
भवन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
कुल		**45,414.45**	**-**	**68.14**	**-**	**45,482.59**	**608.96**	**1.52**	**610.48**	**44,872.11**

31 मार्च 2022 को सामाप्त अवधि के लिए वित्तीय विवरणो पर नोट्स

नोट : 31 | **न्यूनतम वैकल्पिक कर की गणना**

(रु. लाख में)

	कर पूर्व लाभ	**ए**	**95.84**	**95.84**
जोड़ें:				
(क)	कर के लिए प्रावधान		-	
(ख)	टीडीएस के देर से भुगतान पर ब्याज		-	
(ग)	रिजर्व में स्थानांतरित राशि		-	
(घ)	अनिश्चित देयता के लिए प्रावधान		-	
(ङ)	पीएफ अधिनियम के तहत जुर्माना		-	
(च)	भुगतान की गई/प्रस्तावित लाभांश की राशि		-	
(छ)	आय से संबंधित व्यय की राशि जिस पर धारा 10/11/12 लागू होती है			
(ज)	मूल्यह्रास		263.47	
(झ)	आस्थगित कर और उसके लिए प्रावधान		-	
(ञ)	किसी संपत्ति के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान		-	
(ट)	ऐसी संपत्ति के निपटान पर पुनर्मूल्यांकित संपत्ति से संबंधित पुनर्मूल्यांकन रिजर्व में स्थित राशि		-	
		बी		**263.47**
		सी = ए+बी		**359.31**
कम करें:				
(i)	किसी रिजर्व या प्रावधान से निकाली गई राशि अगर ऐसी कोई राशि पी/एल में जमा की जाती है			
(ii)	अधिनियम की धारा 10/11/12 के तहत पी/एल में जमा की गई आय			
(iii)	पुनर्मूल्यांकन रिजर्व को छोड़कर पी/एल के लिए डेबिट किया गया मूल्यह्रास		263.47	
(iv)	अग्रेषित हानि की राशि या अनवशोषित मूल्यह्रास, जो भी कम हो		-	
(v)	पी/एल में जमा किए गए आस्थगित कर की राशि		-	
		डी		**263.47**
		ई=सी-डी		**95.84**
	न्यूनतम वैकल्पिक कर	**15.60%**		**14.95**

31 मार्च 2022 तक संपत्ति के लिए उचित मूल्य माप अनुक्रम का मात्रात्मक प्रकटीकरण:

विवरण	**मूल्यांकन की तिथि**		**उचित मूल्य मापन का उपयोग करना**			**कुल**
			सक्रिय बाजारों में कोटेड प्राइज	**महत्वपूर्ण अवलोकन योग्य इनपुट**	**महत्वपूर्ण अवलोकन रहित इनपुट**	
म्युचुअल फंड में निवेश			(लेवल 1)	(लेवल 2)	(लेवल 3)	
	31 मार्च, 2022		3340.63	-	-	3340.63

वित्तीय साधनों का उचित मूल्य 31 मार्च, 2022 तक उचित मूल्य पर नहीं आंका गया

विवरण	**मूल्यांकन की तिथि**	**कैरिंग वैल्यू**	**उचित मूल्य मापन का उपयोग करना**			
			एक्टिव मार्केट में कोटेड प्राइज	**महत्वपूर्ण अवलोकन योग्य इनपुट**	**महत्वपूर्ण अवलोकन रहित इनपुट**	**कुल**
			(लेवल 1)	**(लेवल 2)**	**(लेवल 3)**	
वित्तीय पूंजी						
नकद और नकद समकक्ष	31 मार्च 2022	3713.97	3713.97			3713.97
व्यापार प्राप्य	31 मार्च 2022	380.33			380.33	380.33
						4094.30
वित्तीय देनदारियों						
व्यापार देय	31 मार्च 2022	515.84			515.84	-
						-

वित्तीय विवरणों पर अन्य टिप्पणियाँ

(क) भारतीय लेखा मानक का पहली बार अंगीकरण

कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) ने कंपनियों (भारतीय लेखा मानक (आईएनडी-एएस) नियम 2015 को अधिसूचित किया है, 2016-17 की लेखा अवधि से शुरू होने वाले चरणबद्ध तरीके से भारतीय लेखा मानक को अपनाने और प्रयोज्यता को निर्धारित किया है और नियम 2016-2017 के नियमों में संशोधन करने के लिए बाद में संशोधन जारी किया है।

भारतीय लेखा मानक को अपनाने के लिए अनिवार्य मानदंड निगमन के पहले वर्ष में कंपनी पर लागू नहीं होते हैं। हालाँकि, कंपनी ने अपने निगमन के पहले वर्ष से भारतीय लेखा मानकों को स्वैच्छिक रूप से अपनाया है। 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए ये पहला वित्तीय विवरण कंपनी द्वारा भारतीय लेखा मानकों के अनुसार तैयार किए गया है।

(ख) कॉर्पोरेट जानकारी

ख.1 ओएफबी के तहत काम कर रहे आयुध कारखानों का निगमीकरण:

16 जून, 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुसरण में, भारत सरकार ने आयुध निर्माणी बोर्ड ("ओएफबी") की 41 उत्पादन इकाइयों (आयुध कारखानों) के कार्यों का निगमीकरण करने का निर्णय लिया है, जो आयुध निर्माणी रक्षा उत्पादन, रक्षा मंत्रालय विभाग के अधीन कार्यरत हैं।

भारत सरकार ने राजपत्र अधिसूचना संख्या CG-DL-E01102021-230101 दिनांक 1 अक्टूबर 2021 जारी करके आयुध कारखानों के बोर्ड को भंग करने और उत्पादन और गैर-उत्पादन इकाइयों को 1 अक्टूबर 2021 से नए निगमित रक्षा पीएसयू में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया।

ख.2 पूर्ण स्वामित्व वाली सरकारी कंपनी ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड का निगमन

ख.2.1 भारत सरकार द्वारा आयुध कारखानों का निगमीकरण करने के लिए, लिए गए निर्णय के अनुपालन में, ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड को 14 अगस्त-2021 को 100% सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी के रूप में शामिल किया गया था और कॉर्पोरेट पहचान संख्या (सीआईएन): U17299UP2021GOI150733 आवंटित की गई थी। 1 अक्टूबर, 2021 ("नियत तिथि") से, 41 आयुध कारखानों में से 1 आयुध निर्माणी का प्रबंधन, नियंत्रण, संचालन और रखरखाव अर्थात आयुध पैराशूट निर्माणी कानपुर (ओपीएफ) को ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड को स्थानांतरित कर दिया गया है।

(ग) ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड के वित्तीय विवरण

वित्तीय वर्ष 2021-22, 14 अगस्त, 2021 को कंपनी के निगमन के बाद से पहला वित्तीय वर्ष है। वित्तीय विवरण में एक उत्पादन इकाई आयुध पैराशूट निर्माणी, कानपुर और जीआईएल मुख्यालय के खाते शामिल हैं।

(घ) पूर्व-निगमन व्यय

ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड के निगमन शुल्क के लिए रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 151.33 लाख रुपये का पूर्व-निगमीकरण खर्च किया गया था।

यह राशि सरकार द्वारा पहले ही खर्च की जा चुकी थी और कंपनी की ओर से कोई दावा नहीं किया गया था। पूर्व-निगमन व्यय को मान्यता देने के लिए रक्षा मंत्रालय के आयुध, समन्वय और सेवा निदेशालय से स्पष्टीकरण मांगा गया है। स्पष्टीकरण के बाद तदनुरूपी वित्तीय प्रभाव को शामिल किया जाएगा।

(ङ) 1 अक्टूबर, 2021 को संपत्ति और देनदारियों के मूल्य का निर्धारण

भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के रक्षा उत्पादन विभाग द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन संख्या 1(5)/2021/OF/DP(Plg-V)/01, दिनांक 24 सितंबर-2021 के अनुसार संपत्ति और देनदारियों का विवरण इकाइयों के पास रिकॉर्ड उपलब्धता के अनुसार गणना की जाएगी और इकाइयों द्वारा किए गए विस्तृत अभ्यास के बाद, 30.09.2021 को संपत्ति और देनदारियों का मूल्य निर्माणी प्रबंधन द्वारा पहचाना गया था।

भारत सरकार द्वारा ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड को हस्तांतरित अचल संपत्तियों का मूल्य निर्धारित करने के लिए एक आईबीबीआई पंजीकृत मूल्यांकक नियुक्त किया गया था। मूल्यांकनकर्ता द्वारा निर्धारित 1 अक्टूबर, 2021 को संपत्ति का कुल मूल्य मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार 45,414.44 लाख रुपये है, जिसे बोर्ड द्वारा अपनाया गया है। मूल्यांकनकर्ता द्वारा निर्धारित उचित मूल्य को 1 अक्टूबर, 2021 को संपत्ति की लागत के रूप में लिया गया है।

वित्तीय विवरणों पर अन्य टिप्पणियाँ

अन्य वर्तमान संपत्तियों और देनदारियों के मूल्य का निर्धारण करने के लिए निर्माणी ने एक विस्तृत अभ्यास किया है। अन्य मौजूदा संपत्तियों और देनदारियों के निर्धारण के लिए फैक्ट्री प्रबंधन द्वारा निम्नलिखित आधार अपनाया है:

क्र.सं	प्रकृति	श्रेणी	निर्धारण का आधार
1	. विविध लेनदार	वर्तमान देनदारियां	01.10.2021 से पहले स्वीकार की गई सामग्री और रसीद वाउचर का मूल्य और 01.10.21 से पहले आपूर्तिकर्ता द्वारा की गई सेवाओं को 30.09.2021 को विविध लेनदारों के रूप में माना गया है।
2	बकाया वेतन और भत्ते	वर्तमान देनदारियां	कर्मचारी लाभ और भत्ते जो कर्मचारियों को 01.10.2021 से पहले की अवधि के लिए देय थे, उन्हें कर्मचारियों को देय 30.09.2021 को देयता माना गया है।
3	ग्राहकों से अग्रिम	वर्तमान देनदारियां	निर्माणी द्वारा ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम जो 01.10.2021 से पहले एमआरओ के माध्यम से सरकार को हस्तांतरित किए गए थे। अग्रिम राशि जिसके लिए कारखाने द्वारा 01.10.2021 से पहले सामग्री नहीं भेजी जा सकती थी, उसे बकाया अग्रिम माना गया है।
4	स्थानीय प्राधिकरण को देय राशि	वर्तमान देनदारियां	ओपीएफ कानपुर छावनी क्षेत्र में स्थित है जिसके लिए छावनी बोर्ड संपत्ति कर लेता है। 01.10.2021 से पहले छावनी बोर्ड का बकाया था जिसे 01.10.2021 को वर्तमान देनदारियों के रूप में माना गया है।
5	विभिन्न उपयोगिता सेवाओं के लिए देयता	वर्तमान देनदारियां	विभिन्न उपयोगिता सेवाओं के लिए देय वर्तमान देनदारियां विभिन्न उपयोगिता सेवाएं जैसे कि टेलीफोन, इंटरनेट और बिजली आदि जिनका उपयोग निर्माणी द्वारा 01.10.2021 से पहले किया गया था, ऐसी सेवाओं के लिए 01.10.2021 से पहले की अवधि के लिए देय राशि को प्रारंभिक देयता दिनांक 01.10.2021 तक माना गया है।
6	वस्तु सूची	वर्तमान परिसंपत्तियाँ	निर्माणी द्वारा रखी गई इन्वेंटरी (वस्तुसूची) में कच्चा माल, डबल्यूआईपी और तैयार माल शामिल हैं। 01.10.2021 को इन्वेंटरी (वस्तुसूची) का उचित मूल्य निर्धारित करने के लिए कंपनी ने इन्वेंटरी (वस्तुसूची) के मूल्यांकन के लिए एक स्वतंत्र मूल्यांकक नियुक्त किया है और मूल्यांकक द्वारा निर्धारित और प्रमाणित मूल्य को 1 अक्टूबर -2021 तक इन्वेंट्री (वस्तुसूची) के मूल्य के रूप में लिया गया है।
7	इनपुट टैक्स क्रेडिट	वर्तमान परिसंपत्तियाँ	30.09.2021 को ओपीएफ कानपुर के इनपुट टैक्स क्रेडिट बैलेंस की राशि जो जीआईएल के नए जीएसटीआईएन में स्थानांतरित करने के योग्य है, को वर्तमान परिसंपत्तियाँ माना है क्योंकि ट्रांसफर की गई राशि को आउटपुट टैक्स देनदारियों के सापेक्ष समायोजित किया जा सकता है।
8	कर्मचारियों के लिए अग्रिम भुगतान	वर्तमान परिसंपत्तियाँ	दिनांक 01.10.2021 से पहले ओपीएफ के कर्मचारियों को विभिन्न अग्रिम भुगतान किए गए थे जो कर्मचारियों से वसूली योग्य है। सरकार से प्राप्त निर्देशों के अनुसार त्योहार अग्रिम को छोड़कर कर्मचारियों को दिए गए सभी व्यक्तिगत अग्रिमों को कर्मचारियों से वसूली के बाद एमआरओ के माध्यम से सरकार को हस्तांतरित किया जाना आवश्यक है। केवल 01.10.2021 को कर्मचारियों से वसूली योग्य त्यौहार अग्रिमों को चालू संपत्ति माना गया है।

(च) 1 अक्टूबर-2021 से पहले प्रतिबद्ध देनदारियों की प्रतिपूर्ति के संबंध में प्रकटीकरण

(i) रक्षा उत्पादन विभाग के पत्र संख्या एमओडी (फाइनेंस) आईडी नंबर 1 (6)/बीयूडी. I/2021- (पीसी-2) दिनांक 06.01.2022 के लिए प्रतिबद्ध देनदारियों के लिए 15.48 करोड़ रुपये की प्रतिपूर्ति की गई नए डीपीएसयू द्वारा व्यवसाय शुरू करने के लिए (यानी 1 अक्टूबर, 2021 से पहले) लेकिन जिसका भुगतान नए डीपीएसयू द्वारा किया गया है।

(ii) **आवंटित राशि के लिए निधि के उपयोग का पूरा विवरण इस प्रकार है:-**

प्राप्त रकम (करोड़ रु.)	1.10.2021 से पहले की देनदारियां (करोड़ रु.)	बैलेंस (देय राशि) में अतिरिक्त राशि (करोड़ रु.)
15.20	13.56	1.64

वित्तीय विवरणों पर अन्य टिप्पणियाँ

(छ) भारत सरकार द्वारा कैपेक्स और इक्विटी इन्फ्यूजन

5.78 करोड़ रुपये के शेयरों को 31 मार्च 2022 को भारत सरकार को इक्विटी के रूप में 1.92 करोड़ रुपये की राशि और ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड के लिए कैपेक्स के रूप में रूप में 3.86 करोड़ की राशि आवंटित की गई थी।

(ज) खंड रिपोर्टिंग के संबंध में प्रकटीकरण

कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) ने रक्षा उत्पादन में लगी कंपनियों को खंड रिपोर्टिंग की आवश्यकताओं से मुक्त रखा गया, जारी अधिसूचना संख्या एस.ओ. 802 (ई) दिनांक 23 फरवरी-2018 का अवलोकन करें।

(झ) बैलेंस शीट की तारीख के बाद होने वाली घटनाएं

(क) अधिकृत पूंजी में वृद्धि

(i) कंपनी ने 19 मई, 2022 को आयोजित असाधारण आम बैठक में प्राधिकृत पूंजी को 200 करोड़ से बढ़ाकर 600 करोड़ रूपये करने का निर्णय लिया और अधिकृत पूंजी में वृद्धि का अनुपालन पहले ही पूरा हो चुका है और एमसीए रिकॉर्ड भी नवीनतम अधिकृत पूंजी के साथ अद्यतन किए गए हैं।

31 मार्च 2022 को समाप्त अवधि के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों को निदेशक मंडल के 17.11.2022 के प्रस्ताव के अनुसार जारी करने के लिए अनुमोदित किया गया था।

(ञ) लाभांश

लोक उद्यम विभाग, भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार के ज्ञापन संख्या एफ. संख्या पीपी/14(005) 2016 दिनांक 20 जून, 2016 के अनुसार ज्ञापन एफ संख्या 5/2/2016 - नीति दिनांक 27 के साथ पढ़ा जाय, मई, 2016 के निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, सभी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को कर के बाद लाभ (पीएटी) के 30% या निवल मूल्य के 5% के न्यूनतम लाभांश, जो भी अधिक हो, मौजूदा कानूनी प्रावधानों और पूर्वोक्त ज्ञापन में उल्लिखित शर्तों के तहत अनुमत अधिकतम लाभांश के अधीन भुगतान किया जाना आवश्यक है।

हालाँकि, इक्विटी शेयरों पर लाभांश की घोषणा और भुगतान बोर्ड द्वारा जो उनके विवेक पर, कंपनी अधिनियम, 2013 के लेखों के प्रावधानों के अधीन होगा अनुशंसित और शेयरधारकों द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

इसके अलावा, लाभांश, यदि कोई हो, कई कारकों पर निर्भर करेगा, जिसमें कंपनी की कमाई, डीओई द्वारा जारी दिशानिर्देश, पूंजीगत आवश्यकताएं और कंपनी की समग्र वित्तीय स्थिति शामिल है, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है। इसके अलावा, लाभांश का भुगतान करने की क्षमता कई कारकों से प्रभावित हो सकती है, जिसमें संचालन के परिणाम, वित्तीय स्थिति, संविदात्मक प्रतिबंध, ऋण के तहत प्रतिबंधात्मक अनुबंध या कंपनी द्वारा की जाने वाली वित्तीय व्यवस्था शामिल है।

(ट) चूंकि यह कंपनी का पहला भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण है, इसलिए पिछले वर्ष के आंकड़े नहीं दिए गए हैं।

हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते **टंडन सेठ एवं कम्पनी**
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 002340सी

सीए ज्ञान प्रकाश गुप्ता
साझेदार

स्थान : कानपुर
दिनांक: 17-11-2022

निदेशक मंडल के लिए एवं उनकी ओर से

विजय कुमार तिवारी
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 09282247

सुरेंद्र धापोडकर
निदेशक (वित्त) और सीएफओ
डीआईएन: 09282248

अर्चना गुप्ता
कंपनी सचिव

टिप्पणियाँ

टिप्पणियाँ

1 अक्टूबर 2022 को सार्वजनिक रक्षा क्षेत्र की ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड का प्रथम स्थापना दिवस मनाते हुए,

सार्वजनिक रक्षा क्षेत्र की 7 नई कंपनियों का प्रथम स्थापना दिवस

मुख्य अतिथि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से: **माननीय श्री राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री**

स्थापना दिवस एक निर्दिष्ट दिन है, यह दिन किसी संगठन या संस्था की स्थापना का प्रतीक होता है। यह एक संगठन के लिए एक साथ आने, समुदाय, कर्मचारियों और समर्थकों के साथ गौरवपूर्ण इतिहास का जश्न मनाने का अवसर है। यह न केवल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसने समुदाय की सेवा की है बल्कि यह स्मरण के इस क्षण की ऊर्जा से जुड़ने का एक क्षण है, यह संगठन या संस्था की शिष्ट शुरुआत के बारे में याद दिलाने का मौका है

GLIDERS INDIA LIMITED

ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड

भारत सरकार का उपक्रम, रक्षा मंत्रालय

CIN : U17299UP2021GOI150733

पंजीकृत कार्यालय/कारपोरेट कार्यालय
जीटी रोड, कानपुर – 208013 (यूपी)
दूरभाष सं. 0512-2989174
ई-मेलः corporate@glidersindia.in
वेबसाइटः glidersindia.in

print@manjari.net